



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082026-275871
CG-DL-E-31082026-275871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 505]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

फा.सं. रा. बैं.सचिव/ 47664/ 2025-26.—

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('बैंक' या 'नाबार्ड') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन लाभ और हानि लेखों, स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं (जिसे बाद में 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और उन्हें समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियमावली, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप, तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के कामकाज की

स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभों और नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

2. अभिमत का आधार

हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के “स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा” वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा संबंधी अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मद्दे

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मद्दे वे मद्दे हैं जो दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मद्दों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद्दों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

परीक्षा का प्रमुख मामला	हमारी लेखापरीक्षा ने किस प्रकार लेखापरीक्षा के इन प्रमुख मामलों को संबोधित किया
- अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधान. अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं. अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक	निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया - एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुनःसंरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित भारतीय रिजर्व बैंक (आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना. - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधानन के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना.

अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता; - ऋण एक्सपोजर, काल प्रभावन और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन; - एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित रिवर्सल। चूँकि, अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान के सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निर्धारण के लिए बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है और इसका बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अतः हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 8 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)	- उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना। - दबावग्रस्तता की पहचान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना। - मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरणों, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना। - ऋण और जोखिम अनुप्रवर्तन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा बैंक से पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के संकेत तो नहीं थे या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है। - बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना। - बैंक की आरबीआई वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर बैंक की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों पर विचार करना। - भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच। - उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना। - क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना और अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य अभिलेखों की जाँच करना। - पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की। - हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद
---	---

	ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुनः गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.
2. निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन. निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय का निर्धारण समाप्त करने और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है. उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है. हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों, एआईएफए) के मूल्यांकन के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और बैंक के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है. (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)	निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया - मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया; - इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; - प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर नमूना आधार पर सटीकता और भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया; - भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसरण में मॉटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनःगणना के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं. - हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और मॉटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की और यह देखा कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार है.
3. बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ और नियंत्रण: बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग-अलग प्रणालियों ('आईटी') पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेसों द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है.	निष्पादित की गई मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया - आईटी प्रणाली के परीक्षण और उसकी जाँच तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए हमारे आईटी विशेषज्ञ को शामिल किया गया; - 31 मार्च 2025 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक

वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं: • सीएलएमएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली • नैबराजकोष - राजकोषीय परिचालन • एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन • एफएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का संसाधन • रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/ इंटरप्ले. आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएँ. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है. बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रहता है. इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है. इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.	पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई. - बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; - चुनिंदा आधार पर ब्याज और परिपक्वता की तिथियों की पुनःगणना की गई; - चुनिंदा आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; - मूल वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानी कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके.
--	--

4. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन शामिल रहते हैं. उसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है.

हमें ये रिपोर्टें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराई जाए तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत यथापेक्षित इस विषय को अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें।

5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इन दायित्वों में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं। ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय बैंक के संबंधित निदेशक मण्डल निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मद्दों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

बैंक का निदेशक मण्डल उसकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है।

6. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन होता

है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होता है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन स्टैंडअलोन विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों.

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णयन क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही:

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा की कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हों. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों में उचित लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा लेखांकन के निरंतर चल रही संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता तो विद्यमान नहीं है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.

वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है जिससे वित्तीय विवरणों के किसी समुचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार

करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता और हमारी स्वतंत्रता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहाँ प्रयोजनीय हो वहाँ संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम ऐसी मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब अति विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

7. अन्य मदें

- बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 (एक) प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया है, जो 31 मार्च 2026 तक अग्रिमों का 70.42%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 100%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करते हैं. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है, जो हमारे द्वारा नहीं देखे गए हैं, जो प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न किए गए हैं.

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बैंक का तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा, उसके शीर्षों और उप-शीर्षों सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

- क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के हमारे प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.
- ख) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में बैंक के जो लेनदेन आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अधीन किए गए हैं.
- ग) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा न किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों और स्टाफ महाविद्यालयों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं.
- घ) हमारी राय में, ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता सं.: 102306

यूडीआईएन: 26102306YYMWOY5004

स्थान: मुंबई

दिनांक: 26 मई 2026

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	पूँजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	17,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	70,576.69	63,413.71
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,114.00	16,110.00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,556.53	6,615.72
5	सरकारी योजनाएँ	4	967.11	723.61
6	जमाराशियाँ	5	2,95,312.47	2,75,991.45
7	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,45,517.32	3,27,366.25
8	उधार	7	3,15,130.97	2,51,220.50
9	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	28,611.74	26,109.70
	कुल		10,95,866.83	9,84,630.94

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
नकदी और बैंक शेष	9	49,183.29	45,358.92
निवेश	10	1,03,507.62	91,817.30
अग्रिम	11	9,30,822.88	8,39,055.03
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	993.91	559.91
अन्य आस्तियाँ	13	11,359.13	7,839.78

कुल		10,95,866.83	9,84,630.94
प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण सं.:121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
 साझेदार
 सदस्यता सं.: 102306
 मुंबई
 दिनांक: 26 मई 2026

विनोद चंद्रशेखरन
 मुख्य महाप्रबंधक
 लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद
 उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
 उप प्रबंध निदेशक

डॉ. शाजी कृष्णन वी
 अध्यक्ष

आर इनिगो अरुल सेलवन
 मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
 26 मई 2026

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	आय	अनुसूची	2025-26	2024-25
1	ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		52,185.16	50,675.74
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय		5,766.01	5,815.27
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,355.01	2,973.65
(ख)	निवेशों पर लाभांश		40.48	49.11
(ग)	निवेशों पर छूट		1,313.87	1,332.67
(घ)	निवेशों की बिक्री/ परिपक्वता पर लाभ/ (हानि)		1,842.65	905.11
(ङ)	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि)		(1,786.00)	554.73
3	अन्य प्राप्तियाँ		2,723.68	1,933.40
	कुल “अ”		60,674.85	58,424.41

क्रम. सं.	व्यय	अनुसूची	2025-26	2024-25
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची-18 का नोट आ-24 देखें)	14	48,753.78	44,861.17
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	2,057.79	2,952.78
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	280.32	152.61
4	प्रावधान	16	191.93	246.45
5	मूल्यहास और परिशोधन		74.02	56.79
	कुल “आ”		51,357.84	48,269.80
6	कर-पूर्व लाभ (अ - आ)		9,317.01	10,154.61
7	कर व्यय			
	क) आय कर		2,170.00	2,450.00
	ख) गत वर्षों के लिए आय कर समायोजन		-	-
	ग) आस्थगित कर (अनुसूची-18 का नोट आ-19.5.1 देखें)		(21.16)	76.28
8	कर-पश्चात् लाभ		7,168.17	7,628.33
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

नोट - अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं।
उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन लेखा**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	समायोजन/ आहरण	2025-26	2024-25
1	वर्ष का लाभ- नीचे लाया गया	7,168.17	7,628.33
2	जोड़ें: लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण [अनुसूची 1 देखें]		
क)	सहकारिता विकास निधि		
ख)	अनुसंधान और विकास निधि	105.25	54.55
ग)	उत्पादक संगठन विकास निधि	51.92	48.00
घ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	116.95	0.29
ङ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	2.60	3.18
च)	जलवायु परिवर्तन निधि	15.12	34.28
छ)	ग्राम्य विकास निधि	-	-
ज)	उत्प्रेरक पूँजी निधि	37.66	57.69
झ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	1.83	2.52
ञ)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	0.90	3.94
3	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	7,500.40	7,832.78
	घटाएँ: निम्नलिखित में अंतरित किया गया: [अनुसूची 1 और 2 देखें]		
क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ	980.00	850.00
ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
घ)	अनुसंधान और विकास निधि	51.92	98.00
ङ)	सहकारिता विकास निधि	105.25	154.55
च)	उत्पादक संगठन विकास निधि	116.95	0.29
छ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	2.60	3.18
ज)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	15.12	34.29
झ)	ग्राम्य विकास निधि	37.66	57.69
ञ)	उत्प्रेरक पूँजी निधि	1.83	2.52
ट)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.90	3.94
ठ)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	1,000.00
ड)	नाबार्ड कार्बन निधि	-	300.00
ढ)	क्षेत्रा बैंक विकास निधि	-	100.00
ण)	नाबार्ड-ग्रामीण समृद्धि निधि (एन-आरएसएफ़)	200.00	-
त)	प्रारक्षित निधि	5,986.17	5,226.32
	कुल	7,500.40	7,832.78

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता सं.: 102306

मुंबई

दिनांक: 26 मई 2026

विनोद चंद्रशेखरन

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद

उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत

उप प्रबंध निदेशक

डॉ. शाजी कृष्णन वी

अध्यक्ष

आर इनिगो अरुल सेलवन

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

26 मई 2026

अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2025 को अथ शेष	लाभ-हानि विनियोजन से परिवर्धन/ अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन से आहरित/ प्रतिदान/ अंतरित	31.03.2026 की स्थिति में शेष राशि
1	प्रारक्षित निधि *	45,025.45	5,986.17	-	51,011.62
2	अनुसंधान और विकास निधि	100.00	51.92	51.92	100.00
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	1,885.70
5	सहकारिता विकास निधि	300.00	105.25	105.25	300.00
6	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधियाँ	14,000.00	980.00	-	14,980.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	300.00	116.95	116.95	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	2.60	2.60	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	15.12	15.12	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	110.00	37.66	37.66	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	20.00
12	उत्प्रेरक पूँजी निधि	20.00	1.83	1.83	20.00
13	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	17.75
14	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	0.90	0.90	50.00
15	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-	-	1,000.00
16	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-	-	300.00
17	क्षेत्रीय बैंक विकास निधि	100.00	-	-	100.00
18	पीओडीएफ - ऋण गारंटी निधि	-	-	(0.01)	0.01
19	व्युत्पन्न - बचाव प्रारक्षित निधि (इक्विटी)#	-	-	3.20	(3.20)

20	नाबार्ड-ग्रामीण समृद्धि निधि (एन-आरएसएफ़)	-	200.00	-	200.00
	कुल	63,413.71	7,498.40	335.42	70,576.69
	गत वर्ष	55,787.39	7,830.77	204.45	63,413.71

*नोट - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों के लिए नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि लेखे को एक उप-मद के रूप में रखा गया है। चूँकि बैंक में लाभ और हानि लेखे में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को प्रारक्षित निधि में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि लेखे में कोई भी राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर इसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

#कृपया अनुसूची-18 का नोट आ-11.5 (iii) (ग) देखें

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण	31.03.2026 की स्थिति में शेष राशि
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,505.00	1.00	1.00	14,507.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,605.00	1.00	1.00	1,607.00
	कुल	16,110.00	2.00	2.00	16,114.00
	गत वर्ष	16,106.00	2.00	2.00	16,110.00

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2025 को अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/प्रतिदान	जमा ब्याज #	वर्ष के दौरान व्यय/समायोजन	31.03.2026 की स्थिति में शेष राशि
अ. 1	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	0.03	-

2	जलवायु परिवर्तन - (एफबी) - परियोजना तैयारी अनुदान	22.51	0.05	0.56	-	23.12
3	जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.42	88.35	0.13	91.84	0.06
4	ईई को जीसीएफ़ ईई शुल्क अनुदान	-	6.37	-	6.37	0.00*
5	केएफडब्ल्यू मूदा परियोजना	-	2.81	-	2.55	0.26
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.35	-	1.84	-	22.19
आ.	अन्य निधियाँ					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,354.82	-	33.36	83.49	1304.69
2	ब्याज विभेदक निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	ब्याज विभेदक निधि - टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,086.59	-	26.53	88.00	1025.12
6	वित्तीय समावेशन निधि (i)	3,191.78	259.20	27.05	223.40	3254.63
7	पीओडीएफ़ - आईडी	223.65	-	5.36	36.30	192.71
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	68.60	0.81	-	-	69.41
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	20.83	2.49	-	1.09	22.23
10	सहकारी समितियों में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केन्द्र (सी-पेक)	3.77	-	0.17	-	3.94
11	एलटीआईएफ़ - ब्याज उतार- चढ़ाव प्रारक्षित निधि	211.78	15.18	5.29	-	232.25
12	सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.37	-	0.76	0.14	9.99
13	जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी (ii)	168.92	-	4.19	6.48	166.63
	कुल	6,615.72	375.26	105.24	539.69	6,556.53
	गत वर्ष	6,691.17	346.00	186.96	608.41	6,615.72

#अनुसूची-18 का आ-21 देखें

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.202 5 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ रिफ़ंड	जमा ब्याज #	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03. 2026 की स्थिति में शेष राशि
अ	सरकारी सब्सिडी योजनाएँ					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	0.11	0.78
2	शीतगृह के लिए पूँजी सब्सिडी टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08

3	एसएसआई के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूँजी सब्सिडी	1.01	-	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00	-	0.04
				*		
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	0.11	-	0.00	-	0.11
				*		
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूँजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूँजी निधि	0.08	0.10	-	0.02	0.16
12	आईएसएम - कृषि विपणन आधारभूत संरचना	11.59	-	0.08	11.15	0.52
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ़ ईडीईजी	0.30	0.10	-	-	0.40
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण -सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.10	-	0.01	-	0.11
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बीएआईएफ़ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00	-	0.02
				*		
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	1.25	0.45	-	0.02	1.68
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.00*	-	-	-	0.00*
19	पूँजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	0.10	0.55	0.00	0.20	0.45
				*		
20	सीएसएस - एमएनआई लाइटिंग योजना 2016 खाता	1.15	-	-	-	1.15
21	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
आ	अन्य सरकारी योजनाएँ					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.94	-	-	-	283.94
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	1.21	-	-	0.73	0.48
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	0.18	600.00	-	600.04	0.14
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.00*	-	-	-	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घाविधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुत्थान के लिए पैकेज	20.00	-	-	20.00	-
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुत्थान, सुधार और पुनःसंरचना	4.09	-	-	-	4.09
8	व्यापक हथकरघा पैकेज	-	0.01	-	-	0.01
9	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडब्ल्यूआर)	224.10	11,062.65	-	10,720.09	566.66
10	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
11	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना - पैक्स का कंप्यूटरीकरण	17.48	65.55	0.22	83.22	0.03
12	एग्रीश्योर - भारत सरकार	62.50	20.47	-	71.11	11.86
	कुल	723.61	11,749.88	0.31	11,506.69	967.11
	गत वर्ष	1,506.36	13,054.41	2.02	13,839.18	723.61

#अनुसूची 18 का आ-21 देखें

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है.

अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	37.10	40.23
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	2,14,547.05	1,94,482.88
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	35,000.00	32,079.11
	घ) अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,500.00	7,023.74
	ड) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,070.00	2,870.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	35,678.32	38,945.49
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	480.00	550.00
	कुल	2,95,312.47	2,75,991.45

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	कर मुक्त बॉण्ड	3,111.50	5,000.00
2	अप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	2,06,783.00	1,86,736.30
3	पीएमएवाई-जी - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम (जी) - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) बॉण्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,052.87	14,060.00
	कुल	3,45,517.32	3,27,366.25

अनुसूची 7 - उधारराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	अन्य		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाण-पत्र	57,123.90	37,939.26
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	56,981.23	57,386.19
	(iii) त्रिपक्षीय रेपो	59,361.98	51,708.00
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	4.66	10.36
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,40,416.25	1,03,655.89
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ (अनुसूची 18 का नोट आ-11.5(i) देखें)	1,240.14	517.99
	कुल	3,15,130.97	2,51,220.50

अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट		
(क)	बॉण्ड और उधारराशियों पर उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	10,329.12	9,481.65
(ख)	जमाराशियों पर उपचित ब्याज	2,977.07	2,714.90
2	विविध लेनदार	31.17	138.06
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएमआई)	27.82	27.64
4	प्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की नोट आ-19.2 देखें)	39.74	19.52
5	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की नोट आ-19.2 देखें)	-	434.85
6	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की नोट आ-19.2 देखें)	463.99	392.00
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की नोट आ-19.2 देखें)	234.27	192.17
8	बॉण्डों पर अदावी ब्याज	4.32	4.36
9	परिपक्व किंतु अदावी बॉण्ड	9.93	9.83
10	बॉण्ड प्रीमियम	310.82	80.97
11	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.57	0.24
12	अन्य देयताएँ (अनुसूची 18 का नोट आ-23 देखें)	3,635.08	3,807.55
13	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
(क)	आस्तियों/ निवेशों के मूल्य में ह्रास		
(i)	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1,659.61	-
	(I क) केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
	(I ख) राजकोष बिल	-	-
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	3.56	12.04
	(v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य-म्यूचुअल फंड्स	8.84	9.63
(ख)	सरकारी प्रतिभूति का परिशोधन - एचटीएम	6.28	6.28
(ग)	मानक आस्तियों के लिए	3,725.00	3,523.46
(घ)	अनर्जक निवेश	222.21	299.26
(ङ)	प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण सुरक्षित भंडार/ अस्थायी प्रावधान	2,014.45	2,014.45
(च)	अन्य आस्तियों और प्राप्य राशियों हेतु प्रावधान	4.45	4.45
(छ)	आय कर हेतु प्रावधान [₹2,148.48 करोड़ के अग्रिम कर को घटाकर (31.03.2025 की स्थिति में ₹2,565 करोड़)]	2,896.13	2,936.39
14	व्युत्पन्न देयताएँ (अनुसूची 18 का नोट आ-11.5(i))	7.31	-

	देखें)		
	कुल	28,611.74	26,109.70

नोट- 1. अनर्जक अग्रिमों को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	हाथ में नकदी	-	-
2	निम्नलिखित के पास शेष :		
	अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक	10,026.97	6,568.72
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	7,602.12	4,437.74
	ख) बैंकों में जमा#	31,554.20	33,353.15
	(iii) मार्गस्थ विप्रेषण	-	-
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	त्रिपक्षीय रेपो - ऋण वितरण	-	999.31
		49,183.29	45,358.92

इसमें 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बैंकों में ₹12,322 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली) शामिल हैं (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹3,650 करोड़)

अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [अंकित मूल्य ₹6,19,49,98,00,000]	62,810.27	53,060.25

	(₹5,21,76,90,80,000)]		
	ख) राजकोष बिल	15,614.37	11,297.96
	[अंकित मूल्य ₹1,61,68,24,70,000 (₹1,14,99,23,50,000)]		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	966.27	966.27
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [शून्य (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	-	0.30
(ङ)	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. [56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	16.87	16.87
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड [55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के शेयर]	9.75	9.75
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद [4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	0.00*	0.00*
(ज)	नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	1.50	1.50
(झ)	नैशनल ई-रेपोजीटरी लि. [105,30,000 (105,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क [40,00,000 (40,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]	40.00	40.00
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड [2,87,329 (2,87,329) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	56.76	56.76
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड [23,333 (23,333) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	3.84	3.84
(ड)	फरबाइन प्राइवेट लिमिटेड [5,000 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	0.01	-
(ढ)	सहकार टैक्सी को ऑपरेटिव लिमिटेड [200,000 (शून्य) प्रत्येक ₹100 के शेयर]	2.00	-

(ण)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [100,00,000 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	121.82	-
(त)	भारतीय स्टेट बैंक [12,79,000 (12,79,000) प्रत्येक ₹1 का शेयर]	20.02	20.02
4	डिबेंचर और बॉण्ड		
(i)	रासकृष्णावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-28 देखें)	10.39	65.19
(ii)	असंपरिवर्तनीय डिबेंचर	441.10	852.99
5	सहायक संस्थाओं, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में शेयरधारिता		
(क)	सहायक कंपनियाँ		
(i)	नैबफिन्स लिमिटेड (पूर्व में नाबार्ड फाईनैन्शियल सर्विसेज [कर्नाटक] लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) [10,20,06,300 (10,20,06,300) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	102.01	102.01
(ii)	नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड [शून्य (11,27,88,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	-	145.06
(iii)	नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड [25,74,54,201 (15,05,00,063) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	372.62	227.57
(iv)	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड [2,50,00,000 (2,50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	25.00	25.00
(v)	नैबवेंचर्स लिमिटेड [5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	50.00
(vi)	नैबफाउंडेशन [5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	50.00
(vii)	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड [5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	50.00
(ख)	सहयोगी कंपनियाँ		
	सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड [33,33,33,334 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	333.33	-
(ग)	संयुक्त उद्यम	-	-
6	अन्य		
(क)	म्यूचुअल फंड	9,774.51	6,602.32
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹5,75,00,00,000 ₹15,00,00,00,000]	556.46	1,453.08
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र [अंकित मूल्य ₹1,16,25,00,00,000 (₹1,64,50,00,00,000)]	11,390.05	16,100.04
(घ)	उद्यम पूँजी निधियाँ/ एआईएफ	615.20	536.04

(ड)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश [अनुसूची 18 का नोट आ-19.2 देखें]	-	10.95
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (इन्विटीएस)	1.94	2.00
	कुल	1,03,507.62	91,817.30

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है।

अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
1	पुनर्वित्त ऋण		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,81,068.83	1,69,224.53
(ख)	अन्य निवेश ऋण		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,89,283.02	2,52,632.27
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	33,785.65	27,767.64
2	प्रत्यक्ष ऋण		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,98,551.75	1,84,724.16
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	1,823.75	2,581.85
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	259.93	295.89
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	53,574.88	40,879.33
(ड)	उत्पादक संगठन के लिए ऋण	0.05	0.14
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	53,209.55	41,676.56
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	295.36	386.48
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	50,238.16	51,803.83
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)	1,171.10	1,366.81
(ठ)	जीसीएफ के अंतर्गत ऋण	544.84	517.99
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	3,037.21	2,871.83
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,628.81	1,141.38
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएस)	76.76	65.16
(त)	नाबार्ड हरित ऋण सुविधा (एनजीएलएफ)	1,155.42	-

(थ)	अन्य ऋणः		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.45	1.66
(ii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.13	0.29
	कुल	9,30,822.88	8,39,055.03

नोट - ₹1,999.41 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹2,005.32 करोड़)

अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
1	भूमि: स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-27 देखें) अथ शेष वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन उप-जोड़ घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएँ: लीज प्रीमियम का परिशोधन बही मूल्य	 195.79 411.71 607.50 6.39 601.11 66.92 534.19	 195.79 - 195.79 - 195.79 67.16 128.63
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-27 देखें) अथ शेष वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन उप-जोड़ घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएँ: अब तक मूल्यहास बही मूल्य	 668.47 21.42 689.89 1.80 - 688.09 389.64 298.45	 659.20 9.27 668.47 - - 668.47 374.03 294.44
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स अथ शेष वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन उप-जोड़ घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएँ: अब तक मूल्यहास बही मूल्य	 67.72 3.98 71.70 2.02 69.68 63.85 5.83	 67.23 0.67 67.90 0.18 67.72 63.77 3.95
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण अथ शेष वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन उप-जोड़ घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएँ: अब तक मूल्यहास बही मूल्य	 276.84 92.78 369.62 1.34 368.28 278.50 89.78	 248.72 34.69 283.41 6.57 276.84 229.07 47.77
5	वाहन		

6	अथ शेष	15.97	14.84
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	3.97	6.99
	उप-जोड़	19.94	21.83
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	4.56	5.86
	इति शेष (लागत पर)	15.38	15.97
	घटाएँ : अब तक मूल्यहास	6.73	5.97
	बही मूल्य	8.65	10.00
	जारी पूँजीगत कार्य (जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है)	57.01	75.12
	कुल	993.91	559.91

नोट - अब तक के मूल्यहास में प्रारंभिक मूल्यहास, परिवर्धन और बिक्री पर मूल्यहास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यहास शामिल है

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
1	उपचित ब्याज		
(क)	ऋणों और अग्रिमों पर उपचित ब्याज	4,562.51	4,153.74
(ख)	निवेशों पर उपचित ब्याज	2,139.45	1,852.29
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1.82	1.56
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	47.44	54.21
4	स्टाफ को आवास ऋण	231.87	188.47
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	94.78	96.13
6	विविध अग्रिम	191.90	83.83
7	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की नोट आ-19.5.1 देखें)	135.11	113.95
8	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त राशियाँ (कृपया अनुसूची 18 की नोट आ-22 और 24 देखें)	1,297.65	1,193.46
9	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	49.42	94.98
10	अन्य आस्तियाँ - इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी	6.37	7.16
11	अन्य आस्ति - एफआईएफ निधि निवेश*	2,500.01	-
12	व्युत्पन्न आस्तियाँ (कृपया अनुसूची 18 की नोट आ-11.5(i) देखें)	83.28	-
13	पेंशन के प्रति अग्रिम	17.52	-
	कुल	11,359.13	7,839.78

*अन्य आस्ति- एफआईएफ निधि निवेश विभिन्न बैंकों में रखा जाता है, जिसे अनन्य रूप से नाबार्ड वित्तीय समावेशन निधि के लिए निश्चित किया जाता है। इन निधियों का उपयोग एकमेव रूप से निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित होता है।

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आरआईडीएफ़) के अंतर्गत जमाराशियाँ	7,627.18	6,752.89
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,662.89	1,975.77
(ग)	अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	343.49	574.67
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	74.42	105.27
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,540.60	1,599.15
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	19.72	19.69
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	1.97	2.35
(ज)	मीयादी मुद्रा उधार	0.31	39.73
(झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की नोट आ-24 और 31 देखें)	24,532.00	21,322.39
(ञ)	बैंकों से प्राप्त मीयादी ऋण	6,328.03	6,153.59
(ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	8.64	6.20
(ठ)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	1,828.67	2,506.68
(ड)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	2,995.63	2,020.56
(ढ)	रेपो ब्याज व्यय	2.58	10.58
(ण)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	78.26	186.81
(त)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	-	(0.00) *
(थ)	प्रतिबद्धता शुल्क - अंतरराष्ट्रीय उधार	2.14	0.24
2	सीबीएलओ/ टीआरईपीएस पर डिस्काउंट	1,636.91	1,505.68
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम व्यय	45.10	60.95
4	स्वैप प्रभार	17.93	17.96
5	व्युत्पन्न/ रक्षित मद उचित मूल्यन (अनुसूची 18 की नोट आ-11.1 देखें)	7.31	-
	कुल	48,753.78	44,861.17

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है.

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की नोट आ-29 देखें)	801.28	1,248.87
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	349.32	822.17
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	224.03	310.37
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा और अन्य भत्ते	0.23	0.20
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों के शुल्क	0.35	0.27
6	किराया, दौरे, बीमा, बिजली आदि	56.85	44.79
7	यात्रा व्यय	62.64	64.24
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	7.09	7.04
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	30.80	31.07
10	मरम्मत	36.89	18.76
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.37	0.34
12	विधिक प्रभार	2.82	2.41
13	विविध व्यय	342.76	274.32
14	विविध आस्तियों पर व्यय	8.98	12.93
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	133.38	115.00
	कुल	2,057.79	2,952.78

अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	सहकारिता विकास निधि	105.25	54.55
2	उत्पादक संगठन विकास निधि	116.95	0.29
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	2.61	3.18
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	15.12	34.28
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	-
6	ग्राम्य विकास निधि	37.66	57.69
7	उत्प्रेरक पूँजी निधि	1.83	2.52
8	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.90	0.10
	कुल	280.32	152.61

अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
1	मानक आस्तियाँ	201.54	221.46
2	अनर्जक आस्तियाँ	1.83	31.49
3	अनर्जक निवेश	(11.44)	2.00
4	निवेश खाते के मूल्य में हास - इक्विटी	-	(8.50)
	कुल	191.93	246.45

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	निष्पादन के लिए शेष पूँजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	151.32	68.12
	उप जोड़ "अ"	151.32	68.12
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	2.16	2.16
(ii)	लंबित विधिक मामले (आयकर अपीलों सहित)	415.00	415.00
	उप जोड़ "आ"	417.16	417.16
	कुल (अ + आ)	568.48	485.28

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	9,317.01	10,154.61
लाभ और हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास और परिशोधन	74.02	56.79
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	(9.62)	33.49
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	201.54	221.46
निवेश खाते के मूल्य में हास - इक्विटी	-	(8.50)
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)	1.41	(1.05)

विभिन्न निधियों में जमा ब्याज	105.56	188.99
निवेश से आय	(5,766.01)	(7,164.74)
बॉण्ड पर प्रीमियम का परिशोधन	(107.01)	(16.80)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले का परिचालन लाभ	3,816.90	3,464.25
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	7,014.82	(8,254.68)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	1,298.77	1,678.41
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(91,947.04)	(44,183.85)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(79,816.55)	(47,295.87)
आय कर का भुगतान - प्रतिदान को घटाकर	(2,210.25)	(2,519.59)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(82,026.80)	(49,815.46)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश की खरीद (निवेश से बिक्री को घटाकर)	(8,875.46)	(22,049.88)
निवेश से आय	4,175.93	7,181.54
अचल आस्तियों की खरीद	(448.98)	(79.43)
अचल आस्तियों की बिक्री	7.31	12.60
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त/ सृजित निवल नकदी (आ)	(5,141.20)	(14,935.17)
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	80.76	(1,045.20)
बॉण्डों से प्राप्त राशि (चुकोती को घटाकर)	18,151.08	41,216.15
उधारों से प्राप्त राशि (चुकोती को घटाकर)	64,909.77	56,593.94
जमाराशियों से प्राप्त राशि (चुकोती को घटाकर)	19,321.02	(25,966.62)
आरक्षित निधि से निकासी/ परिवर्धन	0.00*	-
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	1,02,462.63	70,798.27
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	15,294.63	6,047.64
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	14,656.46	8,608.82
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	29,951.09	14,656.46

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	2025-26	2024-25
हाथ में नकदी		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	10,026.97	6,568.72
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	7,602.12	4,437.74
बैंक के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	12,322.00	3,650.00
कुल	29,951.09	14,656.46

*₹1.00 लाख से कम की राशि को दर्शाता है.

नोट - उपयुक्त नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है जैसा कि एएस-3 "नकदी प्रवाह

विवरण" में निर्धारित किया गया है.

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306
मुंबई
दिनांक : 26 मई 2026

विनोद चंद्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

डॉ. शाजी कृष्णन वी
अध्यक्ष

आर इनिगो अरुल सेलवन
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
26 मई 2026

अनुसूची 18

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ

अ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं; भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखांकन मानकों (एएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखांकन नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होते हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं।

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 नकदी के आधार पर लेखांकित निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखांकित किया जाता है:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.
- ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.
- विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.
- किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

3.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया। बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों, लागू स्टॉप शुल्क सहित, को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है।

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है।

3.4 i) उद्यम पूँजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है।

ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है।

3.5 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

- i) दंडात्मक ब्याज
 - ii) लागत और प्रभार
 - iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज
 - iv) मूलधन
- 3.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान, निपटान के निबंधनों के अनुसार विनियोजित किया गया है।
- 3.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ डिफ्री प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:-
- i) संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.
 - ii) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के न होने की स्थिति में, उपर्युक्त बिन्दु 3.5 के अनुसार.

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

- 4.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यहास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूँजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ गया।
- 4.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है।
- 4.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है।
- 4.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यहास की नीति में संशोधन किया गया और 30 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यहास की गणना सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है।
- 4.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर भुगतान किए गए प्रारंभिक पट्टा प्रीमियम को पट्टे की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या पट्टे की शेष अवधि पर शेष पट्टा प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है।
- 4.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानान्तरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि लेखों में प्रभारित किया गया है। आसानी से स्थानान्तरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूँजीकृत किया गया जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक हो। ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि लेखों में लिया गया है।
- 4.7 अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है :

आस्तियों के प्रकार	मूल्यहास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- 4.8 आस्तियों के मूल्यहास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूँजीकृत किया जाता है और यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.
- 4.9 चल रहे पूँजीगत कार्य में पूँजी अग्रिम शामिल है और इसे अचल संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.
- 5. निवेश**
- 5.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन “निपटान तिथि” पर दर्ज किए जाते हैं.
- 5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को “व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)”, “बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)” और “परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)” श्रेणियों (जिन्हें आगे “श्रेणियाँ” कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.
- 5.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित की जाती हैं उन्हें “एचएफटी” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें “एचटीएम” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें “एफएस” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.
- 5.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या कम है उन्हें अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. “एचटीएम” श्रेणी के अंतर्गत, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने की स्थिति में, अस्थाई कमी को छोड़कर, यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन होता है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.
- 5.5 “एचटीएम” के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया गया है.
- 5.6 “एफएस” के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यहास है, तो “एफएस” के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
- 5.7 “एचएफटी” के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, को “एचएफटी” के रूप में वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
- 5.8 सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- 5.9 राजकोष बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है.
- 5.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो उद्धृत न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अथवा ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

- 5.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।
- 5.12 शेयर बाजार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज की राशि को पूँजीकृत किया गया है।
- 5.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है।
- 5.14

क्र. सं.	मौजूदा श्रेणी	प्रस्तावित श्रेणी	लेखांकन नीति
1.	एएफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो। ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यहास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
2.	एचटीएम	एएफएस/ एचएफटी	बही मूल्य / परिशोधित लागत पर अंतरण। ऐसी प्रतिभूतियों का अंतरण के फसलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा।
3.	एएफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एएफएस	बही मूल्य पर अंतरण। अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यहास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यहास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है।

- 5.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- 5.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है।
- 5.17 उद्यम पूँजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।
- 5.18 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप निवेश आय के उचित प्रावधान/ आय की अमान्यता के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/ प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं।
यदि किसी कंपनी/ संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए है, तो उस कंपनी/ संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा।

प्रतिभूतियों, अर्थात् बॉण्ड, डिबेंचर आदि के मामले में जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी, इनमें से जो भी अधिक हो, मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया गया है।

- 5.19 रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक युक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/ खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का रिवर्सल कर दिया जाता है। लागत और राजस्व की गणना यथास्थिति ब्याज व्यय/ आय के रूप में की जाती है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा “विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव” के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है।

- 6.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों को लेखा बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में, लेनदेन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना अनुबंधित विनिमय दरों पर की जाती है तथा गारंटी, स्वीकृतियाँ, अनुमोदन एवं अन्य दायित्वों के संबंध में इसकी गणना भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ (‘एफईडीएआई’)/ ब्लूमबर्ग द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर की जाती है।
- 6.2 मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिवर्तन एफईडीएआई/ ब्लूमबर्ग द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर किया जाता है तथा उससे उत्पन्न लाभ/ हानि को लाभ एवं हानि लेखों में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा तथा ‘चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अंतर का समायोजन एक विशेष खाते में किया जाता है, जिसे विनिमय जोखिम के प्रबंधन हेतु खोला एवं संधारित किया जाता है।

7. बचावों/ व्युत्पन्नो हेतु लेखांकन (अनुसूची) 18 का नोट-आ-11 देखें।

- 7.1 बैंक द्वारा निष्पादित हेजिंग का लेखांकन, प्रयोज्य लेखांकन मानकों और उनकी मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप और करार के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट (2021 में संशोधित) की आवश्यकताओं को अपनाया है। बैंक अपनी व्युत्पन्न आस्तियों और देयताओं को अलग-अलग लाइन मदों के रूप में प्रस्तुत करता है। बैंक उक्त मार्गदर्शी नोट की हेजिंग संबंधी लेखांकन अपेक्षाओं के अनुपालन में अपनी देयता को वहन मूल्य में समायोजन करता है।

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

- 8.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानीकरण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

- 8.2 अग्रिमों की पुनःसंरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।
- 8.3 अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है।
- 8.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ और हानि लेखे में प्रभावित किया गया है।
- 8.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में "वर्तमान देयता और प्रावधान" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक के कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है।

9.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबद्धकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की हैं।

9.2 सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:

i) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक ने पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई "एनपीएस - कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है। निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

क. बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। योजना के लिए बैंक द्वारा निधि प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखे में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है।

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है।

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं। बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं। अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है।

10. आय पर कर

- 10.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य कर आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है।
- 10.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तारीख को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है।
- 10.3 अनवशोषित मूल्यहास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।
- 10.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा/ प्रावधान किए गए करों की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है।

11. खंड रिपोर्टिंग

- 11.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है।
- 11.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल है। जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे “अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय” में शामिल किया गया है।
- 11.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको “अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय” में शामिल किया गया है।
- 11.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता।

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

- 12.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि :
 - i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा
 - ii) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके।
- 12.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29)

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता है;

ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया है:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना नहीं हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जहाँ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य हो.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

13.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

14. नकदी और नकदी समतुल्य

(क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

(ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

15. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से ज्यादा हो.

16. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखा मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है, तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

आ. अलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ**1. पूँजी**

1.1 तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पूँजीगत अंशदान का स्वरूप :

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्राधिकृत पूँजी ₹30,000 करोड़ थी. बैंक की कुल चुकता पूँजी भारत सरकार द्वारा अभिदत्त की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है:

अंशदानकर्ता	2025-26		2024-25	
	(₹ करोड़)	%	(₹ करोड़)	%
भारत सरकार	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00
कुल	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00

1.2 पूँजी पर्याप्तता

1.2.1 पूँजी पर्याप्तता की गणना दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भर्ती वित्तीय संस्थाएँ - पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के अनुसार प्राप्त की गई है.

1.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9% के समक्ष 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 30.59% (25.58%) था.

1.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण - दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित ₹14,507 करोड़ (₹14,505 करोड़) की आस्तियों को सीआरएआर की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा गया है.

1.2.4 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात के विभिन्न मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूँजी (सीईटी 1) (कटौतीयाँ, यदि कोई हों, को घटाकर)	82,500.00	75,530.63
(ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी	0.00	0.00
(iii)	टीयर 1 पूँजी (i + ii)	82,500.00	75,530.63
(iv)	टीयर 2 पूँजी	2,403.23	3,008.33
(v)	कुल पूँजी (टीयर 1 + टीयर 2)	84,903.23	78,538.96
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	2,77,595.53	3,07,015.65
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	29.72	24.60
(viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूँजी)	29.72	24.60
(ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूँजी)	0.87	0.98
(x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	30.59	25.58
(xi)	लीवरेज अनुपात	7.30%	7.66%
(xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत: क) भारत सरकार	100% -	100% -

	ख) अन्य वाणिज्यिक बैंक ग) अन्य वित्तीय संस्थाएँ (जिसमें अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ (एआईएफआई) शामिल हैं)	-	-
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूँजी की राशि	0.00	0.00
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूँजी की राशि, जिसमें से: क) बेसल-III का अनुपालन करने वाले बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर ख) बेसल-III का अनुपालन करने वाले बेमीयादी ऋण लिखत	0.00	0.00
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से: क) बेसल-III का अनुपालन करने वाले बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर ख) बेसल-III का अनुपालन करने वाले बेमीयादी ऋण लिखत	0.00	0.00

2. निर्वन्ध प्रारक्षित निधियाँ और प्रावधान

2.1 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	201.54	221.46
31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	3,725.00	3,523.46

2.2 अस्थायी प्रावधान*:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(क)	अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष	2,000.00	2,000.00
(ख)	लेखांकन वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रमात्रा#	0.00	0.00
(ग)	लेखांकन वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गई कमी	0.00	0.00
(घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	2,000.00	2,000.00

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान सृजित करने का निर्णय लिया, ताकि किसी अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थिति में उनका उपयोग किया जा सके.

2.3 प्रतिचक्रीय सुरक्षा: ₹14.45 करोड़ (₹14.45 करोड़)

3. आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	0.00	0.00
(ii)	एनपीए में घट-बढ़ (सकल)		

(क)	अथ शेष	2,005.34	1,983.29
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3.77	34.09
(ग)	वर्ष के दौरान कमियाँ	(9.70)	(12.04)
(घ)	इति शेष	1,999.41	2,005.34
(iii)	निवल एनपीए में घट-बढ़		
(क)	अथ शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान कमियाँ	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान से इतर)		
(क)	अथ शेष	2,005.34	1,983.29
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.77	34.09
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(9.70)	(12.04)
(घ)	इति शेष	1,999.41	2,005.34

3.2 अनर्जक निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	निवल निवेशों में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00	0.00
(ii)	अनर्जक निवेश में घट-बढ़ (सकल)		
(क)	अथ शेष	299.26	317.32
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	2.00
(ग)	वर्ष के दौरान की गई कमियाँ	(77.05)	(20.06)
(घ)	इति शेष	222.21	299.26
(iii)	निवल एनपीआई में घट-बढ़		
(क)	अथ शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान की गई कमियाँ	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	एनपीआई हेतु प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान से इतर)		
(क)	अथ शेष	299.26	317.32
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	2.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(77.05)	(20.06)
(घ)	इति शेष	222.21	299.26

3.3 अनर्जक आस्तियाँ (3.1+ 3.2)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	निवल आस्तियों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिम + निवेश) (%)	0.00	0.00
(ii)	एनपीए में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क)	अथ शेष	2,304.60	2,300.61
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3.77	36.09
(ग)	वर्ष के दौरान की गई कमियाँ	(86.75)	(32.10)
(घ)	इति शेष	2,221.62	2,304.60
(iii)	निवल एनपीए में घट-बढ़		
(क)	अथ शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान की गई कमियाँ	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान से इतर)		
(क)	अथ शेष	2,304.60	2,300.61
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.77	36.09
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(86.75)	(32.10)
(घ)	इति शेष	2,221.62	2,304.60

3.4 पुनःसंरचित खातों के विवरण

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी नया खाता पुनःसंरचित नहीं किया गया.

(राशि ₹ करोड़ में)																							
	पुनसंरचना का प्रकार:		सीडीआर प्रणाली में					एसएमई ऋण पुन संरचना:प्रणाली में					अन्य					कुल					
	आस्ति वर्गीकरण		मान क	अव मा नक	संदि ग्ध	हानि	कुल	मान क	अव मा नक	संदि ग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमा नक	संदि ग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमा नक	संदि ग्ध	हानि	कुल	
	विवरण																						
1	01 अप्रैल 202 5 संरचित :को पुन खातों की स्थिति	उधारकर्ताओं की सं.											5	2	2	0	9	5	2	2	0	9	
		बकाया राशि											1045.26	24.32	14.23	0	1083.81	1045.26	24.32	14.23	0	1083.81	
		उनपर प्रावधान *											52.26	24.32	14.23	0	90.81	52.26	24.32	14.23	0	90.81	
2	वर्ष के दौरान नई पुन /संरचना : अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि											0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		उनपर प्रावधान *											0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनसंरचित : मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की सं.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि											0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		उनपर प्रावधान *											0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
4	पुनसंरचित : मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान या अतिरिक्त /और जोखिम भार आवश्यक नहीं रहा	उधारकर्ताओं की सं.											3	0	1	0	4	3	0	1	0	4	
		बकाया राशि											109.06	0.00	0.38	0	109.44	109.06	0.00	0.38	0	109.44	
		उनपर प्रावधान *											5.45	0	0.38	0	5.83	5.45	0	0.38	0	5.83	

	और इसलिए जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के :आरंभ में पुन संरचितमानक अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं रहा												
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनसंरचित खातों : का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.		0	0	2	0	2	0	0	2	0	2
		बकाया राशि		0.00	0.00	24.32	0	24.32	0.00	0.00	24.32	0	24.32
		उनपर प्रावधान *		0.00	0.00	24.32	0	24.32	0.00	0.00	24.32	0	24.32
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनसंरचित खातों : /का अपलेखन वसूली	उधारकर्ताओं की सं.		2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
		बकाया राशि		936.20	0.00	0.00	0.00	936.20	936.20	0.00	0.00	0.00	936.20
		उनपर प्रावधान *		46.81	0.00	0.00	0.00	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	46.81
7	31 मार्च 2026 :की स्थिति में पुन संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.		0	0	3	0	3	0	0	3	0	3
		बकाया राशि		0.00	0.00	38.17	0.00	38.17	0.00	0.00	38.17	0.00	38.17
		उनपर प्रावधान *		0.00	0.00	38.17	0.00	38.17	0.00	0.00	38.17	0.00	38.17

* प्रावधान में सामान्य मानक आस्ति प्रावधान और पुनःसंरचना के कारण अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं

3.5 परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटन

क्रम. सं.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खाते	7	766.95
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खाते	1	106.00
3	तिमाही के दौरान वे कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते जिनमें डीसीसीओ प्राप्त किया गया है.	1	156.65
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खातों की संख्या/ स्थिति (1+2-3)	7	716.30
5	‘4’ में से - वे खाते, जिनके संबंध में संकल्प प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें आवश्यकतानुसार मूल/ विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार को सम्मिलित किया गया है.	-	-
5.1	‘5’ में से - वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना का कार्यान्वयन किया जा चुका है.	-	-
5.2	‘5’ में से - वे खाते, जिनमें समाधान योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है.	-	-
5.3	‘5’ में से - वे खाते, जिनमें समाधान योजना विफल हो गई है.	-	-
6	‘5’ में से वे खाते, जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण, यथास्थिति, मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार को शामिल करते हुए समाधान की प्रक्रिया लागू की गई.	-	-
7	‘5’ में से वह खाता, जिसके संबंध में मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार के कारण हुई लागत वृद्धि के यथास्थिति निधीयन की व्यवस्था की गई है.	-	-
7.1	‘7’ में से वे खाते, जिनमें वित्तीय समापन के समय एसबीसीएफ मंजूर किया गया था तथा उसे निरंतर रूप से नवीकृत किया जाता रहा है.	-	-
7.2	‘7’ में से वे खाते, जिनमें एसबीसीएफ को न तो पहले से मंजूर किया गया और न ही नवीकृत किया गया.	-	-
8	‘4’ में से वे खाते, जिनके संबंध में यथास्थिति, मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं था समाधान प्रक्रिया लागू की गई है.	-	-
8.1	‘8’ में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना का कार्यान्वयन किया जा चुका है.	-	-
8.2	‘8’ में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है.	-	-
8.3	‘8’ में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई.	-	-

3.6 दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के लिए ऋण (एस4ए)

वर्ष 2016-17 के दौरान, दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के अंतर्गत ₹46.91 करोड़ के दबावग्रस्त ऋण खातों की समाधान योजना पर विचार किया गया. समाधान योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
भाग - अ		
(i) बकाया ऋण	0.00	0.00
भाग - आ		
इक्विटी शेयर	0.00	0.00
वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय डिबेंचर	15.30	26.74
कुल	15.30	26.74

आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप, आरबीआई द्वारा जारी एचसीसी के ₹7.11 करोड़ की राशि के असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) को 02 मार्च 2026 से मानक श्रेणी में उन्नत कर दिया गया है. शेष ₹15.30 करोड़ की राशि को अभी भी अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत कर रखा गया है, जिसके समक्ष एस4ए दिशानिर्देशों के अनुसार 100% प्रावधान बनाए रखा गया है.

3.7 अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	01 अप्रैल तक सकल अनर्जक आस्तियाँ*	2,304.60	2,300.61
(ii)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	3.77	36.09
	उप-जोड़ (अ)	2,308.37	2,336.70
घटाएँ:			
(i)	उन्नयन	7.11	0.00
(ii)	वसूली (उन्नत किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	6.28	20.50
(iii)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
(iv)	उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन	73.36	11.60
	उप-जोड़ (आ)	86.75	32.10
31 मार्च की स्थिति तक सकल एनपीए (अ-आ)		2,221.62	2,304.60

* आंकड़ों में अनर्जक निवेश भी शामिल हैं.

3.8 अपलेखन और वसूलियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
01 अप्रैल तक तकनीकी/ विवेकपूर्ण रूप से अपलिखित खातों का अर्थ शेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
उप-जोड़ (अ)	0.00	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण रूप से अपलिखित खातों से हुई वसूली (आ)	0.00	0.00
31 मार्च तक इति शेष (अ-आ)	0.00	0.00

टिप्पणी: तकनीकी या विवेकपूर्ण अपलेखन की राशि अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है लेकिन जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर अपलिखित (पूर्णतः या अंशतः) कर दिया गया है।

3.9 विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
कुल आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल अनर्जक आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

3.10 मूल्यहास और निवेशों पर प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(1)	निवेश		
(i)	सकल निवेश *		
	क. भारत में	1,03,497.23	91,752.11
	ख. भारत के बाहर	0.00	0.00
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान *		
	क. भारत में	228.49	305.54#
	ख. भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii)	निवल निवेश *		
	क. भारत में	1,03,268.74	91,446.57
	ख. भारत के बाहर	0.00	0.00
(2)	निवेश के मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में घट-बढ़		
(i)	अथ शेष	305.54	332.10
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	2.00

(iii)	वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई हो	0.00	0.00
(iv)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अपलिखित/ प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	(77.05)	(28.56)
(v)	घटाएँ: निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते में अंतरण, यदि कोई हो	0.00	0.00
(vi)	इति शेष	228.49	305.54

* इन आंकड़ों में रासकृप्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में किया गया निवेश शामिल नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 90 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.58/ 21.04.048/ 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश और उसके बाद के दिनांक 27 मार्च 2024 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 140 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/ 21.04.048/ 2023-24 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹6.28 करोड़ के प्रावधान किए गए थे, साथ ही, बैंक ने प्रभाव का पुनः आकलन किया है और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

3.11 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएँ	2025-26	2024-25
1	निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	0.00	(8.50)
2	एनपीए के लिए प्रावधान (अग्रिम + निवेश)	(9.61)	24.99
3	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,170.00	2,450.00

3.12 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

चालू वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक, पीसीआर [सकल अनर्जक आस्तियों में प्रावधानीकरण का अनुपात (इसमें अनुसूची-18 की टिप्पणी सं. 2.3 के अनुसार प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर शामिल है)] 190.67% (187.41%) रहा।

4. 4.1 (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारराशियों के समक्ष संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यापार खंड के लिए गिरवी रखी गई (प्रतिभूतियाँ)	300.00 (237.00)	304.54 (237.69)
व्यापार खंड के लिए गिरवी रखी गई (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	67,024.29 (56,100.51)	90,031.65 (68,247.12)
व्यापार खंड के लिए गिरवी रखी गई (प्रतिभूतियाँ) - चूक निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यापार खंड के लिए गिरवी रखी गई (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - चूक निधि	50.00 (50.00)	(51.75) (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में इंटर-डे सीमा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	अंकित मूल्य	बही मूल्य
इंटर-डे सीमा के लिए गिरवी रखी गई (प्रतिभूतियाँ)	5,168.17	5,358.42
	(5,168.17)	(5,396.34)

4.2 निवेश पोर्टफोलियो: संघटन और परिचालन

(i) रेपो लेनदेन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	922.91 (103.64)	3,892.34 (4,896.21)	13.19 (154.95)	3,892.34 (4,896.21)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(ii) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संघटन का प्रकटन *

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	जारीकर्ता	कुल राशि	राशि			
			निजी स्थानन के माध्यम से किया गया निवेश	धारित 'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियाँ	धारित 'रेट न की गई' प्रतिभूतियाँ	धारित 'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	74.99 (230.50)	74.99 (230.50)	-	-	-
(ii)	सरकार	78,424.64 (64,358.21)	78,424.64 (64,358.21)			
(iii)	वित्तीय संस्थाएँ	3,811.30 (4170.15)	3811.30 (4170.15)	-	-	-
(iv)	बैंक	7752.49 (13,197.93)	7,752.49 (13,197.93)	-	-	-
(v)	निजी कॉर्पोरेट	750.76 (807.53)	750.76 (807.53)	-	-	-
(vi)	सहायक संस्थाएँ/ संयुक्त वेंचर	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-	-	-

(vii)	अन्य	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-	-	-
(vii)	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	222.21 (297.26)	222.21 (297.26)	-	-	-
	कुल	90,592.97 (82,467.06)	90,592.97 (82,467.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

* ऋण प्रतिभूतियों में राजकोष बिल, असंपरिवर्तनीय डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र आदि सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं जिन्हें बही मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) एचटीएम श्रेणी से/ में बिक्री और अंतरण

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों को एफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिनका बही मूल्य ₹3,089.48 करोड़ (अंकित मूल्य ₹3,082.87 करोड़) था और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को एफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिनका बही मूल्य ₹1,257.12 करोड़ (अंकित मूल्य ₹1,180 करोड़) था।

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹21,285.73 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत नाबार्ड के पास उपलब्ध कुल निवेश का बाजार मूल्य ₹22,016.26 करोड़ था।

(iv) सरकारी प्रतिभूति ऋण लेन-देन (बाजार मूल्य के आधार पर)

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2026 तक बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेनों की कुल मात्रा
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0

31 मार्च 2025 की स्थिति में

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 तक बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेनों की कुल मात्रा
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गई प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0

- (v) दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (एआईएफआई - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित जोखिम पूँजी निधि में निवेश संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार, एआईएफ इकाइयों में निवेश किए गई ₹180.24 करोड़ (₹20.98 करोड़) की राशि को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया गया।

5. ऋण एक्सपोज़र के अंतरण से संबंधित प्रकटन

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 तथा दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ- वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटन) निदेश, 2025 के अंतर्गत अंतरित/ अधिग्रहित किए गए ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

- बैंक ने कोई भी दबावग्रस्त ऋण (जिसमें विशेष उल्लेख खाते/ अनर्जक आस्तियाँ शामिल हैं) अधिग्रहित नहीं किए हैं और न ही समनुदेशन के माध्यम से किसी भी चूक में न होने वाले ऋण का अंतरण किया है।
- बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में उनके द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में कोई भी निवेश नहीं किया है।
- बैंक में कोई भी सह-वित्तपोषण व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

6. सह-वित्तपोषण व्यवस्थाओं (सीएलए) पर प्रकटीकरण – शून्य

7. गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएँ:

(राशि ₹ करोड़ में)

		31 मार्च 2026 तक की स्थिति	31 मार्च 2026 तक की स्थिति	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष
		प्रतिभूत* अंश	अप्रतिभूत अंश	प्रतिभूत अंश	अप्रतिभूत अंश
I	बकाया गारंटियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	i) भारत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) भारत के बाहर	0.00	0.00	0.00	0.00
II	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00
III	अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएँ	140.45	0.00	0.00	0.00

8. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

8.1 आस्ति पुनर्निमाण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निमाण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

अ. बिक्री के विवरण	: शून्य
आ. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य के विवरण	: शून्य

8.2 खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण	: शून्य
आ. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण	: शून्य

9. परिचालन परिणाम

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.34	6.60
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.01	0.02
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	0.99	1.18
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.75	0.86
(v)	इक्विटी पर प्रतिलाभ	8.79	10.17
(vi)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)*	2.30	2.41

* गणना के प्रयोजनार्थ औसत कर्मचारियों पर विचार किया गया है.

10. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

10.1 पूँजी बाजार एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	इक्विटी शेयर, संपरिवर्तनीय बॉण्ड, संपरिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी समूह निधि को अनन्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है. \$\$	2,393.32	1,936.47
2	व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में निवेश हेतु शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बिना किसी प्रतिभूति (क्लीन बेसिस) के प्रदान किए गए अग्रिम;	0.00	0.00
3	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों या संपरिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.00	0.00
4	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए दिए गए ऐसे अग्रिम जो शेयरों संपरिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति की सीमा तक प्रतिभूत, यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति, शेयरों/ संपरिवर्तनीय बॉण्डों/ संपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती.	0.00	0.00
5	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियाँ;	0.00	0.00
6	शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों या बिना किसी प्रतिभूति के समक्ष संसाधन बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटरों के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के समक्ष कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
8	शेयरों या संपरिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के प्राथमिक निर्गमन के संबंध में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
9	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों का वित्तपोषण;	0.00	0.00
10	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) को सभी एक्सपोजर	615.20	536.04
पूँजी बाजारों में कुल एक्सपोजर		3,008.52	2,472.51

\$\$ इक्विटी शेयर, सहायक कंपनियाँ और अन्य रणनीतिक निवेश

10.2 देश जोखिम में एक्सपोजर : शून्य**10.3 विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएँ - एकल प्रतिपक्षकार/ परस्पर संबद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह जिसे एआईएफआई द्वारा सीमा से अधिक एक्सपोजर**

- (क) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं से अधिक एक्सपोजर की संख्या और राशि: शून्य
 (ख) टियर 1 पूँजी के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	श्रेणी	2025-26		2024-25	
		निम्नलिखित के % के रूप में ऋण एक्सपोजर		निम्नलिखित के % के रूप में ऋण एक्सपोजर	
		पूँजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ	पूँजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ
I	सबसे बड़ा एकल प्रतिपक्षकार	61.51	4.63	62.16	4.96
II	परस्पर संबद्ध प्रतिपक्षकारों का सबसे बड़ा समूह	शून्य		शून्य	
III	बीस सबसे बड़े एकल प्रतिपक्षकार	535.77	40.33	516.20	41.17
IV	बीस सबसे बड़े परस्पर संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह	शून्य		शून्य	

- (ग) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर: लागू नहीं
 (घ) ऐसे कोई अग्रिम नहीं हैं जिनके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गई हों और इसलिए ऐसे अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य के विवरण देना प्रयोज्य नहीं हैं.
 (ङ) फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर: लागू नहीं

10.4 उधारों/ ऋण सीमाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**क. उधारों और ऋण सीमाओं का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	6,50,425.47	5,75,394.80
(ii)	कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारदाताओं के उधार का प्रतिशत	67.69	67.01

ख. ऋण एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर	4,42,011.94	4,05,418.47
(ii)	एआईएफआई के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का प्रतिशत	47.38	48.20
(iii)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	4,42,011.94	4,05,418.47
(iv)	एआईएफआई द्वारा उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर के समक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	47.38	48.20

ग. एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का सेक्टर-वार संकेन्द्रण

सेक्टर-वार अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26			2024-25		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल सकल अनर्जक आस्तियों का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %
I.	कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित कृषि क्षेत्र*	9,32,832.52	1,999.25	0.21	8,41,125.53	2,005.32	0.24
1	केंद्र सरकार	82,077.15	0.00	0.00	83,100.97	0.00	0.00
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राज्य सरकारें	2,46,334.97	0.00	0.00	2,32,460.92	0.00	0.00
4	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	72,534.49	0.00	0.00	48,845.66	0.00	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,71,906.60	0.00	0.00	1,50,213.33	0.00	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	79,992.07	0.00	0.00	77,440.90	0.00	0.00
7	सहकारी बैंक	2,01,048.73	0.00	0.00	1,84,097.41	0.00	0.00
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	18,724.59	114.59	0.61	15,685.00	124.29	0.79
9	अन्य रासकृग्रावि बैंक/ भूवि बैंक/ एनबीएफसी-एमएफआई/ एडीएफसी	59,754.18	1,884.66	3.15	49,281.34	1,881.03	3.82
II.	अन्य	326.82	0.16	0.05	284.61	0.02	0.01
1	निर्माण क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टाफ ऋण#	326.82	0.16	0.05	284.61	0.02	0.01
	कुल (I+II)	9,33,159.34	1,999.41	0.21	8,41,410.15	2,005.34	0.24

* इनमें आरआईडीएफ, डब्ल्यूआईएफ, नीडा आदि जैसे प्रमुख ऋण शामिल हैं।

अनुसूची 13 में "अन्य अग्रिम" के अंतर्गत समूहन किया गया।

10.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: शून्य (शून्य)

10.6 संबंधित पक्षों को एक्सपोजर: शून्य

11. व्युत्पन्न

11.1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1	स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	250	-
2	यदि करारों के अंतर्गत प्रतिपक्षकार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो होने	-	-

	वाली वाली हानियाँ		
3	स्वैपों का निष्पादन करने पर एआईएफआई द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	-	-
4	स्वैपों से उत्पन्न होने वाला ऋण जोखिम संकेंद्रण	-	-
5	स्वैप बही का उचित मूल्य (तुलन-पत्र की अनुसूची-14 देखें)	(-) 7.31	-

31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आईआरएस की प्रकृति और उसके निबंधन निम्नानुसार हैं:

स्वैप का प्रकार	अदाकर्ता पक्ष	प्राप्तकर्ता पक्ष	कर्व/ बेंचमार्क	कल्पित राशि (₹ करोड़)
ब्याज दर स्वैप	परिवर्ती (टी-बिल)	स्थिर	टी-बिल कर्व	250.00

11.2 एक्सचेंज पर ट्रेड किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न - शून्य

11.3 व्युत्पन्नो में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन:

11.4 गुणात्मक प्रकटन

- बैंक विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित विनिमय जोखिम की हेजिंग तथा आस्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यन में असंतुलन से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु व्युत्पन्न लेन-देन करता है. बैंक व्युत्पन्नो में व्यापार नहीं करता है.
- हेजिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण के दिशानिर्देश बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही व्युत्पन्नो की संरचना तैयार की जाती है. किए गए व्युत्पन्नो के विवरण भी निवेश समिति/ एल्को को सूचित किए जाते हैं. बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले जोखिम के शमन के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित की हुई हैं. व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले लेनदेनों के लेखांकन के लिए बैंक उपचय पद्धति का पालन करता है.
- हेजिंग के लिए लेखांकन नीतियाँ

(क) निर्धारण और प्रारंभिक मापन

बैंक सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उसी तिथि पर मान्यता प्रदान करता है, जिस तिथि को व्युत्पन्न करार निष्पादित किया जाता है. सभी व्युत्पन्नो को पहले उचित मूल्य पर व्यापार की तिथि पर मापा जाता है और बाद में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर उनका उचित मूल्य पर पुनः मापन किया जाता है. उचित मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली का विवरण उचित मूल्य मापन नीति में दी गई है.

(ख) हेजिंग संबंध के रूप में डेजिग्नेट नहीं किए गए व्युत्पन्न

उन व्युत्पन्न लिखतों, जिन्हें एक औपचारिक हेजिंग संबंध के अंतर्गत डेजिग्नेट नहीं किया गया है (नॉन-डेजिग्नेटेड व्युत्पन्न), उन्हें आर्थिक हेजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर रखा जाता है. ऐसे लिखतों के उचित मूल्य में होने वाले

परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरण में 'व्युत्पन्न लिखतों के उचित मूल्यन पर निवल अभिलाभ/ (हानि)' के अंतर्गत तत्काल मान्यता दी जाती है। यह उपचार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'व्युत्पन्न संविदाओं के लेखांकन पर मार्गदर्शिका ('आईसीएआई गाइडेंस नोट')' के अनुरूप है।

(ग) हेज लेखांकन - सामान्य सिद्धांत

- i. बैंक, व्युत्पन्न संविदाओं के लेखांकन के लिए आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप हेज लेखांकन लागू करता है, बशर्ते कि शुरू में ही और निरंतर आधार पर निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं।
 - क) हेजिंग संबंध के औपचारिक डेजिग्नेशन और दस्तावेजीकरण, इसमें हेज की गई मद, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम की प्रकृति तथा हेज प्रभावशीलता आकलन कार्यप्रणाली की पहचान शामिल रहती है।
 - ख) हेजिंग संबंध से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हेज किए गए जोखिम से संबंधित उचित मूल्य या नकदी प्रवाहों में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिसंतुलित करने में अत्यधिक प्रभावी होगा (भावी प्रभावशीलता आकलन)।
 - ग) हेज का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह वित्तीय रिपोर्टिंग की संपूर्ण अवधि के दौरान अत्यंत प्रभावी बना रहे।
 - घ) नकदी प्रवाह हेजों के लिए, हेज किए जा रहे पूर्वानुमानी लेनदेन को अत्यधिक संभावित होना चाहिए।
 - ड) हेज लेखांकन का अनुप्रयोग औपचारिक डेजिग्नेशन की तिथि से भविष्यप्रभावी आधार पर किया जाता है। आईसीएआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत पूर्वप्रभावी डेजिग्नेशन की अनुमति नहीं है। पूर्व से औपचारिक डेजिग्नेशनों में प्रविष्ट व्युत्पन्न लिखतों का लेखांकन, उन्हें औपचारिक रूप से डेजिग्नेट किए जाने तक, नॉन-डेजिग्नेटेड व्युत्पन्न (एफवीपीटीएल) के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- ii. बैंक ने कुछ ऐसी व्युत्पन्न संविदाओं (क्रॉस करेंसी स्वैप) को धारित कर रखा है जो 01 जनवरी 2026 से भी पहले निष्पादित की गई थीं। ये संविदाएँ शुरुआत की तिथि तक औपचारिक हेज लेखांकन संबंध का भाग नहीं थीं और तदनुसार आईसीएआई दिशानिर्देशों के तहत हेज लेखांकन के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार शुरुआत में ही औपचारिक डेजिग्नेशन और दस्तावेजीकरण अपेक्षित होता है।

ये संविदाएँ आर्थिक हेज के रूप में कार्य करती हैं और बैंक की समग्र जोखिम प्रबंधन और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) रणनीति के अनुरूप हैं। तथापि, इन संविदाओं के प्रारंभ में हेज लेखांकन के लिए आवश्यक औपचारिक डेजिग्नेशन और दस्तावेजीकरण की शर्तें पूर्ण नहीं की गई थीं, अतः इन्हें नॉन-डेजिग्नेटेड व्युत्पन्न के रूप में वर्गीकृत किया गया और आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में उन्हें लाभ और हानि लेखे के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया।

(घ) उचित मूल्य हेज

- i. जहाँ किसी व्युत्पन्न को उचित मूल्य हेज में हेजिंग लिखत के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, वहाँ हेजिंग लिखत पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है। साथ ही, हेज की गई मद की रखाव राशि को हेज किए गए जोखिम से संबंधित उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया गया है, और इस समायोजन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है। किसी भी अप्रभावी अंश को लाभ और हानि विवरण में तत्काल मान्यता दी गई है।
- ii. बैंक स्थिर-दर वाली वित्तीय देयताओं के समक्ष उचित मूल्य हेजिंग लिखत के रूप में ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), जिनमें ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) शामिल हैं, को डेजिग्नेट करता है। हेज किया गया जोखिम, बेंचमार्क ब्याज दर में हुए परिवर्तनों के कारण स्थिर-दर देयता के उचित मूल्य में होने वाला परिवर्तन है।
- iii. जहाँ हेज लेखांकन समाप्त कर दिया गया है, वहाँ हेज की गई मद की रखाव राशि में किए गए संचयी उचित मूल्य समायोजन को, मूल हेजिंग संबंध की शेष अवधि के दौरान, प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए, लाभ और हानि विवरण में क्रमिक रूप से परिशोधित किया गया है।

(ङ) नकदी प्रवाह हेज

- i. जहाँ किसी व्युत्पन्न को नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, वहाँ हेजिंग लिखत पर होने वाले लाभ या हानि के प्रभावी भाग को नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व के अंतर्गत प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधि में मान्यता दी गई है। किसी भी अप्रभावी भाग को तत्काल लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।
- ii. बैंक क्रॉस करेंसी स्वैपों (सीसीएस) को बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) से जुड़ी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर परिवर्तनीयता के समक्ष नकदी प्रवाह हेजिंग लिखतों के रूप में डेजिग्नेट करता है। हेज जोखिम वह परिवर्तनीयता है जो विदेशी विनिमय दरों तथा लागू परिवर्तों ब्याज बेंचमार्क में होने वाले परिवर्तनों के कारण भारतीय रुपये के नकदी प्रवाहों उत्पन्न होती है।
- iii. प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधि में नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व में संचित राशि को उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें संबंधित हेज की गई मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है। यदि हेज किए गए पूर्वानुमानित लेन-देन के परिणामस्वरूप किसी गैर-वित्तीय आस्ति या देयता निर्धारित होती है, तो प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधि में संचित उक्त राशि को उस आस्ति या देयता की प्रारंभिक लागत में शामिल किया जाता है।
- iv. जब कोई नकदी प्रवाह हेजिंग लिखत समाप्त हो जाता है या बेचा, टर्मिनेट या प्रयुक्त किया जाता है, या जब हेजिंग संबंध निरस्त कर दिया जाता है, तो उस समय नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व में विद्यमान संचयी लाभ या हानि, तब तक प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधि में यथावत रहती है जब तक कि अपेक्षित भावी लेन-देन वास्तव में घटित नहीं हो जाता। यदि अपेक्षित भावी लेन-देन के घटित होने की संभावना नहीं रहती है, तो संचयी लाभ या हानि

को प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधि से पुनः वर्गीकृत कर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(च) उचित मूल्य मापन नीति

व्युत्पन्न लिखतों के उचित मूल्यों का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर किया जाता है। ब्याज दर स्वैप का मूल्यांकन, लागू बाजार प्रतिफल कर्व (जैसे - मिफोर, ओआईएस या टी-बिल कर्व, जो भी लागू हो) का उपयोग करते हुए अपेक्षित भावी नकदी प्रवाहों को घटा कर किया जाता है। क्रॉस करेंसी स्वैप का मूल्यांकन वायदा विनिमय दरों और संबंधित ब्याज दर वक्रों के आधार पर किया जाता है।

11.5 मात्रात्मक प्रकटन

- (i) 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास निम्नलिखित प्रकार के व्युत्पन्न लिखत थे (तुलन-पत्र की अनुसूची-8 और 13 देखें)।

31 मार्च 2026

(राशि ₹ करोड़ में)

लिखत का प्रकार	संविदाओं की संख्या	कल्पित राशि	उचित मूल्य - आस्ति	उचित मूल्य - देयता
मुद्रा व्युत्पन्न				
हाजिर और वायदा	-	-	-	-
मुद्रा स्वैप (सीसीएस)	6.00	1,240.14	83.28	-
करेंसी विकल्प	-	-	-	-
ब्याज दर व्युत्पन्न				
वायदा दर करार और	-	-	-	-
ब्याज दर स्वैप	1.00	250.00	-	7.31
ऋण व्युत्पन्न	-	-	-	-
अन्य व्युत्पन्न	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न	7.00	1,490.14	83.28	7.31

31 मार्च 2025

(राशि ₹ करोड़ में)

उपकरण का प्रकार	संविदाओं की संख्या	कल्पित राशि	उचित मूल्य- आस्ति	उचित मूल्य - देयता
मुद्रा व्युत्पन्न				
हाजिर और वायदा	-	-	-	-
मुद्रा स्वैप (सीसीएस)	-	-	-	-
करेंसी विकल्प	-	-	-	-
ब्याज दर व्युत्पन्न				
वायदा दर करार और	-	-	-	-

ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-
ऋण व्युत्पन्न	-	-	-	-
अन्य व्युत्पन्न	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न	0.00	0.00	0.00	0.00

(ii) ब्याज दर संवेदनशीलता:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	1,240.13	250.00	517.99	
	ख) ट्रेडिंग के लिए			--	
(ii)	बाजार से बाजार की स्थिति				
	क) आस्ति (+)	83.28	0.00	0.00	
	ख) देयता (-)	0.00	7.31	4.55	
(iii)	ऋण एक्सपोजर	161.83	3.75	46.59	
(iv)	ब्याज की दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01)				
	क) हेजिंग व्युत्पन्नो पर	8.22	16.37	16.66	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्नो पर			--	
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया अधिकतम और न्यूनतम 100 * पीवी01				
	क) हेजिंग पर			--	
	अधिकतम	8.22	16.61		
	न्यूनतम	2.66	16.37		
	ख) ट्रेडिंग पर			--	

(iii) नकदी प्रवाह हेज

(क) बैंक ने विदेशी मुद्राओं में विनिर्दिष्ट ईसीबी दायित्वों से उत्पन्न भारतीय रुपये में नकदी प्रवाह की परिवर्तनीयता के समक्ष कुछ क्रॉस करेंसी स्वैप (सीसीएस) संविदाओं को नकदी प्रवाह हेजिंग लिखतों के रूप में डेजिनेट किया है.

(ख) सीसीएस व्यवस्थाओं के अंतर्गत, बैंक भारतीय रुपये में स्थिर या परिवर्ती दर पर भुगतान करता है तथा विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डॉलर) में भुगतान प्राप्त करता है, जो ईसीबी कूपन अनुसूची के अनुरूप होते हैं. सीसीएस व्यवस्थाएँ प्रभावी रूप से विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह दायित्वों को भारतीय रुपये में नकदी प्रवाह में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे विदेशी मुद्रा जोखिम के साथ-साथ विदेशी मुद्रा ब्याज दर जोखिम भी हेज हो जाता है.

(ग) नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व में परिवर्तन

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए, प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों के अंतर्गत शामिल नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व में हुए परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व में परिवर्तन विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल राशि (31.03.2026 तक)	सकल राशि (31.03.2025 तक)
प्रारंभिक नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों में मान्यता प्राप्त लाभ/ (हानि) (तुलन-पत्र की अनुसूची -1 देखें)	(3.20)	0.00
घटाएँ: प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों से लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की गई राशि	0.00	0.00
अंतिम नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व	(3.20)	0.00

डेरिवेटिव संविदाओं की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

निम्नलिखित तालिका, शेष परिपक्वता के आधार पर बकाया व्युत्पन्न संविदाओं की कल्पित राशियों का सार प्रस्तुत करती है:

31 मार्च 2026

श्रेणी / लिखत	1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
आईआरएस- उचित मूल्य हेज	-	-	-	-	250.00	250.00
सीसीएस -नकदी प्रवाह हेज	57.58	67.74	67.74	595.05	452.03	1,240.13
कुल	57.58	67.74	67.74	595.05	702.03	1,490.13

31 मार्च 2025

श्रेणी/ लिखत	1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
आईआरएस- उचित मूल्य हेज	-	-	-	-	-	-
सीसीएस -नकदी प्रवाह हेज	122.05	45.38	45.38	90.76	214.42	517.99
कुल	122.05	45.38	45.38	90.76	214.42	517.99

12. एआईएफआई द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटन:

क्र.सं.	उधारकर्ता का नाम	एलसी जारीकर्ता बैंक	लाभार्थी का नाम	एलसी राशि	सीजी/एलओसी प्रभावी तिथि	अवधि	एलसी कमीशन	कमीशन भुगतान की आवृत्ति
1.	अयना कड़पा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	इंडसइंड बैंक	क) टॉरेंट इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ख) जयम गैल्वनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ग) एमकेके मेटल सेक्शनस प्राइवेट लिमिटेड	₹ 46,44,74,353.00	17.12.2025	जारी होने की तारीख से 3 साल तक	0.385%	तिमाही
2.	प्रोजेक्ट इलेवन रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	एक्सिस बैंक लिमिटेड	क) आयना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	₹ 94,00,00,000.00	28.08.2025	जारी होने की तारीख से 3 साल तक	0.52%	तिमाही

13. आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आल्को नीति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता पद्धति निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाराशियाँ	34.22	10,730.41	34.22	20,539.20	57,134.98	90,000.26	84,018.21	32,820.96	2,95,312.47
अग्रिम	42,372.69	20,894.62	87,723.94	92,705.24	1,84,772.53	2,30,826.44	1,79,633.23	91,894.19	9,30,822.88
निवेश	83,867.19	0.00	7,455.31	920.52	3,660.49	859.47	1,863.18	4,881.46	1,03,507.62
उधार	74,944.04	6,554.51	1,05,915.84	54,242.52	1,01,747.45	1,53,817.16	92,498.10	69,688.54	6,59,408.15
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा देयताएँ	0.00	0.00	0.00	16.93	40.64	135.48	157.41	889.67	1,240.13

14. प्रारक्षित निधियों से आहरण द्वारा कमी : शून्य**15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 10 जुलाई 2025 के पत्र के माध्यम से, 16 जून 2025 को नाबार्ड के एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों की कमी के कारण 'एसजीएल बाउंसिंग' की घटना होने पर ₹3 लाख का दंड अधिरोपित किया। उक्त दंड का भुगतान 15 जुलाई 2025 को कर दिया गया। बैंक ने तब से अपनी समीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो

16. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहक शिकायतें

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3	22
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	107	71
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	105	90
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5	3

17. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण –

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 28 नवम्बर 2025 के मास्टर निदेश आरबीआई/डॉर/2025-25/328 डॉर.एसटीआर. आरईसी.247/21.04.177/2025-26 (प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025 के अनुसरण में, विशेष प्रयोजन संस्था की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता के अनुपालन हेतु मूल प्रवर्तक द्वारा तुलन-पत्र की तिथि तक बनाए रखे गए कुल एक्सपोजर की राशि है - शून्य.

18. प्रायोजित तुलनपत्रेतर एसपीवी - (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है) - नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कोई भी एसपीवी नहीं है.

19. विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन

19.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन.

लाभ और हानि लेखे में शामिल पिछली अवधि की मदें निम्नलिखित हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
कुल		0.00	0.00

19.2 लेखा मानक 15 - “कर्मचारी लाभ”

लेखा मानक 15(संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन

19.2.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

बैंक की कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में उन कर्मचारियों के लिए पेंशन शामिल है जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं. इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा प्रणाली का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है.

क) प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन अनुमानों का आधार

बीमांकिक अनुमान	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
छूट की दर	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

ख) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,816.75	9,871.46	427.46	416.71	392.00	378.50
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	108.25	98.83	24.05	24.25	9.82	20.07
जोड़ें: गत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	689.93	699.59	28.26	30.63	25.91	27.82
बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.25	704.19	14.03	19.01	73.34	21.73
घटाएँ: प्रदत्त लाभ	(591.51)	(557.32)	(58.93)	(112.61)	(37.08)	(56.12)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	11,030.67	10,816.75	434.85	427.46	463.99	392.00

ग) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	10,381.90	9,746.28	407.94	407.45	30.34	86.58
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	664.67	693.65	26.96	29.95	2.00	6.36
जोड़ें: बैंक द्वारा योगदान	615.52	321.60	31.09	68.78	0.00	0.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(22.39)	177.68	(11.22)	14.37	(0.93)	(1.36)
घटाएँ: प्रदत्त लाभ	(511.10)	(514.34)	(58.93)	(112.61)	(31.41)	(61.24)

घटाएँ: नियोक्ता को देय प्रतिपूर्ति	(80.41)	(42.97)	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	11,048.19	10,381.90	395.84	407.94	0.00	30.34*

* इन निवेशों को वित्तीय विवरणों में बही मूल्य पर दर्शाया गया है. 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार इन निवेशों का बही मूल्य ₹ शून्य (₹10.95 करोड़) है.

घ) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित लाभ	664.67	693.65	26.96	29.95	0.00	6.36
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(22.39)	177.68	(11.22)	14.37	0.00	(1.36)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	642.28	871.33	15.74	44.32	0.00	5.00

ड) मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/ (हानि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन			ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2025-26	2024-25		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि) - दायित्व	(7.25)	(704.19)		(14.02)	(19.01)	(73.34)	(21.73)
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि) - योजनागत आस्तियाँ	(22.39)	177.68		(11.22)	14.37	(0.93)	(1.36)
अवधि के लिए कुल लाभ/ (हानि)	(29.64)	(526.51)		(25.24)	(4.64)	(74.27)	(23.09)
उक्त अवधि में मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(29.64)	(526.51)		(25.24)	(4.64)	(74.27)	(23.09)
वर्ष के अंत में गैर मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

च) तुलन-पत्र में मान्य राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	11,030.67	10,816.75	434.85	427.46	463.99	392.00
घटाएँ: वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य*	11,048.19	10,381.90	395.84	407.94	0.00	0.00*
गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य की जाने वाली निवल (आस्ति)/ देयता	(17.52)	434.85	39.01	19.52	463.99	392.00
तुलन-पत्र में मान्य की जाने वाली निवल (आस्ति)/ देयता	(17.52)	434.85	39.01**	19.52	463.99	392.00

*चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है, इसलिए निवेश के लिए योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य ₹ शून्य (पिछले वर्ष में ₹30.34 करोड़) है तथा इसे इसके बही मूल्य पर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

** उपरोक्त राशि में ₹0.73 करोड़ सम्मिलित नहीं है, जो अनुबंधित कर्मचारियों हेतु ग्रेच्युटी से संबंधित है, जैसा कि अनुसूची-18 के नोट-32 के अंतर्गत प्रकटीकृत किया गया है।

छ) लाभ और हानि लेखे में मान्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्तमान सर्विस लागत	108.25	98.83	24.05	24.25	9.82	20.07
जोड़ें: पिछली सर्विस लागत	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	689.93	699.59	28.26	30.63	25.91	27.82
घटाएँ: योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(664.67)	(693.65)	(26.96)	(29.95)	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष में मान्य निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)	29.64	526.51	25.24	4.64	73.34	21.73
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए जाने वाले व्यय	163.15	631.28	50.59	79.04	109.07	69.62
- जिसमें से, पिछले वर्ष के प्रावधानों में से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- कर्मचारियों से प्राप्त योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित	163.15	631.28	50.59	79.04	109.07	69.62

* चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है तथा बैंक द्वारा किए गए निवेश को उसके बही खातों में निवेश के रूप में रखा जाता है, इसलिए अपेक्षित प्रतिफल तथा बीमांकिक लाभ/ हानि के संबंध में कोई प्रभाव उपर्युक्त तालिका में नहीं माना गया है।

19.2.2 परिभाषित अंशदान योजना :

- क. नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट में रखी गई भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है। परिभाषाओं के अनुसार यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट को ₹75.71 करोड़ (₹30.00 करोड़) का अंशदान किया है।
- ख. 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जो कि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त योजना में ₹46.04 करोड़ (₹25.41 करोड़) का अंशदान किया है।

19.2.3 सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य ₹42.10 करोड़ (₹21.96 करोड़) को लाभ हानि लेख में लेखांकित किया गया है।

19.2.4 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबंधित देयताएँ शामिल हैं।

19.2.5 सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का परिशोधन

सेवानिवृत्ति पश्चात् की समस्त देयताओं को लाभ हानि लेख में प्रभारित किया जाता है और उनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

19.2.6 पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी लाभ निधि का योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश - 31 मार्च 2026 की स्थिति

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी
	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20.19	0.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	41.87	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	0.00	100.00
अन्य	37.94	0.00
कुल	100.00	100.00

19.3 लेखा मानक 17- खंड रिपोर्टिंग

व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है :

- प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिमस बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं।
- पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेत्र बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
- राजकोष: इसमें राजकोष बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है।
- उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड अन्य व्यावसायिक खंड हैं। प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, गैर-आवंटन योग्य व्यय / देनदारियों / आस्तियों सहित शेष राशि को "अन्य व्यवसाय" के तहत समूहीकृत किया जाता है।

(राशि ₹ करोड़ में)

नोट: अनाबंटित आस्तियाँ आस्थगित कर आस्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और अनाबंटित देयताएं आयकर के लिए प्रावधान का प्रतिनिधित्व करती हैं

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक ही सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है।

19.4 लेखा मानक 18 - संबंधित पक्षों का प्रकटन

चूंकि बैंक 'एएस-18' "संबंधित पक्ष लेनदेन" की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों (सहायक कंपनियों सहित) के साथ लेनदेन का विवरण प्रकट नहीं किया गया है।

संबंधित पक्षों की सूची :

19.4.1 इस संस्था के नियंत्रणाधीन कंपनियाँ:

क्रम. सं.	कंपनी	संबंध
1.	नैबफिन्स लिमिटेड	सहायक कंपनी
2.	नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड*	सहायक कंपनी
3.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
4.	नैबवेंचर्स लिमिटेड	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
5.	नैबफाउंडेशन	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
6.	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
7.	सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी

*नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड का नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड के साथ 16 दिसम्बर 2025 से विलय हो गया।

19.4.2 मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी :

क्रम. सं.	पक्ष का नाम	पदनाम
1.	डॉ. शाजी कृष्णन वी	अध्यक्ष
2.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
3.	डॉ. अजय कुमार सूद	उप प्रबंध निदेशक

19.4.3 संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित	सहायक संस्थाएँ	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी @	प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी के रिश्तेदार	कुल
उधार#	-	-	-	-	-
जमाराशि #	-	-	-	-	-
जमाराशियों का नियोजन #	-	-	-	-	-
अग्रिम #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
निवेश #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	333.33	-	-	333.33

		(शून्य)			(शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	333.33	-	-	333.33
		(शून्य)			(शून्य)
गैर-वित्तपोषित वचनबद्धताएँ #	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ #	-	-	-	-	-
प्रदान की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ #	-	-	-	-	-
किराया भुगतान		0.05			0.05
		(शून्य)			(शून्य)
अचल आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
प्राप्त किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
सेवाओं का उपयोग *	-	-	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ति *	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएँ **	-	-	1.21 (1.44)	-	1.21(1.44)

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत पर बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है

* संविदागत सेवाएँ आदि, न कि विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ.

** प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी हेतु पारिश्रमिक.

19.5 लेखा मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखांकन

19.5.1 बैंक एएस 22 “आय पर करों के लिए लेखांकन” के अनुसार समय के अंतर पर आस्थगित कर आस्ति/ देयता को मान्यता देता है. वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹21.16 करोड़ (₹76.28 करोड़) के आस्थगित कर व्यय (प्रभार) को मान्यता दी है. 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्रम. सं.	आस्थगित कर आस्तियाँ	2025-26	2024-25
1.	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	118.36	100.24
2.	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	16.75	13.71
	कुल	135.11	113.95

19.5.2 आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता के लिए मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

19.5.3 चूंकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप हर साल मानक आस्तियों पर प्रावधान करना आवश्यक है. अतः, एएस - 22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं है.

19.6 लेखा मानक 28 - आस्तियों में क्षतिग्रस्तता

बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - “आस्तियों में क्षतिग्रस्तता” लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

20. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लाभ को मान्यता तभी दी जाती है जब कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है.

21. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित निधियों के लंबित उपयोग पर उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज, जहाँ भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशियों पर ब्याज को तत्संबंधी करारों/ प्रबंधन/ निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया. संबंधित निधियों के लिए ब्याज की दरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम. सं.	निधि का नाम	2025-26 के लिए ब्याज दर	2024-25 के लिए ब्याज दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	2.5%	3%
2.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	2.5%	0%
3.	जनजाति विकास निधि	2.5%	3%
4.	वित्तीय समावेशन निधि	0%	3%
5.	जलवायु परिवर्तन-(एफ़बी)-परियोजना निर्माण अनुदान	2.5%	3%
6.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	2.5%	3%
7.	उत्पादक संगठन विकास निधि - ब्याज विभेदक	2.5%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज विभेदक	2.5%	3%
9.	हरित जलवायु निधि परियोजना अनुदान	2.5%	3%
10.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	4.38%	7.83%
11.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	4.38%	7.83%
12.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र	4.38%	7.83%
13.	एग्रीशोर - भारत सरकार निधि	2.5%	0%
14.	सोशल स्टॉक एक्स्चेंज हेतु क्षमता निर्माण निधि	2.5%	0%

22. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) राशि में ₹1.08 करोड़ (₹2.00 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है.

इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधि का नाम	2025-26	2024-25
1.	केएफ़डब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.00	0.92
2.	एनएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	1.08	2.00

23. अनुसूची-8 ‘चालू देयताएँ’ में शामिल ₹236.41 करोड़ की राशि, विभिन्न बैंकों द्वारा जमा किए गए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), गोदाम आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) तथा खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) जमा के संबंध में बैंक को उपलब्ध ब्याज अंतर है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में उक्त निधियों में समायोजित किया जाता है. तथापि, प्रतिवेदन की तिथि तक वर्ष 2025-26 के लिए इस संबंध में कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. जैसे ही ऐसे दिशानिर्देश प्राप्त होंगे, उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार आवंटित किया जाएगा.

24. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभागों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना	2025-26	2024-25
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	548.74	567.95
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	(86.80)	140.96
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	29.97	34.72
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	161.15	126.07
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	85.11	87.68
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	36.65	25.85

25. मौसमी कृषि परिचालनों के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) और एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त देने पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्य राशि ₹88.05 करोड़ (₹115.09 करोड़) है.

26. विभिन्न प्राधिकारियों के पास लंबित आयकर अपीलों को नीचे दर्शाया गया है :

क्रम. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकारी के पास अपील लंबित है	किसके द्वारा अपील की गई	31-03-2026 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)	31-03-2025 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)
1	2002-03	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2	2006-07	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3	2007-08	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4	2008-09	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5	2009-10	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32
8	2011-12	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	51.03	51.03
9	2012-13	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	45.63	45.63
10	2013-14	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	1.70	1.70
11	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	25.55	--
12	2022-23	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	147.78	--
13	2023-24	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	72.20	--

14	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
15	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
16	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
17	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	--	182.64

27. पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹12.56 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है.
28. भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रवि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अभिदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है :
- 28.1 निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.
- 28.2 उस पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि लेखा में 'ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.
- 28.3 आईआरएसी मानदंडों, पूँजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन के लिए 'अनुमन्य अग्रिम'.
29. वर्ष के दौरान, बैंक ने 31 दिसंबर, 2025 तक वेतन समझौते से संबंधित लंबित बकाया के रूप में ₹897.42 करोड़ के किए गए प्रावधान (जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदत्त ₹230.25 करोड़ शामिल हैं) में से ₹503.54 करोड़ का भुगतान कर दिया है. ₹308.86 करोड़ की राशि का प्रत्यावर्तन किया गया है, जिसमें चालू वर्ष से संबंधित ₹230.25 करोड़ तथा पूर्व वर्षों से संबंधित ₹78.61 करोड़ शामिल हैं, तथा इसे कर्मचारी व्यय से समायोजित किया गया है. ₹85.00 करोड़ की शेष राशि अभी भी लेखा पुस्तकों में विद्यमान है, जिसका भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा.
30. वित्तीय विवरणों की तिथि तक चल रही आरआईडीएफ की खेपों (XXVII से XXXI) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में किए गए संवितरणों में से ₹789.39 करोड़ की राशि (₹633.71 करोड़) नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित हैं. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
31. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी. तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1,500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹354.41 करोड़ (₹365.07 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है : एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू, 29, सेनापती बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई- 400028 टेलीफोन: +91 22 6230 0451

32. 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं—वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (सामूहिक रूप से 'श्रम संहिताएँ' कहा गया है)—को अधिसूचित किया, जिनके माध्यम से पूर्व में विद्यमान 29 श्रम कानूनों का समेकन किया गया है। बैंक ने नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों के अनुरूप अनुबंधित कर्मचारियों के लिए ₹0.73 करोड़ की ग्रेच्युटी के संबंध में प्रावधान किया है। तथापि, उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत विस्तृत नियम एवं प्रक्रियात्मक दिशादिशानिर्देश अभी सभी राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाने शेष हैं। अतएव, इन अधिसूचनाओं तथा तत्संबंधी आगामी स्पष्टीकरणों से उत्पन्न अंतिम प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसे उस अवधि के वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से विचारित एवं लेखाबद्ध किया जाएगा, जिसमें वे लागू होंगे।

33. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

34. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/ प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनःसमूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता संख्या: 102306

मुंबई

दिनांक: 26 मई 2026

विनोद चंद्रशेखरन

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद

उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत

उप प्रबंध निदेशक

डॉ. शाजी कृष्णन वी

अध्यक्ष

आर इनिगो अरुल सेलवन

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

26 मई 2026

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड' या 'बैंक') और उसकी सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) और उसकी सहयोगी कंपनी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल हैं (जिसे बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक संस्थाओं और सहयोगी कंपनी के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उल्लिखित समेकित किए गए वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और इसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियम, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तथा आम तौर पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत टिप्पणियों के साथ पठित 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभों और समेकित नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

2. अभिमत का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत दिया गया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह और उसकी सहयोगी कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि नीचे दिए गए "अन्य मामले" अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के साथ-साथ हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मद्दे

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मद्दे वे मद्दे हैं जो 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं। इन मद्दों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं। अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद्दों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला	हमारी लेखापरीक्षा ने किस प्रकार लेखापरीक्षा के इन प्रमुख मामलों को संबोधित किया
अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधान. अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने समूह के लिए अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं. अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में एक उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और समूह को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है. एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता; - ऋण एक्स्पोज़र, काल प्रभावन और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन; - एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित रिवर्सल. चूँकि अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निर्धारण: - के लिए समूह द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है; - का समूह के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अतः हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है. (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 8 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)	निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया - एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए समूह की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुनःसंरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित आरबीआई (आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना. - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधानन के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना. - उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना. - दबावग्रस्तता की पहचान करने के लिए आरबीआई के बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में समूह और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेंशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना. - मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरणों, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना. - ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा समूह के साथ पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के कोई संकेत तो नहीं थे या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है. - समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षाओं और संगामी लेखापरीक्षाओं में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना. - समूह की आरबीआई वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर समूह की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों पर विचार करना. - आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच. - उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना. - क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना और अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य अभिलेखों की जाँच करना. - पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और

	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की. - हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुनः गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.
निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन. निवेशों में समूह द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूँजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. आरबीआई के परिपत्रों और निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय का निर्धारण समाप्त करने और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है. उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए दर्, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दर्, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है. हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों और वीसीएफ) के मूल्यों के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और समूह की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और समूह के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है. (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 7 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)	निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया - मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का रिवर्सल और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया; - इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; - प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर सटीकता और आरबीआई के मास्टर परिपत्रों और निदेशों के अनुपालन का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया; - आरबीआई के परिपत्रों और निदेशों के अनुसरण में मंटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनःगणना के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निष्पादित की गईं; - प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया गया और मंटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनःगणना की गई और यह देखा गया कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.
3. बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ: बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी ('आईटी') की अलग-अलग प्रणालियों पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेसों द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है. वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं: • सीएलएमएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली • नैबराजकोष - राजकोषीय परिचालन • एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन • एफएएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का	निष्पादित की गई मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया - आईटी प्रणाली के परीक्षण और उसकी जाँच तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए हमारे आईटी विशेषज्ञ को शामिल किया गया; - 31 मार्च 2025 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई. - धारक बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; - चुनिंदा आधार पर ब्याज और परिपक्वता की तिथियों की

संसाधन रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/इंटरप्ले. आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएँ. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है. धारक बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रहता है. इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है. इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.	पुनः गणना की गई; - चुनिंदा आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; - मूल वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानि कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके.
---	--

5. समेकित वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मंडल का है जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन शामिल रहते हैं. उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है.

हमें अन्य रिपोर्टें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध होती है तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती.

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' की अपेक्षा के अनुसार इस विषय को अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें.

6. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मंडल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो समूह और उसकी सहयोगी कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इन दायित्वों में समूह और उसकी सहयोगी कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं। ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों और उसकी सहयोगी कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह और उसकी सहयोगी कंपनी की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मर्दों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह और उसकी सहयोगी कंपनी को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग कर लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

धारक बैंक और समूह और उसकी सहयोगी कंपनी में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

7. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन होता है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होता है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी। दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों।

लेखांकन मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णयन क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही:

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा की कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना की गई हो सकती है।
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। ऐसा विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा लेखांकन के निरंतर चल रही संस्था के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता तो विद्यमान नहीं है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में समूह और उसकी सहयोगी कंपनी की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो। अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि भविष्यगत घटनाएँ या परिस्थितियाँ समूह और उसकी सहयोगी कंपनी के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं।
- हम प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी कंपनी के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल धारक बैंक की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार बने रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने रहते हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामलों' के तहत आगे वर्णित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी समुचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम धारक बैंक के अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता और हमारी स्वतंत्रता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहाँ प्रयोजनीय हो वहाँ संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब अत्यधिक विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

8. अन्य मदें

1. बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 (एक) प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया है, जो दिनांक 31 मार्च 2026 तक अग्रिमों का 70.42%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 100%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करते हैं. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर निर्भर किया है, जो हमारे द्वारा नहीं देखे गए हैं, जो प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न किए गए हैं.
2. हमने चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना दिनांक 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार ₹529.80 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹429.14 करोड़ की निवल आस्तियाँ, ₹260.78 करोड़ का कुल राजस्व और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹1.04 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाती हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों के निर्मूलन के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

3. हमने दो सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं में दिनांक 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियाँ ₹11,255.20 करोड़ और निवल आस्तियाँ ₹1,715.51 करोड़, कुल राजस्व ₹1,204.23 करोड़ और कुल निवल नकदी प्रवाह ₹80.83 करोड़ दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों के निर्मूलन के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) के तहत तैयार की गई थी और समेकन के उद्देश्य से, धारक बैंक के प्रबंधन ने भारतीय जीएएपी के तहत अलग वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और वे लेखापरीक्षित नहीं हैं. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचनाएँ समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.
4. समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹2.42 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि एक सहयोगी कंपनी के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिसके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है. ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) के तहत तैयार की गई थी और समेकन के उद्देश्य से, धारक बैंक के प्रबंधन ने भारतीय जीएएपी के तहत अलग वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और वे लेखापरीक्षित नहीं हैं. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचनाएँ समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा उपर्युक्त अभिमत और अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी निम्नलिखित रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है.

9. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बैंक का तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखा, उसके शीर्षों और उप-शीर्षों सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है.

हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक (एएस) 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों हेतु लेखांकन' के अनुसार तैयार किए गए हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के हमारे प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.
- ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है.
- ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि लेखा, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन से मेंटेन की गई प्रासंगिक लेखा बहियों के अनुरूप हैं; और
- घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या: 121750W / W100010

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या : 102306
यूडीआईएन : 26102306VRTQDM8960

स्थान: मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	पूँजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	17,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	71,713.35	64,390.38
3	अल्पांश ब्याज	1A	365.22	339.92
4	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,114.00	16,110.00
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,556.53	6,615.72
6	सरकारी योजनाएँ	4	967.11	723.61
7	जमाराशियाँ	5	2,95,312.47	2,75,991.45
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,46,017.32	3,27,366.25
9	उधार	7	3,15,379.04	2,51,434.55
10	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	28,813.31	26,467.31
	कुल		10,98,318.35	9,86,519.19

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र स.	संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	नकद और बैंक शेष	9	49,926.71	46,026.32
2	निवेश	10	1,03,372.41	91,452.51
3	अग्रिम	11	9,32,548.97	8,40,446.45
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	1013.98	577.72
5	अन्य आस्तियाँ	13	11,456.28	8,016.19
	कुल		10,98,318.35	9,86,519.19
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता संख्या: 102306

मुंबई

दिनांक: 26 मई 2026

विनोद चंद्रशेखरन

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद

उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत

उप प्रबंध निदेशक

डॉ. शाजी कृष्णन वी

अध्यक्ष

आर इनिगो अरुल सेलवन

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

26 मई 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	आय	अनुसूची	2025-26	2024-25
1	ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		52,739.65	51,232.52
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय			
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,422.68	3,017.03
(ख)	निवेशों पर लाभांश		37.32	33.54
(ग)	निवेशों पर छूट		1,313.87	1,332.67
(घ)	निवेशों की बिक्री और परिपक्वता पर लाभ/ (हानि)		1,848.88	912.66
(ङ)	निवेशों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि)		(1,786.00)	554.73
3	अन्य प्राप्तियाँ		2,961.37	2,208.59
	कुल (अ)		61,537.77	59,291.74
क्रम. सं.	व्यय	अनुसूची	2025-26	2024-25
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची-18 का नोट आ - 4 देखें)	14	48,791.92	44,890.91
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	2,456.26	3,374.84
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	280.31	139.69
4	प्रावधान	16	364.31	387.09
5	मूल्यहास और परिशोधन	-	80.14	62.70
	कुल (आ)		51,972.94	48,855.23
6	कर पूर्व लाभ (अ-आ)		9,564.83	10,436.51
7	कर व्यय			
	क) आय कर		2,239.45	2,535.19
	ख) आस्थगित कर (अनुसूची-18 का नोट आ-6 देखें)		(24.23)	59.74
8	कर पश्चात् लाभ		7,349.61	7,841.58
9	घटाएँ: अल्पांश ब्याज		25.02	38.83
10	जोड़ें: एक सहायक कंपनी के लाभ में हिस्सा		2.42	-
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		7,327.01	7,802.75
	समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ	18		

नोट - अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं।

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विनियोजन/ आहरण	2025-26	2024-25
1	वर्ष का लाभ - नीचे लाया गया	7,327.01	7,802.75
2	जोड़ें: लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण (अनुसूची 1 देखें)	332.23	243.50
3	विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	7,659.24	8,046.25
	घटाएँ: निम्नलिखित में अंतरित (अनुसूची 1 और 2 देखें)		

(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	980.00	850.00
(ख)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	31.31	38.43
(ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
(घ)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
(ङ)	सहकारिता विकास निधि	105.25	154.55
(च)	अनुसंधान और विकास निधि	52.48	98.61
(छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि	116.95	0.29
(ज)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	2.60	3.18
(झ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	15.12	34.29
(ञ)	ग्राम्य विकास निधि	37.66	57.69
(ट)	उत्प्रेरक निधि	1.83	2.52
(ठ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.90	3.94
(ड)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	1,000.00
(ढ)	नाबार्ड कार्बन निधि	-	300.00
(ण)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास निधि	-	100.00
(त)	नाबार्ड - ग्रामीण समृद्धि निधि (एन-आरएसएफ़)	200.00	-
(थ)	प्रारक्षित निधि	6,113.14	5,400.75
	कुल	7,659.24	8,046.25

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

रमेश गुप्ता
 साझेदार
 सदस्यता संख्या: 102306
 मुंबई
 दिनांक: 26 मई 2026

आर इनिगो अरुल सेलवन
 मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
 26 मई 2026

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

विनोद चंद्रशेखरन डॉ. अजय कुमार सूद
 मुख्य महाप्रबंधक उप प्रबंध निदेशक
 लेखा विभाग

गोवर्धन सिंह रावत डॉ. शाजी कृष्णन वी
 उप प्रबंध निदेशक अध्यक्ष

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2025 को अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन में परिवर्धन/ से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन से आहरण (प्रतिदान)/ को अंतरित	31.03.2026 को इति शेष
1	प्रारक्षित निधि*	45,775.85	(23.53)	6,170.01	32.24	51,890.09
2	अनुसंधान और विकास निधि	105.14		52.47	51.92	105.69
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	-	74.81

4	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	216.13	0.06	31.31	-	247.49
5	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	-	1,885.70
6	सहकारिता विकास निधि	300.00	-	105.25	105.25	300.00
7	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	14,000.00	-	980.00	-	14,980.00
8	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	300.00	-	116.95	116.95	300.00
9	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	-	2.60	2.60	50.00
10	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	-	15.12	15.12	60.00
11	ग्राम्य विकास निधि	110.00	-	37.66	37.66	110.00
12	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	-	20.00
13	उत्प्रेरक निधि	20.00	-	1.83	1.83	20.00
14	विकास कॉर्पस निधि	5.00	-	-	-	5.00
15	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	-	17.75
16	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	-	0.9	0.9	50.00
17	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-	-	-	1,000.00
18	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-	-	-	300.00
19	क्षेत्रा बैंक विकास निधि	100.00	-	-	-	100.00
20	पीओडीएफ़ - ऋण गारंटी निधि	-	-	-	(0.01)	0.01
21	व्युत्पन्न - बचाव प्रारक्षित निधि (इक्विटी)	-	-	-	3.20	(3.20)
22	नाबार्ड - ग्रामीण समृद्धि निधि (एन-आरएसएफ़)	-	-	200.00	-	200.00
	कुल	64,390.38	(23.47)	7,714.10	367.66	71,713.35
	गत वर्ष	56,589.90	(54.67)	8,098.65	243.50	64,390.38

*नोट: 'प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों' के लिए नाबार्ड अतिरिक्त (सामान्य) विनियमावली, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि लेखे को एक उप-मद के रूप में रखा गया है। चूँकि बैंक में प्रारक्षित निधि में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई भी राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर उसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

समेकित अनुसूची 1अ - अल्पांश ब्याज

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2025 को अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2026 को इति शेष
1	शेयर पूँजी	91.66	(0.57)	-	91.09
2	प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष	248.26	25.87	-	274.13
	कुल	339.92	25.30	-	365.22
	गत वर्ष	307.70	32.22	-	339.92

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2025 को अथ शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण	31.03.2026 को इति शेष
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,505.00	1.00	1.00	14,507.00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,605.00	1.00	1.00	1,607.00
कुल	16,110.00	2.00	2.00	16,114.00
गत वर्ष	16,106.00	2.00	2.00	16,110.00

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2025 को अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त/समायोजित अनुदान	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण/समायोजन	31.03.2026 को इति शेष
अ.	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से अनुदान					
1	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	0.03	-
2	जलवायु परिवर्तन-(एएफबी)- परियोजना तैयारी अनुदान	22.51	0.05	0.56	-	23.12
3	जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.42	88.35	0.13	91.84	0.06
4	ईई को जीसीएफ़ ईई शुल्क अनुदान	-	6.37	-	6.37	0.00*
5	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	-	2.81	-	2.55	0.26
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.35	-	1.84	-	22.19
आ.	अन्य निधियाँ					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,354.82	-	33.36	83.49	1304.69
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	विभेदक ब्याज निधि -टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,086.59	-	26.53	88.00	1025.12
6	वित्तीय समावेशन निधि (i)	3,191.78	259.20	27.05	223.40	3254.63
7	पीओडीएफ़-आईडी	223.65	-	5.36	36.30	192.71
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस् विकास सहयोग परियोजना	68.60	0.81	-	-	69.41
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	20.83	2.49	-	1.09	22.23
10	सहकारी समितियों में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केन्द्र (सी-पेक)	3.77	-	0.17	-	3.94
11	एलटीआईएफ़ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	211.78	15.18	5.29	-	232.25
12	सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.37	-	0.76	0.14	9.99
13	जलवायु परिवर्तन निधि -आईडी (ii)	168.92	-	4.19	6.48	166.63
	कुल	6,615.72	375.26	105.24	539.69	6,556.53
	गत वर्ष	6,691.17	346.00	186.96	608.41	6,615.72

* अनुसूची 18 का नोट आ-1 देखें

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2025 को अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	जमा ब्याज#	निधि से व्यय/ संवितरण	31.03.2026 को इति शेष
अ	सरकारी सब्सिडी योजनाएँ					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	0.11	0.78
2	शीतगृह के लिए पूँजी सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण युक्त पूँजी सब्सिडी	1.01	-	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	0.11	-	0.00*	-	0.11
8	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूँजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूँजी निधि	0.08	0.10	-	0.02	0.16
12	आईएसएम- कृषि विपणन आधारभूत संरचना	11.59	-	0.08	11.15	0.52
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ़ ईडीईजी	0.30	0.10	-	-	0.40
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.10	-	0.01	-	0.11
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बायफ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	1.25	0.45	-	0.02	1.68
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.00*	-	-	-	0.00*

19	पूँजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	0.10	0.55	0.00*	0.20	0.45
20	सीएसएस एमएनआई लाइटिंग योजना 2016 खाता	1.15	-	-	-	1.15
21	कठोर चट्टानी क्षेत्र में भूमिगत जल का कृत्रिम पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
आ	अन्य सरकारी योजनाएँ					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) - 2008	283.94	-	-	-	283.94
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	1.21	-	-	0.73	0.48
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	0.18	600.00	-	600.04	0.14
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.00*	-	-	-	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुत्थान के लिए पैकेज	20.00	-	-	20.00	-
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुत्थान, सुधार और पुनःसंरचना	4.09	-	-	-	4.09
8	व्यापक हथकरघा पैकेज	-	0.01	-	-	0.01
9	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडब्ल्यूआर)	224.10	11,062.65	-	10,720.09	566.66
10	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
11	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना- पैक्स कंप्यूटरीकरण	17.48	65.55	0.22	83.22	0.03
12	एग्रीशोर - भारत सरकार	62.50	20.47	-	71.11	11.86
	कुल	723.61	11,749.88	0.31	11,506.69	967.11
	गत वर्ष	1,506.36	13,054.41	2.02	13,839.18	723.61

अनुसूची 18 का आ - 1 देखें

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	37.10	40.23
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	2,14,547.05	1,94,482.88
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	35,000.00	32,079.11
	घ) अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,500.00	7,023.74
	ड) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,070.00	2,870.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	35,678.32	38,945.49
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	480.00	550.00
	कुल	2,95,312.47	2,75,991.45

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	कर मुक्त बॉण्ड	3,111.50	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	2,07,283.00	1,86,736.30
3	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम-जी- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) बॉण्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,052.87	14,060.00
	कुल	3,46,017.32	3,27,366.25

समेकित अनुसूची 7 - उधार

A.1.1

A.1.2

A.1.3

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	अन्य:		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाणपत्र	57,123.90	37,939.26
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	56,981.23	57,386.19
	(iii) सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो	59,361.98	51,707.99
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	4.66	10.36
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,40,664.33	1,03,869.94
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ	1,240.13	518.00
	कुल	3,15,379.04	2,51,434.55

समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट		
	(क) बॉण्ड और उधार पर उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	10,335.94	9,880.53
	(ख) जमाराशियों पर उपचित ब्याज	2,977.07	2,320.49
2	विविध लेनदार	86.41	188.93
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएमआई)	29.55	7.38
4	सब्सिडी प्रारक्षित निधि	-	22.32
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	45.86	23.78
6	पेंशन के लिए प्रावधान	-	434.85
7	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	468.98	396.92
8	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	234.27	192.17
9	बॉण्डों पर अदावी ब्याज	4.32	4.36
10	परिपक्व किंतु अदावी बॉण्ड	9.93	9.83
11	बॉण्ड प्रीमियम	310.82	80.97
12	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.57	0.24
13	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
	क) निवेश के मूल्य में हास		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	(i) केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	1,659.60	-
	(ii) राजकोष बिल	-	-
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	3.56	12.04
	(v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य - म्यूचुअल फंड्स	8.84	9.63
	ख) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	6.28	6.28
	ग) मानक आस्तियों हेतु	3,760.46	3,572.61
	घ) अनर्जक निवेश	222.21	300.59
	ड) प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण सुरक्षित भंडार/ अस्थायी प्रावधान	2,014.45	2,014.45
	च) अन्य आस्तियों और प्राप्तियों हेतु प्रावधान	6.93	125.40
	छ) आयकर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर को घटाकर]	2,877.34	2,922.99
14	अन्य देयताएँ	3,742.61	3,940.55
15	व्युत्पन्न देयताएँ	7.31	-
	कुल	28,813.31	26,467.31

नोट - अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है

समेकित अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	हाथ में नकदी	0.00*	0.00*
2	निम्नलिखित के पास शेष:		
	(अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	10,026.97	6,568.72
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	7,671.60	4,547.80
	ख) बैंकों में जमा #	32,228.14	33,910.50
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	त्रिपक्षीय रेपो - ऋण वितरण	-	999.30
	कुल	49,926.71	46,026.32

इसमें दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास ₹12,412.88 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 महीने और उससे कम की परिपक्वता के साथ) शामिल हैं (दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹3,650.00 करोड़)

*₹50,000 से कम की राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [अंकित मूल्य ₹6,19,51,23,00,000 (₹5,21,78,15,80,000)]	62,812.50	53,061.47
	ख) राजकोष बिल [अंकित मूल्य ₹1,61,68,24,70,000 (₹1,14,99,23,50,000)]	15,614.37	11,297.96
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	5.00	5.40
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
(क)	कृषि वित्त निगम लिमिटेड [1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	966.28	966.28
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [शून्य (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	-	0.30
(ङ)	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड [56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	16.88	16.88
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इक्विटी [55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के शेयर]	9.75	9.75
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद [4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	0.00*	0.00*
(ज)	नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	1.50	1.50
(झ)	नैशनल ई-रिपोजिटरी लि. [1,05,30,000 (1,05,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क [40,00,000 (40,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]	40.00	40.00
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड [2,87,329 (2,87,329) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	56.76	56.76
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड [23,333 (23,333) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	3.84	3.84
(ड)	फरबाइन प्राइवेट लिमिटेड [5,000 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	0.01	-
(ढ)	सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड [200,000 (शून्य) प्रत्येक ₹100 के शेयर]	2.00	-
(ण)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [100,00,000 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	121.82	-
(त)	भारतीय स्टेट बैंक	20.02	20.02

	[12,79,000 (12,79,000) प्रत्येक ₹1 के शेयर]		
4	सहयोगियों में निवेश		
	सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड		
	[33,33,33,334 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
	निवेशों की लागत	333.33	-
	जोड़ें: पञ्च-अधिग्रहण लाभ/ (हानि) (इक्विटी विधि)	2.42	-
	कुल	335.75	-
5	डिबेंचर और बॉण्ड		
(क)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	10.39	65.19
(ख)	असंपरिवर्तनीय डिबेंचर	441.10	852.99
6	अन्य		
(क)	म्यूचुअल फंड	9,800.65	6,604.32
(ख)	वाणिज्यिक पत्र	556.46	1,453.08
	[अंकित मूल्य ₹5,75,00,00,000 (₹15,00,00,00,000)]		
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र	11,390.05	16,100.04
	[अंकित मूल्य ₹1,16,25,00,00,000 (₹1,64,50,00,00,000)]		
(घ)	उद्यम पूंजी निधि/ एआईएफ़	658.14	575.61
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	-	10.94
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (इन्विटीएस)	1.94	2.00
(छ)	प्रतिभूतिकरण में निवेश - पीटीसी	435.67	236.65
	कुल	1,03,372.41	91,452.51

*₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 11 - अग्रिम

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	पुनर्वित्त ऋण		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,81,068.83	1,69,224.53
(ख)	अन्य निवेश ऋण		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,89,283.02	2,52,632.27
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	33,785.65	27,767.64
2	प्रत्यक्ष ऋण		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,98,551.75	1,84,724.16
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	1,823.75	2,581.85
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	1,986.02	1,687.32
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	53,574.88	40,879.33
(ङ)	उत्पादक संगठनों के अंतर्गत ऋण	0.05	0.14
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा [सीएफ़एफ़]	53,209.55	41,676.56
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	295.36	386.48
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	50,238.16	51,803.83
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	1,171.10	1,366.80
(ठ)	हरित जलवायु निधि (जीसीएफ़) के अंतर्गत ऋण	544.84	517.99
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	3,037.21	2,871.83
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,628.81	1,141.38
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएस)	76.76	65.16
(त)	नाबार्ड हरित ऋण सुविधा (एनजीएलएफ़)	1,155.42	-
(थ)	अन्य ऋण:		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.45	1.66
(ii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.13	0.29
	कुल	9,32,548.97	8,40,446.45

नोट - ₹2,141.46 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹2,241.61 करोड़)

समेकित अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	भूमि: स्वामित्व वाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की नोट आ-8 देखें)		
	अथ शेष	201.23	201.23
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	411.71	-
	उप-जोड़	612.94	201.23
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	6.39	-
	इति शेष (लागत पर)	606.55	201.23
	घटाएँ: लीज प्रीमिया का परिशोधन	66.92	67.15
	बही मूल्य	539.63	134.08
2	परिसर (अनुसूची 18 की नोट आ-8 देखें)		
	अथ शेष	672.34	663.08
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	21.42	9.26
	उप-जोड़	693.76	672.34
	घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	1.80	-
	घटाएँ: बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	691.96	672.34
	घटाएँ: अब तक मूल्यहास	391.01	375.27
	बही मूल्य	300.95	297.07
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	अथ शेष	75.73	73.37
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	5.68	2.55
	उप-जोड़	81.41	75.92
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	2.05	0.19
	इति शेष (लागत पर)	79.36	75.73
	घटाएँ: अब तक मूल्यहास	69.37	68.30
	बही मूल्य	9.99	7.43
4	कंप्यूटर प्रतिस्थापन और कार्यालय उपकरण		
	अथ शेष	305.64	272.63

	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	99.45	40.63
	उप-जोड़	405.09	313.26
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	5.54	7.62
	इति शेष (लागत पर)	399.55	305.64
	घटाएँ: अब तक मूल्यहास	301.81	251.63
	बही मूल्य	97.74	54.01
5	वाहन		
	अथ शेष	16.04	14.92
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	3.97	6.98
	उप-जोड़	20.01	21.90
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	4.56	5.86
	इति शेष (लागत पर)	15.45	16.04
	घटाएँ: अब तक मूल्यहास	6.79	6.03
	बही मूल्य	8.66	10.01
6	जारी पूँजीगत कार्य [जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है]	57.01	75.12
	कुल	1013.98	577.72

नोट - अब तक के मूल्यहास में प्रारंभिक मूल्यहास, परिवर्धन एवं बिक्री पर मूल्यहास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यहास शामिल है।

समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	उपचित ब्याज		
	(क) ऋणों और अग्रिमों पर उपचित ब्याज	4,527.25	4,116.96
	(ख) निवेशों पर उपचित ब्याज	2,156.97	1,859.71
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	4.42	3.75
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	47.47	54.24
4	स्टाफ को आवास ऋण	231.87	188.47
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	97.18	98.10
6	विविध अग्रिम	250.12	250.56
7	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की नोट आ-6 देखें)	172.28	148.66
8	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 की नोट आ-2 और आ-4 देखें)	1,297.65	1,193.46
9	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	49.42	94.98
10	अन्य आस्तियाँ - इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी)	20.84	7.30
11	अन्य आस्ति - एफआईएफ निधि निवेश *	2,500.01	-
12	व्युत्पन्न आस्तियाँ	83.28	-
13	पेंशन के प्रति अग्रिम	17.52	-
	कुल	11,456.28	8,016.19

*अन्य आस्ति- एफआईएफ निधि निवेश विभिन्न बैंकों में रखा जाता है, जिसे अनन्य रूप से नाबार्ड वित्तीय समावेशन निधि के लिए निश्चित किया जाता है. इन निधियों का उपयोग एकमेव रूप से निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित होता है.

समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत जमाराशियाँ	7,627.18	6,752.89
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,662.89	1,975.77
(ग)	अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	343.49	574.67
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	74.42	105.27
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,540.60	1,599.15
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	19.72	19.69
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	1.97	2.35
(ज)	मीयादी मुद्रा उधार	0.31	39.73
(झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की नोट आ-4 और आ-12 देखें)	24,532.00	21,322.39
(ञ)	बैंकों से मियादी ऋण	6,351.84	6,168.07
(ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	8.64	6.20
(ठ)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	-	(0.00)*
(ड)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	1,828.67	2,506.68
(ढ)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	2,995.63	2,020.56
(ण)	रेपो ब्याज व्यय	2.58	10.58
(त)	निधियों पर ब्याज	78.26	186.82
(थ)	प्रतिबद्धता शुल्क - अंतरराष्ट्रीय उधार	2.14	0.24
2	सीबीएलओ/ त्रि-पक्षीय रेपो पर डिस्काउंट	1,636.91	1,505.68
3	बॉण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम व्यय	59.43	76.21
4	स्वैप प्रभार	17.93	17.96
5	व्युत्पन्न/ रक्षित मद उचित मूल्यन	7.31	-
	कुल	48,791.92	44,890.91

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की नोट आ-21 देखें)	955.12	1,431.89
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	359.48	836.10
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	266.02	310.37
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.39	0.42
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों के शुल्क	0.96	1.04
6	किराया, दरें, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	71.68	54.58
7	यात्रा व्यय	82.06	82.46
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	8.28	9.22
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	31.29	32.93
10	मरम्मत और अनुरक्षण	39.31	21.47
11	लेखापरीक्षक शुल्क	0.61	0.56
12	विधिक प्रभार	6.28	5.41
13	विविध व्यय	492.18	460.46
14	विविध आस्तियों पर व्यय	8.98	12.93
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	133.62	115.00
	कुल	2,456.26	3,374.84

समेकित अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	सहकारिता विकास निधि	105.25	54.55
2	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	116.95	0.29
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	2.60	3.17
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	15.12	21.37
5	ग्राम्य विकास निधि	37.66	57.69
6	उत्प्रेरक पूँजी निधि	1.83	2.52
7	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.90	0.10
	कुल	280.31	139.69

समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान:		
1	मानक आस्तियाँ	208.45	241.98
2	अनर्जक आस्तियाँ	167.30	151.61
3	अनर्जक निवेश	(11.44)	2.00
4	निवेश खाते के मूल्य में हास - इक्विटी	-	(8.50)
	कुल	364.31	387.09

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	151.32	68.12
	उप जोड़ "अ"	151.32	68.12
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	28.98	21.94
(ii)	बैंक के समक्ष दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया है	40.52	6.00
(iii)	लंबित विधिक मामले, आयकर अपीलों सहित	415.01	415.19
	उप जोड़ "आ"	484.51	443.13
	कुल (अ + आ)	635.83	511.25

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2025-26	2024-25
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखों के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	9,564.83	10,436.51
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास और परिशोधन	80.13	62.70
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	155.86	153.61
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	208.44	241.98
निवेश खाते के मूल्य में हास - इक्विटी	-	(8.50)
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)	1.14	(1.11)
विभिन्न निधियों में जमा किया गया ब्याज	105.56	188.99
निवेशों से आय	(5,836.74)	(5,850.64)
बॉण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन	(107.01)	(16.80)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन से पहले का परिचालन लाभ	4,172.21	5,206.74
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	7,071.19	(8,451.28)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	2,128.57	1,510.13
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(92,531.11)	(44,239.49)
परिचालन गतिविधियों से अर्जित नकदी	(79,159.14)	(45,973.90)
प्रदत्त आय कर (प्रतिदान को घटाकर)	(2,285.10)	(2,613.77)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(81,444.24)	(48,587.67)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेशों की खरीद (निवेशों की बिक्री को घटाकर)	(11,974.65)	(22,024.88)
निवेशों से आय	5,836.74	5,850.64
अचल आस्तियों की खरीद	(524.12)	(77.64)
अचल आस्तियों की बिक्री	7.05	2.81
निवेश गतिविधियों से प्रयुक्त/ अर्जित निवल नकदी(आ)	(6,654.98)	(16,249.07)
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	528.61	(1,045.19)
बॉण्डों से प्राप्त राशि (चुकौती को घटाकर)	18,651.07	41,273.43
उधारराशियों से प्राप्त राशि (चुकौती को घटाकर)	64,943.80	56,652.15
जमाराशियों से प्राप्त राशि (चुकौती को घटाकर)	19,321.03	(25,966.62)
प्रारक्षित निधि से आहरण/ में परिवर्धन	0.00*	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(0.37)	(6.61)
वित्तपोषण गतिविधियों से वर्धित निवल नकदी (इ)	1,03,444.14	70,907.16
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	15,344.92	6,070.42
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	14,766.52	8,696.10
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	30,111.44	14,766.52

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	2025-26	2024-25
हाथ में नकदी	-	-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	10,026.97	6,568.72
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	7,671.59	4,547.80
बैंकों के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	12,412.88	3,650.00
कुल	30,111.44	14,766.52

* ₹1.00 लाख से कम की राशि को दर्शाता है

नोट: उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है, जैसा कि एएस-3 “नकदी प्रवाह विवरण” में निर्धारित है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता संख्या: 102306

दिनांक: 26 मई 2026

विनोद चंद्रशेखरन

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद

उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत

उप प्रबंध निदेशक

डॉ. शाजी कृष्णन वी

अध्यक्ष

आर इनिगो अरुल सेलवन

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

26 मई 2026

अनुसूची 18

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का भाग हैं

अ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (धारक बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखांकन नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21-“समेकित वित्तीय विवरण” और लेखांकन मानक 23-“समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों हेतु लेखांकन” के अनुसार तैयार किए गए हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में नाबार्ड ("धारक बैंक" या "नाबार्ड") और उसकी सहायक कंपनियों और उसकी सहयोगी कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण शामिल हैं जो "समूह" के रूप में संदर्भित हैं। समान लेनदेनों तथा एकसमान परिस्थितियों के लिए एक समेकित वित्तीय विवरण समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उन्हें उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है। सहायक संस्थाओं और सहयोगी कंपनियों से संबंधित आँकड़ों की प्रस्तुति को बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

समेकन में सहायक संस्थाओं और सहयोगी कंपनियों के जिन वित्तीय विवरणों का उपयोग किया गया है वे उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए गए हैं जिस तिथि तक बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं।

लेखांकन मानक-21 'समेकित वित्तीय विवरण' के पैरा 6 की व्याख्या इस प्रकार है:

“मूल उद्यम और उसकी सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाने वाली सभी टिप्पणियों को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, टिप्पणियों और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री, जो उनका एक अभिन्न अंग हैं, के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाए:

क) समेकित वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक टिप्पणियों को समेकित वित्तीय विवरणों में उनके अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया जाए।

ख) केवल उन्हीं टिप्पणियों का प्रकटन किया जाए जिनमें ऐसी मद्दे शामिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इस उद्देश्य के लिए महत्ता का आकलन समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के संदर्भ में किया जाता है। इसे देखते हुए, यह संभव है कि कुछ ऐसी टिप्पणियाँ हों, जो मूल कंपनी या सहायक संस्था के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई हों, किंतु समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्ता का आकलन किए जाने पर उन सूचनाओं को समेकित वित्तीय विवरणों में दिए जाने की आवश्यकता न हो।

ग) सहायक संस्थाओं तथा/ अथवा मूल कंपनी से संबंधित अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ, जो उनके अलग वित्तीय विवरणों में दी गई हों परंतु जिससे समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है, को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है।”

वित्तीय विवरणों का समेकन एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण' में उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति जोड़ा गया है जिसमें अंतःसमूह शेषों और अंतःसमूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को जोड़ दिया गया है। अंतःसमूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा अंतःसमूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है, जब तक कि लागत न वसूल की जा सके।

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के निवेश की लागत से आधिक्य/ कमी को प्रारक्षित निधियों और अधिशेष/ गुडविल में दर्शाया गया है।

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में अल्पांश ब्याज के हिस्से की पहचान की गई है और शेयरधारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायेजित किया गया है। समेकित सहायक संस्थाओं की हानियों में अल्पांश ब्याज का हिस्सा, यदि इक्विटी में अल्पांश ब्याज के हिस्से से अधिक होता है, तो अल्पांश ब्याज से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के ब्याज के समक्ष समायोजित किया गया है।

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पांश ब्याज का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है।

एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' के पैरा 7 के अनुसार "एक सहयोगी संस्था में निवेश को इक्विटी विधि के तहत समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाना चाहिए"। तदनुसार, सहयोगी संस्था में निवेश को उपर्युक्त मानक के अनुपालन में इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस विधि के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में सहयोगी के पञ्च-अधिग्रहण लाभ या हानि के समूह के शेयर को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। निवेश की वहन राशि को प्राप्त लाभांश और सहयोगी की निवल संपत्ति में अन्य परिवर्तनों के लिए भी समायोजित किया जाता है।

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ और सहयोगी संस्थाएँ शामिल हैं:

सहायक संस्था/ सहयोगी संस्था का नाम	फ्रेमवर्क	समेकन हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
				2025-26	2024-25
अ. सहायक संस्था					
नैबकिसान फाइनेंस लि. (नैबकिसान)	आईएनडी एस	नहीं*	भारत	89.12	87.77
नैबसमृद्धि फाइनेंस लि. (नैबसमृद्धि)	आईएनडी एस	नहीं*	भारत	--	91.09
नैबफिन्स लिमिटेड (नैबफिन्स)	आईएनडी एस	नहीं*	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	आईजीएपी	हाँ	भारत	100	100

(नैबकॉन्स)					
नैबवेंचर्स लि. (नैबवेंचर्स)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबफ़ाउंडेशन	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
आ. सहयोगी संस्था					
सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड (दिनांक 21 जुलाई 2025 से प्रभावी)	आईएनडी एस	नहीं*	भारत	41.50	--

* आईएनडी एस के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधित सहायक संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। तथापि, वित्तीय विवरणों के समेकन के प्रयोजन के लिए चूँकि आईएनडी एस नाबार्ड पर लागू नहीं होता है। इसलिए हमने आईजीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया है जो संबंधित सहायक संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं और लेखापरीक्षित नहीं हैं।

** नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड का दिनांक 16 दिसंबर 2025 से प्रभावी रूप में नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड के साथ विलत किया गया।

नाबार्ड, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल) के 30% शेयर धारित करता है। एस 23- 'समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध इकाइयों में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार, यदि निवेशक, निवेशिती में 20% अथवा उससे अधिक की वोटिंग शक्ति रखता है, तो वहाँ सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स माना जाता है। तथापि, नाबार्ड का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में एक 'गैर-कार्यपालक निदेशक' के रूप में है। अतः नाबार्ड एआईसीआईएल पर सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स का प्रयोग नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप एआईसीआईएल के वित्तीय विवरण समेकित नहीं किए गए हैं।

4. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा आकस्मिक देयताओं की प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होते हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं।

5. राजस्व निर्धारण:

5.1 नकदी के आधार पर लेखांकित निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.
- देय ऋणों की प्राप्ति में विलंब या ऋण के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.
- विभिन्न निधियों में से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.
- किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

- 5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. लागू स्टाम्प शुल्क सहित, बॉण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.
- 5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.
- 5.4 i) उद्यम पूँजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.
ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-श्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.
- 5.5 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:
- दंडात्मक ब्याज
 - लागत और प्रभार
 - अतिदेय ब्याज और ब्याज
 - मूलधन
- 5.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.
- 5.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ ड्रिंकी प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:
- संबन्धित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.
 - न्यायालय से विशिष्ट निदेशों के न होने पर, उक्त बिन्दु 5.4 के अनुसार.
- 5.8 नैबकॉन्स - सेवाओं से आय**
- 5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए आय के मुख्य स्रोत उसे सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय हैं. संबंधित सहमति ज्ञापनों/ कार्य-आदेश में उल्लिखित माइलस्टोनों के आधार पर आय का निर्धारण परियोजना से परियोजना अलग-अलग होता है. जिन मामलों में माइलस्टोन आधारित आय निर्धारण उपलब्ध नहीं है, वहाँ निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू होंगे:
- विशिष्ट कार्यों पर अर्जित राजस्व तथा उनसे संबंधित व्ययों को उस समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित कार्य पूर्ण हो जाते हैं. किसी कार्य को तब पूर्ण माना जाता है जब:
- डीपीआर तैयार करने के मामले में, पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करने के बाद - शिघ्रातिशीघ्र.
 - अन्य कार्यों के मामले में, जहाँ कार्य का निष्पादन किसी अवधि के तहत फैला हुआ होता है, ऐसे मामलों में पूर्ण किए गए माइलस्टोनों, निष्पादन की स्थिति और पूर्ण हुई अवधि के आधार आय का निर्धारण किया गया.
 - यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा के रूप में हो, तो ऐसे मामले में पूर्ण हो चुकी अवधि के अनुपात में आय का निर्धारण किया गया.
 - एकाधिक परियोजनाओं के विलय और उभयनिष्ठ समूह को प्रभारित व्यय आदि जैसे कुछ कारणों को दृष्टि में रखते हुए, परियोजना वार आय/ व्यय के तहत कुछ विचलन हो सकता है, जिसे समय के साथ/ परियोजना की अवधि में समायोजित किया गया.
- 5.8.2 कंपनी की नीति के अनुसार, जिन कार्यों को जारी रखे जाने की संभावना नहीं थी उन्हें “जैसा है जहाँ है” आधार पर बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है.

- 5.8.3 वर्तमान में चल रहे जिन कार्यों के लिए ऊपर प्रकटित कंपनी की नीति के अनुसार आय निर्धारण के लिए मानदंडों/ माइलस्टोन को पूरा नहीं किया गया है, उनके लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम की कोई राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है। इस प्रकार के कार्यों पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है और कंपनी की नीति के अनुसार, इसे उस वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाएगा जिसमें तदनुसूची आय को लेखांकित किया जाएगा।
- 5.8.4 नैबकॉन्स को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, नैबकॉन्स आबंटित राज्यों के संबंध में कुल परियोजना लागत की 1.5% (जीएसटी सहित) की दर से अनुप्रवर्तन लागत प्राप्त करने के लिए पात्र है, जिसे एसआरएलएम/ एसएसडीएम को जारी प्रत्येक किश्त के जारी/ मंजूर किए जाने के समय आय के रूप में लेखांकित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नैबकॉन्स को विविध राज्यों द्वारा भी तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे प्राप्त आय का निर्धारण एसआरएलएम/ एसएसडीएम के साथ निष्पादित सहमति ज्ञापन में विनिर्दिष्ट सहमत शर्तों के अनुसार किया गया।
- इस प्रकार, नैबकॉन्स ने एमओआरडी/ एसआरएलएम से प्राप्त ऐसी आय का निर्धारण किया है, जो या तो स्वीकृत है या देय है, किंतु प्रशासनिक कारणों, धन की कमी आदि के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, नैबकॉन्स ने परियोजना मूल्यांकन एजेंसी का कार्य भी किया है। परियोजना मूल्यांकन से संबंधित आय का निर्धारण परियोजना का कार्य पूरा होने/ पीआईए से शुल्क की प्राप्ति के समय पर किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 को रोल-आउट करने की प्रक्रिया में है। इस कार्यक्रम का निष्पादन दिनांक 31.03.2028 तक किया जाना है।
6. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)**
- 6.1 अचल आस्तियों को, संचित मूल्यहास और क्षत हानियों, यदि कोई हों, को घटाने के बाद, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में संबंधित आस्तियों के अधिग्रहण और संस्थापन से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। मौजूदा आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूँजीकृत किया गया जब, मौजूदा आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है।
- 6.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है।
- 6.3 जहाँ पहले से अलग-अलग मूल्य उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है।
- 6.4 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यहास की नीति में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधन किया गया है और मूल्यहास की गणना 30 वर्षों की अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है।
- 6.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर अदा किए गए प्रारंभिक पट्टा अधिमूल्य को पट्टे की अवधि के लिए 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या पट्टे की शेष अवधि पर शेष पट्टा अधिमूल्य की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है।
- 6.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से सुवाह्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है। सरलता से सुवाह्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूँजीकृत

किया गया जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक हो. ₹1 लाख और उससे कम की लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

- 6.7 धारक बैंक के मामले में, अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	मूल्यहास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- 6.8 आस्तियों के मूल्यहास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूँजीकृत किया जाता है. यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.
- 6.9 चल रहे पूँजीगत कार्य में पूँजीगत अग्रिम शामिल हैं और उसे अचल आस्तियों के तहत प्रकटित किया गया है.
- 6.10 सहायक कंपनियों के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यहास की गणना निम्नानुसार की गई है:

सहायक कंपनी का नाम	मूल्यहास की पद्धति
नैबकिसान	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबफिन्स	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबकॉन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबवेंचर्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति और अवलिखित मूल्य
नैबफाउंडेशन	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबसंरक्षण	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

- 7.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन “निपटान तिथि” पर दर्ज किए जाते हैं.
- 7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को “व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)”, “बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)” और “परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (जिन्हें आगे “श्रेणियाँ” कहा गया है).
- 7.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यतः क्रय की तिथि से 90 दिन के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित होती हैं उन्हें “एचएफटी” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक अपने पास रखना चाहता है उन्हें “एचटीएम” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें “एएफएस” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.
- 7.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या उससे कम है उन्हें अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. “एचटीएम” श्रेणी के अंतर्गत, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, की स्थिति में यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आई है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.
- 7.5 “एचटीएम” के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया गया है.

- 7.6 “एफएस” के अंतर्गत निवेशों को “भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ” (एफआईएमएडीए) और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए मार्क किया गया है। यदि कोई निवल मूल्यहास है, तो “एफएस” के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- 7.7 “एचएफटी” के अंतर्गत निवेशों को “भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ” (एफआईएमएडीए) और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए मार्क किया गया है। “एचएफटी” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में यदि कोई निवल मूल्यहास है तो उसे दर्ज किया गया और उसमें मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्यों में परिवर्तन किए गए हैं।
- 7.8 राजकोष बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारित लागत पर किया गया है।
- 7.9 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है, यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो उद्धृत न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है।
- 7.10 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।
- 7.11 शेयर बाजार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज राशि को पूंजीकृत किया गया है।
- 7.12 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है।
- 7.13

क्र. सं.	मौजूदा श्रेणी	प्रस्तावित श्रेणी	लेखांकन नीति
1.	एफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो। ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यहास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
2.	एचटीएम	एफएस/ एचएफटी	बही मूल्य / परिशोधित लागत पर अंतरण। ऐसी प्रतिभूतियों का, अंतरण के फसलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा।
3.	एफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एफएस	बही मूल्य पर अंतरण। अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यहास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यहास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है।

- 7.14 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।
- 7.15 निवेशों के लेखांकन के लिए भारत औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है।
- 7.16 उद्यम पूँजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।
- 7.17 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप, निवेश, आय के उचित प्रावधानीकरण/ आय के अमान्यकरण के अधीन होते हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/ प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के विषय में मूल्यवृद्धि के समक्ष प्रतिलुलित नहीं किए जाते हैं।
यदि किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए के रूप में दर्ज है, तो उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा।
प्रतिभूतियों, यानी, बॉण्डों, डिबेंचरों आदि के मामले में, जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वार्टीएम या आईआरएसी मानदंडों, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर प्रावधान किया गया है।
- 7.18 पुनःक्रय/ प्रतिवर्ती पुनःक्रय के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक युक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/ खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को पुनःक्रय/ प्रतिवर्ती पुनःक्रय खातों और प्रति-प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है। लागत और राजस्व की गणना यथास्थिति ब्याज व्यय/ आय के रूप में की जाती है।
- 7.19 हेजिंग प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न लेनदेन किए जाते हैं।
- 7.20 नैबसंरक्षण के मामले में, म्यूचुअल फंडों के विमोचन पर लाभ या हानि की गणना हेतु प्रथम-प्रविष्टि-प्रथम-निर्गम (एफआईएफओ) के आधार शामिल लागत पर विचार किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेनों का लेखांकन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव” पर एएस-11 के अनुसार किया गया है।
- 8.1 विदेशी मुद्रा के लेनदेन को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर संबंधित विदेशी मुद्राओं में खाता-बही में दर्ज किया जाता है। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों और गारंटियों के संबंध में की जाती है; स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्वों की गणना फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (‘एफ़ईडीआई’)/ ब्लूमबर्ग द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दर पर की जाती है।
- 8.2 मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को एफ़ईडीआई/ ब्लूमबर्ग द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लाभ/ हानि को लाभ और हानि लेखों में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा और चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) पर पुनर्मूल्यांकन अंतर को समायोजित किया जाता है और विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए खोले गए और अनुरक्षित किए गए एक विशेष खाते में दर्ज किया जाता है।

9. बचावों/ व्युत्पन्नों हेतु लेखांकन

- 9.1 बैंक द्वारा निष्पादित बचावों का लेखांकन, प्रयोज्य लेखांकन मानकों और उनकी मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप और करार के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।
- 9.2 बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट (2021 में संशोधित) की आवश्यकताओं को अपनाया है। बैंक अपनी व्युत्पन्न आस्तियों और देयताओं को अलग-अलग लाइन मदों के रूप में प्रस्तुत करता है। बैंक उक्त मार्गदर्शी नोट की बचाव संबंधी लेखांकन अपेक्षाओं के अनुपालन में अपनी देयता के वहन मूल्य में समायोजन करता है।

10. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

- 10.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- 10.2 अग्रिमों की पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।
- 10.3 अग्रिमों को, अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है।
- 10.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ और हानि लेखे को प्रभारित किया गया है।
- 10.5 भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के प्रति सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में "वर्तमान देयताएँ और प्रावधान" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक के कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है।

11.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबद्धाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की है।

11.2 सेवानिवृत्ति पश्चात् के लाभ:

i) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) प्रारंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई एक परिभाषित अंशदान योजना "एनपीएस-कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है। निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

- (क) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है. योजना के लिए निधि बैंक द्वारा प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखे में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.
- (ख) 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखे में उपचय आधार पर दर्शाया गया है.

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों और सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए पात्र हैं. इन दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखे में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है.

12. आय पर कर

- 12.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप परिगणित कर-योग्य आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणामों के आधार पर किया गया है.
- 12.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तिथि को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है.
- 12.3 अनवशोषित मूल्यहास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.
- 12.4 निधियों द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर प्रदत्त / प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

13. खंड रिपोर्टिंग

- 13.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है.
- 13.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड में विनियोज्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं. जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी भी खंड के तहत विनियोज्य नहीं किया जा सकता है उसे “अन्य अविनिधानीय बैंक आय” के तहत शामिल किया गया है.
- 13.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड में विनियोज्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी भी खंड को विनियोज्य नहीं किया जा सकता है, उन्हें “अन्य अविनिधानीय व्यय” में शामिल किया गया है.

- 13.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंडों से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल होती हैं। अविनिधानीय आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी भी खंड में विनियोज्य नहीं किया जा सकता है।

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

- 14.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की वहन राशि की जाँच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है, ताकि:
- क) यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सके; अथवा
 - ख) पिछली अवधियों में निर्धारित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके।
- 14.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई जब किसी आस्ति की वहन राशि उससे वसूली-योग्य राशि से अधिक हो जाती है।
15. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ**
- 15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को माना जाता है जिनका आकलन काफी हद तक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके, यदि:
- क) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व हो।
 - ख) उस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन संभावित हो; और
 - ग) उसे दायित्व की राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता हो।
- 15.2 आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्नलिखित मामलों में किया गया है:
- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व, जब यह संभावना न हो कि उस दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी,
 - ख) कोई वर्तमान दायित्व, जब कोई भी विश्वसनीय अनुमान संभव न हो, और
 - ग) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जहाँ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य हो।
- 15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उन्हें प्रकट किया जाता है।
- 15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

- (क) नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी और अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं।
- (ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है। उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

17. पूर्व अवधि आय/ व्यय

- पूर्व-अवधि प्रकृति की आय/ व्यय की मदों को अलग से केवल तभी प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व-अवधि आय/ व्यय सकल आय से 0.5% अधिक हो।

18. भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) का कार्यान्वयन

- एमसीए द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक से 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधियों के लिए इंड एस आधारित वित्तीय विवरण, साथ ही 31

मार्च 2018 को समाप्त होने वाली अवधि और उसके बाद के तुलनात्मक विवरण तैयार करना अपेक्षित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया गया है।

आ. समेकित वित्तीय विवरणों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

1. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य इकाइयों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है और निम्नलिखित निधियों को, संबंधित योजनाओं के संबंध में उपयोग लंबित रहने तक इन इकाइयों की ओर से, उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और यथा लागू अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज सहित धारित करता है। अप्रयुक्त शेष राशियों पर ब्याज को तत्संबंधी करारों/ प्रबंधन/ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया है। संबंधित निधियों के लिए ब्याज की दरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निधि का नाम	2025-26 के लिए ब्याज की दर	2024-25 के लिए ब्याज की दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	2.5%	3%
2.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	2.5%	0%
3.	जनजाति विकास निधि	2.5%	3%
4.	वित्तीय समावेशन निधि	0%	3%
5.	जलवायु परिवर्तन - (एफ़बी) - परियोजना तैयारी अनुदान	2.5%	3%
6.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	2.5%	3%
7.	उत्पादक संगठन विकास निधि - ब्याज विभेदक	2.5%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज विभेदक	2.5%	3%
9.	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	2.5%	3%
10.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	4.38%	7.83%
11.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	4.38%	7.83%
12.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र (सी-पेक)	4.38%	7.83%
13.	एग्रीशोर-भारत सरकार की निधि	2.5%	0%
14.	सोशल स्टॉक एक्स्चेंज हेतु क्षमता निर्माण निधि	2.5%	0%

2. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य राशि में ₹1.08 करोड़ (₹2.00 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है। इन निधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	निधि का नाम	2025-26	2024-25
1.	केएफ़डब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.00	0.92
2.	एनएएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	1.08	2.00

3. अनुसूची 8 “चालू देयताएँ” में शामिल ₹236.41 करोड़ की राशि ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ़) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) के संबंध में बैंक को उपलब्ध ब्याज अंतर की राशि है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में इन निधियों में जमा किया जाता है। तथापि, इस रिपोर्ट की तिथि तक वर्ष 2025-26 के लिए ऐसा कोई भी निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी ऐसे निदेश प्राप्त होंगे, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रभाजित किया जाएगा।

4. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता की राशि के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्रम. सं.	योजना	2025-26	2024-25
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	548.74	567.95
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	(86.80)	140.96
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)	29.97	34.72
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	161.15	126.07
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)	85.11	87.68
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)	36.65	25.85

5. ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत मौसमी कृषि परिचालनों हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और एनआरएलएम योजना के वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों और जिमस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्वित्त संवितरण पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है। भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत ₹88.05 करोड़ (₹115.09 करोड़) की राशि प्राप्त हुई/ प्राप्य है।
6. बैंक ने लेखांकन मानक 22 “आय पर करों का लेखांकन” के अनुसरण में समय अंतर विधि द्वारा आस्थगित कर आस्ति/ देयता को मान्यता दी है। वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि लेखे में ₹24.23 करोड़ (₹59.73 करोड़) के आस्थगित कर व्यय को दर्शाया है। दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियाँ	2025-26	2024-25
1	भुगतान के आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	121.95	102.46
2	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	16.75	13.70
3	अन्य	33.58	32.50
	कुल	172.28	148.66

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के तहत आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि से आहरित न करने का निर्णय लिया है।

चूँकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष मानक आस्तियों पर प्रावधान सृजित करना आवश्यक होता है। अतः, लेखांकन मानक-22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं रहती है।

7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आय कर अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकरण में अपील लंबित है	किसके द्वारा अपील की गई है	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2026 तक की स्थिति	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2025 तक की स्थिति
1.	2002-03	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2.	2006-07	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3.	2007-08	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4.	2008-09	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5.	2009-10	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6.	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7.	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32
8.	2011-12	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	51.03	51.03
9.	2012-13	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	45.63	45.63
10.	2013-14	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	1.70	1.70
11.	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	25.55	--
12.	2022-23	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	147.78	--
13.	2023-24	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	72.20	--
14.	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
15.	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
16.	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
17.	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	--	182.64

8. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹12.56 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है.
9. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में ऐसी कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखांकन मानक 28-“आस्तियों में क्षतिग्रस्तता” लागू हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.
10. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) की खरीद के माध्यम से इन एजेंसियों को प्रदत्त परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:
 - क) निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ‘डिबेंचर और बॉण्ड’ शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है’.
 - ख) एसडीडी पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि लेखे में ‘ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज’ के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे ‘मानित अग्रिम’ माना गया है.
 - ग) आईआरएसी मानदंडों, पूँजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना आदि के प्रयोजन के लिए ‘मानित अग्रिम’.
11. वित्तीय विवरणियों की तिथि तक, आरआईडीएफ की चल रही वर्तमान खेपों (XXVII से XXXI) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में संवितरित राशि में से ₹789.39 करोड़ (₹633.71 करोड़) की राशि अभी तक शुरू नहीं हुई परियोजनाओं से संबंधित है. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के

समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

12. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 फरवरी 2016 की अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत लाभ प्रदान करने वाले ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में चुकौती-योग्य ₹1500 करोड़ की राशि निजी तौर पर आबंटन के माध्यम से तथा 10 और 15 वर्ष की अवधि में चुकौती-योग्य ₹3,500 करोड़ की राशि सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई। ये कर मुक्त बॉण्ड, प्रतिभूत, मोचनीय और असंपरिवर्तनीय प्रकृति के हैं। ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर सममात्रा प्रभार के समक्ष प्रतिभूत हैं और साथ ही नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋणों पर प्रथम ऋण-प्रभार हैं। चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹354.41 करोड़ (₹365.07 करोड़) है। डिबेंचर न्यासी का विवरण अग्रलिखित है: **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड**, द रुबी, द्वितीय तल, एसडबल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई-400028, टेलीफोन: +91 22 6230 0451.
13. उद्यम पूँजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से संबंधित 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 के निबंधनों के अनुसार, एआईएफ की इकाइयों में निवेश की गई ₹180.24 करोड़ (₹20.98 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्वता तक धारित श्रेणी से हटाकर बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में रखा गया है।
14. (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत उधार के समक्ष संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	300.00 (237.00)	304.54 (237.69)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	67,024.29 (56,100.51)	90,031.65 (68,247.12)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) चूक निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - चूक निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के अंतर्गत अंतर्दिवसीय सीमा के समक्ष संपार्श्विक प्रतिभूति रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
अंतर्दिवसीय सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	5,168.17 (5,168.17)	5,358.42 (5,396.34)

15. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	208.45	241.98
दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया मानक आस्तियों के लिए कुल प्रावधान	3,760.46	3,572.61

16. (i) अस्थायी प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(क)	अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष	2,000.00	2,000.00
(ख)	लेखांकन वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रमात्रा #	0.00	0.00
(ग)	लेखांकन वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम की गई राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	2,000.00	2,000.00

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान सृजित करने का निर्णय लिया, ताकि किसी अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थिति में उनका उपयोग किया जा सके.

(ii) प्रतिचक्रीय सुरक्षा: ₹14.45 करोड़ (₹14.45 करोड़)**17. अनर्जक आस्तियाँ:**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26*	2024-25*
(i)	निवल निवेश के समक्ष निवल एनपीआई (%)	0.00	0.00
(ii)	एनपीआई में घट-बढ़ (सकल)		
(क)	अर्थ शेष	2,540.87	2,419.25
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	201.58	247.49
(ग)	बढ़े खाते डाली गई/ वसूलियाँ	(264.48)	(125.87)
(घ)	इति शेष	2,477.97	2,540.87
(iii)	निवल एनपीआई में घट-बढ़		
(क)	अर्थ शेष	97.57	25.10
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	39.05	96.81
(ग)	वर्ष के दौरान कमियाँ	(39.32)	(20.57)
(घ)	इति शेष	97.30	101.34
(iv)	एनपीआई के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान से इतर)		
(क)	अर्थ शेष	2,443.29	2,394.15
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	189.85	160.87
(ग)	बढ़े खाते डाली गई/ वसूलियाँ	(252.47)	(111.73)
(घ)	इति शेष	2,380.67	2,443.29

* इन आँकड़ों में अनर्जक निवेश शामिल है.

18. दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटन और रिपोर्टिंग निदेश 2025) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटन दिए जाने अपेक्षित हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया और अंतः उक्त को टिप्पणियों में शामिल नहीं किया गया है।
19. चार सहायक कंपनियों के मामले में, मूल्यहास के लिए अवलिखित मूल्य पद्धति के उपयोग से प्रावधान किया गया है और इसे सीधी रेखा पद्धति के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजित नहीं किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
20. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत लाभ को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा उसका लाभ उठाया जाता है।
21. वर्ष के दौरान, समूह ने वेतन समझौते के बकायों के भुगतान के लिए 31 दिसंबर 2025 तक सृजित किए गए ₹897.42 करोड़ के प्रावधान (जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए ₹230.25 करोड़ के प्रावधान भी शामिल हैं) में से ₹503.54 करोड़ का भुगतान किया है। ₹308.86 करोड़ की राशि को रिवर्स कर दिया गया है, जिसमें चालू वर्ष से संबंधित ₹230.25 करोड़ और पिछले वर्षों से संबंधित ₹78.61 करोड़ शामिल हैं, और इसे कर्मचारी लागत से घटा दिया गया है। ₹85.00 करोड़ की शेष राशि अभी भी बही-खातों में पड़ी हुई है, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
22. लाभ और हानि लेखे में शामिल पूर्वावधि मदें निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	(0.00)	(0.00)

23. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष प्रकटन

चूँकि बैंक, लेखांकन मानक -18 “संबंधित पक्ष लेनदेन” के अर्थ में एक राज्य नियंत्रित उद्यम है, अतः अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों (उनकी सहायक कंपनियों सहित) के साथ किए गए लेनदेनों के विवरण नहीं दिए गए हैं।

23.1 सहयोगी कंपनी:

सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड

23.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नाबार्ड):

पक्ष का नाम	पदनाम
डॉ. शाजी कृष्णन वी	अध्यक्ष
श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
डॉ. अजय कुमार सूद	उप प्रबंध निदेशक

23.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (सहायक कंपनियाँ)

सहायक कंपनी का नाम	पक्ष का नाम	पदनाम
नैबकॉन्स	श्री नीरज कुमार वर्मा (दिनांक 29 अगस्त 2024 तक)	प्रबंध निदेशक
	डॉ. हरगोपाल यांडा	प्रबंध निदेशक

	(दिनांक 30 अगस्त 2024 से प्रभावी)	
	श्रीमती नेहा चौधरी	कंपनी सचिव
नैबफिन्स	श्रीमती एन नीरजा नंदमुडी	प्रबंध निदेशक
	श्री ए जयशीलन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री मोहन प्रसाद	मुख्य परिचालन अधिकारी/ कार्यपालक नामिती निदेशक
	श्रीमती पूजा आहूजा	कंपनी सचिव
नैब फाउंडेशन	श्री बिभु प्रसाद कर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ निदेशक
	श्री राजेंद्र प्रसाद पवार (दिनांक 02 मई 2025 से प्रभावी)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती सुधा वर्गीस (दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती अदिति शुक्ल	कंपनी सचिव
नैबकिसान	श्री प्रसाद राव	प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री जी इमैनुवेल	मुख्य वित्तीय अधिकारी/ निदेशक
	श्री एल एस नवीनकुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती एम भुवनेश्वरी	कंपनी सचिव
	श्रीमती सुजेट पेरैरा	कंपनी सचिव
नैबसंरक्षण	श्री राहुल उप्पल (दिनांक 04 सितंबर 2025 तक)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ निदेशक
	श्री दामोदर मिश्र (दिनांक 04 सितंबर 2025 से प्रभावी)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ निदेशक
	श्री सुनंद कुमार साहू	कंपनी सचिव
नैबवैचर्स	श्री विकास भट्ट	प्रबंध निदेशक
	श्रीमती दीप्ति हेलगाँवकर (दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री अनुपम पट्टनायक (दिनांक 19 अगस्त 2025 से प्रभावी)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री तुनु साहू	कंपनी सचिव

23.4 संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे/ संबंधित	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कर्मी @	मुख्य प्रबंधन कर्मी के रिश्तेदार	कुल
उधारराशियाँ#	-	-	-	-
जमाराशियाँ#	-	-	-	-

जमाराशियों का स्थानन#	-	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	333.33 (शून्य)	-	-	333.33 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम	333.33 (शून्य)	-	-	333.33 (शून्य)
अनिधिक प्रतिबद्धताएँ#	-	-	-	-
उपयोग की गई पट्टेदारी की व्यवस्था #	-	-	-	-
उपलब्ध कराई गई पट्टेदारी की व्यवस्था #	-	-	-	-
किराए का भुगतान	0.05 (शून्य)			0.05 (शून्य)
अचल आस्तियों की खरीद#	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-
सेवाएँ प्रदान करना *	-	-	-	-
सेवाएँ प्राप्त करना *	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएँ **	-	8.38 (11.12)		8.38 (11.12)

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है।

* संविदा सेवाएँ आदि और विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ नहीं।

** मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

24 व्यवसाय खंड पर सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक के मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नानुसार हैं:

- प्रत्यक्ष वित्तपोषण:** इसमें ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं।
- पुनर्वित्त:** इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि

(ग) चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक ही सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

- 25 दिनांक 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने 29 विद्यमान श्रम कानूनों को समेकित करते हुए चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया - वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (सामूहिक रूप से जिसे 'श्रम संहिता' कहा जाता है). बैंक ने नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए कुल ₹0.73 करोड़ की ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है. तथापि, उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत विस्तृत नियम और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश अभी तक सभी राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाने शेष हैं. तदनुसार, ऐसी अधिसूचनाओं और उनके बाद के स्पष्टीकरणों से उत्पन्न होने वाले अंतिम प्रभाव, यदि कोई हो, पर समुचित रूप से विचार किया और उस अवधि में इसे वित्तीय विवरणों में लेखांकित किया जाएगा, जिसमें ये प्रयोज्य हो जाएंगे.
- 26 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारिबैं/डॉर/2025-26/334 डॉर.एसीसी.आरईसी.सं. 253/21.04.018/2025-26 के माध्यम से जारी “भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटन) निदेश, 2025” के आलोक में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के भाग आ की निम्नलिखित टिप्पणियाँ भी समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का अंग होंगी.

टिप्पणी सं.	टिप्पणी का शीर्षक
1	पूँजी पर्याप्तता
3	आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान (टिप्पणी 3.3 - अनर्जक आस्तियों को छोड़कर)
4.2	निवेश पोर्टफोलियो: संरचना और परिचालन
5	ऋण एक्सपोजरों के अंतरण का प्रकटन
6	सह-ऋण वितरण व्यवस्थाओं (सीएलए) पर प्रकटन
7	गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएँ
8	खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण
9	परिचालन परिणाम
10	ऋण संकेन्द्रण जोखिम
11	व्युत्पन्न
12	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटन
13	अस्ति देयता प्रबंधन
14	प्रारक्षित निधियों से आहरण द्वारा कमी
15	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन
16	शिकायतों का प्रकटन

17	प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन
18	तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)
19.2	लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

27 कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं.

28 जहाँ भी आवश्यक हुआ, आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/ प्रस्तुतीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/ पुनःव्यवस्थित किया गया है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता संख्या: 102306

मुंबई

दिनांक: 26 मई 2026

विनोद चंद्रशेखरन

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद

उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत

उप प्रबंध निदेशक

डॉ. शाजी कृष्णन वी

अध्यक्ष

आर इनिगो अरुल सेलवन

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

26 मई 2026

आर इनिगो अरुल सेलवन, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./274/2026-27]

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2026

F. No. NB.Secy/47664/2026-27.—

REPORT ON THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**OPINION**

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of National Bank for Agriculture and Rural Development ('the Bank' or 'NABARD'), which comprise the Standalone Balance Sheet as at March 31, 2026, Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information herein after referred to as the ('Standalone Financial Statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements are full and fair financial statements containing all necessary particulars and properly drawn up in conformity with National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984 and the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') and accounting principles generally accepted in India, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31 2026, the profit and its cash flows for the year ended on that date.

BASIS OF OPINION

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') issued by the ICAI. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. Those Standards require that we comply with ethical requirements. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the financial year ended 31 March 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements, as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on the key audit matters. In our professional judgement, we have decided the following to be the key audit matter to be communicated in our report:

Key Audit Matter	How our audit addressed the key audit matter
1. Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision of Advances Advances include Refinance loans to banks, Financial Institutions, Micro Finance Institutions and NBFCs; and Direct loans to State Governments and	Principal audit procedures performed - Understanding and considering the Bank's accounting policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the prudential norms prescribed by the RBI

Central Government. The Reserve Bank of India ('RBI') has prescribed the 'Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' in respect of advances for banks ('IRACP Norms'). The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each advance applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations. Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on: - Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRACP norms; - Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security; - Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs. Since the classification of advances, identification of NPAs and creation of provision on advances (including additional provisions under applicable IRACP Norms) and income recognition on advances requires proper control mechanism and significant level of estimation by the Bank and has significant impact on the overall financial statements of the Bank; we have ascertained this area as a Key Audit Matter. (Refer Schedule 11 read with Note 8 of Schedule 18 to the standalone financial statements)	(IRACP Norms), including the additional provisions and asset classification benefit extended on restructured advances. - Understanding the key controls (including system based automated controls) for identification and provisioning of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP laid down by the RBI. - Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded. - Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress. - Reviewing account statements, drawing power calculation, security and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. - Reading of minutes of Credit Risk Monitoring committee meetings and performing inquiries with the Bank to ascertain if there were indicators of stress or an occurrence of an event of default in a loan account or any product. - Considering key observations arising out of Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Bank. - Considering the RBI Financial Inspection report on the Bank, the Bank's response to the observations and other communication with RBI during the year. - Examination of advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines. - Seeking independent confirmation of account balances from borrowers.
---	--

	- Visits to regional offices and examination of documentation and other records relating to advances. - For non-performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRACP norms. - Recomputed the provision for NPA on such samples after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management.
2. Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in Central and State Governments Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds, AIFs and other approved securities. RBI Circulars and directives, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, non-recognition of income and provisioning against non-performing investments. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL/FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. We identified valuation of investments and identification of NPI as a Key Audit Matter because of the management judgement involved in determining the value of certain investments (Bonds and Debentures, AIFs) based on applicable Regulatory guidelines and the Bank's policies, impairment assessment for HTM book based on management judgement, the degree of regulatory focus and the overall significance to the financial results of the Bank.	Principal audit procedures performed - Evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, reversal of income on NPIs and provisioning/depreciation related to investments; - Assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining market value of these investments; - Tested on sample basis, the accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security; - Carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained in accordance with the circulars and directives of the RBI. - Selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained and if accrual of income is in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

(Schedule 10 read with Note 5 of Schedule 18 to the standalone financial statements)

3. Multiple IT Systems and controls:

The Bank is dependent on technology considering significant number of transactions that are processed daily across multiple and discrete Information Technology ('IT') systems. The audit approach relies extensively on several reports generated by interface of these IT systems and inbuilt automated controls therein.

The major IT systems concerning the financial reporting process include:

- CLMAS – transactions processing, workflows and financial reporting system
- NABRajKosh – Treasury Operations
- Empower HRMS – HR and payroll
- FAMS – Property, Plant and Equipment and processing of expenses
- Interface/interplay of one or more of above systems in building up or generating reports.

IT general and application controls are critical to ensure that changes to applications and underlying data are made in an appropriate manner. Adequate controls contribute to mitigating the risk of potential fraud or errors as a result of changes to the applications and data.

Management of the Bank continuously endeavours several remediation activities and is in the process of bettering the implementation thereof aiming at minimization of the risks over IT applications in the financial reporting process.

These includes implementation of preventive and detective controls across critical applications and infrastructure.

Due to the pervasive nature, in our preliminary risk assessment, we planned our audit by assessing the risk of a material misstatement arising from the technology as significant for the audit, hence the Key Audit Matter.

Principal audit procedures performed

- Involved our IT specialist for checking the IT system and controls over financial Reporting.
- Reviewed the report of IS Audit carried out for half year ending March 31, 2025 by an independent firm of Chartered Accountants pertaining to IT systems, general controls including access rights over applications, operating systems and databases relied upon for financial reporting.
- Understanding the Bank's IT control environment and key changes in the course of our audit that were considered relevant to the audit;
- Selectively recomputing interest calculations and maturity dates;
- Selectively re-evaluating masters updation, interface with resultant reports;
- Testing of the system generated reports and accounting entries manually for core financial reporting matters (i.e. verification around the computer system), so as to rectify the incorrect entries noticed during the audit.

INFORMATION OTHER THAN THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for the preparation of the other information, comprising of the information such as Report of Corporate Governance and such other disclosures included in the Bank's annual report, but does not include the Financial Statements and auditors' report thereon.

The Reports are expected to be made available to us after the date of this auditors' report. Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other Information and if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance as required under SA 720 'The Auditor's responsibilities Relating to other Information'.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's Management and the Board of Directors are responsible for the preparation of the Standalone Financial Statements in accordance with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Bank. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Management and Board of Directors are also responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements, as a whole, are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to

influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain Professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial results or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial results, including the disclosures, and whether the standalone financial results represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period as per our professional judgement and are therefore Key Audit Matters. We describe such matters in our Auditor's Report, unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be

communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

OTHER MATTERS

- The Bank has 32 (Thirty-two) Regional Offices (ROs) including Head Office (HO), 3 (Three) Training Establishments (TEs). The financial accounting systems of the Bank are centralized for the ROs and TEs. Out of the total ROs, we have visited 11 (Eleven) ROs including Head Office and 1 (One) TE, which covers 70.42% of Advances, 100% of PSL Deposits, 100% of Borrowings as on 31 March 2026 and 100% of interest income on advances, 100% of interest expenses PSL Deposits and 100% of interest expenses on Borrowings for the year ended 31 March 2026. These ROs have been selected in consultation with the management of the Bank. In conduct of the audit we have relied on the various information and returns received from remaining ROs of the Bank not visited by us, generated through centralized database at HO.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Bank including the heads and sub-heads have been drawn up as per Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984.

We further report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice in course of our audit, have been within the powers of the Bank.
- c) In our opinion, the Balance sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the regional offices and staff colleges not visited by us.
- d) In our opinion, the Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, in all material aspects.

For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 121750W / W100010

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
UDIN: 26102306YYMWOY5004

Place: Mumbai
Date: 26 May 2026

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2026**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		17,080.00	17,080.00
2	Reserve Fund and other Reserves	1	70,576.69	63,413.71
3	National Rural Credit Funds	2	16,114.00	16,110.00
4	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	6,556.53	6,615.72
5	Government Schemes	4	967.11	723.61
6	Deposits	5	2,95,312.47	2,75,991.45
7	Bonds and Debentures	6	3,45,517.32	3,27,366.25
8	Borrowings	7	3,15,130.97	2,51,220.50
9	Current Liabilities and Provisions	8	28,611.74	26,109.70
	Total		10,95,866.83	9,84,630.94

Schedules referred to above form an integral part of the standalone financial statements

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2026

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	PROPERTY AND ASSETS	SCHE DULE	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Cash and Bank Balances	9	49,183.29	45,358.92
2	Investments	10	1,03,507.62	91,817.30
3	Advances	11	9,30,822.88	8,39,055.03
4	Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)	12	993.91	559.91
5	Other Assets	13	11,359.13	7,839.78
	Total		10,95,866.83	9,84,630.94
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of the standalone financial statements

As per our attached report of even date

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Gupta

Partner

Membership No.: 102306

Mumbai

Date: 26 May 2026

Vinod Chandrasekharan

Chief General Manager

Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood

Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat

Deputy Managing

Director

Dr. Shaji Krishnan V

Chairman

R Inigo Arul Selvan

Chief General Manager & Secretary

Mumbai

26 May 2026

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	INCOME	SCHEDULE	2025-26	2024-25
1	Interest on Loans and Advances		52,185.16	50,675.74
2	Income from Investment Operations / Deposits		5,766.01	5,815.27
(a)	Interest on Investments		4,355.01	2,973.65
(b)	Dividend on Investments		40.48	49.11
(c)	Discount on Investments		1,313.87	1,332.67
(d)	Gain/(Loss) on Sales/Maturity of Investments		1,842.65	905.11
(e)	Gain/(Loss) on Revaluations of Investments		(1,786.00)	554.73
3	Other Receipts		2,723.68	1,933.40
	Total "A"		60,674.85	58,424.41

Sr. No.	EXPENDITURE	SCHEDULE	2025-26	2024-25
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B-24 of Schedule-18)	14	48,753.78	44,861.17
2	Establishment and Other Expenses	15 A	2,057.79	2,952.78
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	280.32	152.61
4	Provisions	16	191.93	246.45
5	Depreciation and Amortisation		74.02	56.79
	Total "B"		51,357.84	48,269.80
6	Profit before Tax (A - B)		9,317.01	10,154.61
7	Tax Expense			
	a) Income Tax		2,170.00	2,450.00
	b) Income Tax Adjustment for earlier years		-	-
	c) Deferred Tax (Refer Note B-19.5.1 of Schedule 18)		(21.16)	76.28
8	Profit after Tax		7,168.17	7,628.33
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	18		

Note - Other Receipts include interest received on staff loans, rental income and other miscellaneous income. Schedules referred to above form an integral part of the standalone financial statements.

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT**

		(Amount in ₹ crore)	
Sr. No.	APPROPRIATIONS / WITHDRAWALS	2025-26	2024-25
1	Profit for the year brought down	7,168.17	7,628.33
2	Add:		
	Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c [Refer Schedule 1]		
a)	Co-operative Development Fund		
b)	Research and Development Fund	105.25	54.55
c)	Producers' Organisation Development Fund	51.92	48.00
d)	Rural Infrastructure Promotion Fund	116.95	0.29
e)	Farm Sector Promotion Fund	2.60	3.18
f)	Climate Change Fund	15.12	34.28
g)	Gramya Vikas Nidhi	-	-
h)	Catalytic Capital Fund	37.66	57.69
i)	Technology Facilitation Fund	1.83	2.52
j)	Investment Fluctuation Reserve Fund	0.90	3.94
3	Profit available for Appropriation	7,500.40	7,832.78
	Less: Transferred to: [Refer Schedule 1&2]		
a)	Special Reserves u/s 36(1) (viii) of IncomeTax Act, 1961	980.00	850.00
b)	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	1.00	1.00
c)	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1.00	1.00
d)	Research and Development Fund	51.92	98.00
e)	Co-operative Development Fund	105.25	154.55
f)	Producers' Organisation Development Fund	116.95	0.29
g)	Rural Infrastructure Promotion Fund	2.60	3.18
h)	Farm Sector Promotion Fund	15.12	34.29
i)	Gramya Vikas Nidhi	37.66	57.69
j)	Catalytic Capital Fund	1.83	2.52
k)	Technology Facilitation Fund	0.90	3.94
l)	NABARD Green Impact Fund	-	1,000.00
m)	NABARD Carbon Fund	-	300.00
n)	RRB Development Fund	-	100.00
o)	NABARD-Rural Samriddhi Fund (N-RSF)	200.00	-
p)	Reserve Fund	5,986.17	5,226.32
	Total	7,500.40	7,832.78

Schedules referred to above form an integral part of the standalone financial statements

As per our attached report of even date

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No: 121750W/W100010

For and on behalf of the
Board of Directors

Ramesh Gupta

Partner

Membership No.: 102306

Mumbai

Date: 26 May 2026

Vinod Chandrasekharan

Chief General Manager

Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood

Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat

Deputy Managing Director

Dr. Shaji Krishnan V

Chairman

R Inigo Arul Selvan

Chief General Manager & Secretary

Mumbai

26 May 2026

Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Additions/ Transferred from P&L Appropriation	Withdrawals/ Refund/ Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2026
1	Reserve Fund*	45,025.45	5,986.17	-	51,011.62
2	Research and Development Fund	100.00	51.92	51.92	100.00
3	Capital Reserve	74.81	-	-	74.81
4	Investment Fluctuation Reserve	1,885.70	-	-	1,885.70
5	Co-operative Development Fund	300.00	105.25	105.25	300.00
6	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	14,000.00	980.00	-	14,980.00
7	Producers' Organisation Development Fund	300.00	116.95	116.95	300.00
8	Rural Infrastructure Promotion Fund	50.00	2.60	2.60	50.00
9	Farm Sector Promotion Fund	60.00	15.12	15.12	60.00
10	Gramya Vikas Nidhi	110.00	37.66	37.66	110.00
11	Climate Change Fund	20.00	-	-	20.00
12	Catalytic Capital Fund	20.00	1.83	1.83	20.00
13	Forex Fluctuation Reserve Fund	17.75	-	-	17.75
14	Technology Facilitation Fund	50.00	0.90	0.90	50.00
15	NABARD Green Impact Fund	1,000.00	-	-	1,000.00
16	NABARD Carbon Fund	300.00	-	-	300.00
17	RRB Development Fund	100.00	-	-	100.00
18	PODF-Credit guarantee Fund	-	-	(0.01)	0.01
19	Derivative - Hedging Reserve (Equity)#	-	-	3.20	(3.20)
20	NABARD-Rural Samriddhi Fund (N-RSF)	-	200.00	-	200.00
	Total	63,413.71	7,498.40	335.42	70,576.69
	Previous year	55,787.39	7,830.77	204.45	63,413.71

***Note-** The format prescribed in NABARD (Additional) General Regulations, 1984 for 'Reserve Fund and Other Reserves' has Profit and Loss Account as one of the sub-item. Since the Bank has the practice of transferring the balance in profit and loss account after all the appropriations to Reserve Fund, there remains no balance in profit and loss account due to which the same has not been separately disclosed above.

#Refer Note B-11.5 (iii) (c) of Schedule 18

Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2026
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14,505.00	1.00	1.00	14,507.00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,605.00	1.00	1.00	1,607.00
	Total	16,110.00	2.00	2.00	16,114.00
	Previous year	16,106.00	2.00	2.00	16,110.00

Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	Opening Balance as on 01.04.20 25	Additions/Refunds during the year	Interest Credited [#]	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2026
A.	Grants from International Agencies					
1	GIZ UPNRM Technical Collaboration	0.03	-	-	0.03	-
2	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	22.51	0.05	0.56	-	23.12
3	National Adaptation Fund for Climate Change a/c	3.42	88.35	0.13	91.84	0.06
4	GCF AE Fee grant to EE	-	6.37	-	6.37	0.00*
5	KfW Soil Project	-	2.81	-	2.55	0.26
6	GCF Project Grants	20.35	-	1.84	-	22.19
B.	Other Funds					
1	Watershed Development Fund	1,354.82	-	33.36	83.49	1304.69
2	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	223.43	-	-	-	223.43
3	Interest Differential Fund - TAWA	0.10	-	-	-	0.10
4	Adivasi Development Fund	5.77	-	-	-	5.77
5	Tribal Development Fund	1,086.59	-	26.53	88.00	1025.12
6	Financial Inclusion Fund (i)	3,191.78	259.20	27.05	223.40	3254.63
7	PODF-ID	223.65	-	5.36	36.30	192.71
8	National Bank - Swiss	68.60	0.81	-	-	69.41
9	Development Cooperation Project RPF & RIF - Off-Farm Sector Promotion Fund	20.83	2.49	-	1.09	22.23
10	Centre for Professional Excellence in Co-operatives - (C-PEC)	3.77	-	0.17	-	3.94
11	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	211.78	15.18	5.29	-	232.25
12	Capacity Building Fund for Social Stock Exchange	9.37	-	0.76	0.14	9.99
13	Climate Change Fund - ID (ii)	168.92	-	4.19	6.48	166.63
	Total	6,615.72	375.26	105.24	539.69	6,556.53
	Previous year	6,691.17	346.00	186.96	608.41	6,615.72

#Refer B-21 of Schedule 18

Schedule 4 - Government Schemes

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Additions/ Refunds during the year	Interest Credited #	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2026
A	Government Subsidy Schemes					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	0.89	-	-	0.11	0.78
2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	0.08	-	-	-	0.08
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	1.01	-	-	-	1.01
4	On-farm Water Management for Crop Production	0.07	-	-	-	0.07
5	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	78.98	-	-	-	78.98
6	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	Cattle Development Programme - Bihar	0.11	-	0.00*	-	0.11
8	National Project on Organic Farming	1.80	-	-	-	1.80
9	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	4.29	-	-	-	4.29
10	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	2.83	-	-	-	2.83
11	Poultry Venture Capital Fund	0.08	0.10	-	0.02	0.16
12	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	11.59	-	0.08	11.15	0.52
13	National Livestock Mission - PVCF EDEG	0.30	0.10	-	-	0.40
14	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	0.08	-	-	-	0.08
15	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur Uttar Pradesh	0.10	-	0.01	-	0.11
16	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareli, Uttar Pradesh	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	Dairy Entrepreneurship Development Scheme	1.25	0.45	-	0.02	1.68

18	CSS for Solar Mission	0.00*	-	-	-	0.00*
19	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinic Agri Business Centres	0.10	0.55	0.00*	0.20	0.45
20	CSS MNRE Lighting Scheme 2016 a/c	1.15	-	-	-	1.15
21	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	4.62	-	-	-	4.62
B	Other Government Schemes					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR)-2008	283.94	-	-	-	283.94
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	1.21	-	-	0.73	0.48
3	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	0.18	600.00	-	600.04	0.14
4	AMI - Workshop Assistance Fund	0.00*	-	-	-	0.00*
5	Kutch Drought Proofing Project	0.22	-	-	-	0.22
6	Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)	20.00	-	-	20.00	-
7	Revival Reform and Restructure of Handloom Sector	4.09	-	-	-	4.09
8	Comprehensive Handloom Package	-	0.01	-	-	0.01
9	Interest Subvention (SAO, NRLM, NWR)	224.10	11,062.65	-	10,720.09	566.66
10	Arunachal Agri Start Up Scheme	0.50	-	-	-	0.50
11	Centrally sponsored Project-PACS Computerisation	17.48	65.55	0.22	83.22	0.03
12	AgriSURE-GoI	62.50	20.47	-	71.11	11.86
	Total	723.61	11,749.88	0.31	11,506.69	967.11
	Previous year	1,506.36	13,054.41	2.02	13,839.18	723.61

#Refer B-21 of Schedule 18

*Represents amount less than ₹ 50,000.

Schedule 5 - Deposits

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Central Government	-	-
2	State Governments	-	-
3	Others		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	37.10	40.23
	b) Deposits under RIDF	2,14,547.05	1,94,482.88
	c) ST Cooperative Rural Credit Fund	35,000.00	32,079.11
	d) ST RRB Credit Refinance Fund	7,500.00	7,023.74
	e) Warehouse Infrastructure Fund	2,070.00	2,870.00
	f) Long Term Rural Credit Fund	35,678.32	38,945.49
	g) Food Processing Fund	480.00	550.00
	Total	2,95,312.47	2,75,991.45

Schedule 6 - Bonds and Debentures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Tax Free Bonds	3,111.50	5,000.00
2	Non Priority Sector Bonds	2,06,783.00	1,86,736.30
3	PMAY-G - GoI Fully Serviced Bonds	48,809.60	48,809.60
4	Bonds - LTIF	38,160.25	38,160.25
5	LTIF - GoI Fully Serviced Bonds	19,506.80	19,506.80
6	SBM (G) - GoI Fully Serviced Bonds	12,298.20	12,298.20
7	Micro Irrigation Fund (MIF) Bonds	1,754.60	1,754.60
8	Social Bonds	1,040.50	1,040.50
9	Infra Bonds	14,052.87	14,060.00
	Total	3,45,517.32	3,27,366.25

Schedule 7 – Borrowings

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Central Government	-	-
2	Reserve Bank of India	-	-
3	Others		
	(A) In India		
	(i) Certificate of Deposits	57,123.90	37,939.26
	(ii) Commercial Paper	56,981.23	57,386.19
	(iii) Tri Party Repo	59,361.98	51,708.00
	(iv) Term Money Borrowings	4.66	10.36
	(v) Term Loan from Banks	1,40,416.25	1,03,655.89
	(vi) JNN Solar Mission	2.81	2.81
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies (Refer Note B-11.5(i) of Schedule 18)	1,240.14	517.99
	Total	3,15,130.97	2,51,220.50

Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Interest / Discount Accrued		
(a)	Interest / Discount Accrued on Bond and Borrowings	10,329.12	9,481.65
(b)	Interest Accrued on Deposits	2,977.07	2,714.90
2	Sundry Creditors	31.17	138.06
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage, CSAMI)	27.82	27.64
4	Provision for Gratuity (Refer Note B-19.2 of Schedule 18)	39.74	19.52
5	Provision for Pension (Refer Note B-19.2 of Schedule 18)	-	434.85
6	Provision for Encashment of Ordinary Leave (Refer Note B-19.2 of Schedule 18)	463.99	392.00
7	Provision for Post-Retirement Medical Benefit (Refer Note B-19.2 of Schedule 18)	234.27	192.17
8	Unclaimed Interest on Bonds	4.32	4.36
9	Bonds matured but not claimed	9.93	9.83
10	Bond Premium	310.82	80.97
11	Commitment Charges - International Borrowings	0.57	0.24
12	Other Liabilities (Refer Note B-23 of Schedule 18)	3,635.08	3,807.55
13	Provisions and Contingencies		
(a)	Depreciation in Value of Assets / Investments		
(i)	(i) Government securities	1,659.61	-
	(ia) Securities of Central & State Government	-	-
	(ib) Treasury Bills	-	-
	(ii) Other Approved securities	-	-
	(iii) Equity shares	-	-
	(iv) Debenture and Bonds	3.56	12.04
	(v) Subsidiaries and joint venture	-	-
	(vi) Others-Mutual Funds	8.84	9.63
(b)	Amortisation of G. Sec. - HTM	6.28	6.28
(c)	For Standard Assets	3,725.00	3,523.46
(d)	Non-performing Investments	222.21	299.26
(e)	Countercyclical Provisioning Buffer / Floating Provision	2,014.45	2,014.45
(f)	Provision for Other Assets & Receivables	4.45	4.45
(g)	Provision for Income Tax [Net of Advance Tax of ₹ 2,148.48 Crore (as of 31.03.2025 ₹ 2,565 crore)]	2,896.13	2,936.39
14	Derivative Liabilities (Refer Note B-11.5(i) of Schedule 18)	7.31	-
	Total	28,611.74	26,109.70

Note- 1. Non-Performing Advances have been adjusted against the Advances shown in Schedule-11

Schedule 9 - Cash and Bank Balances

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Cash in hand	-	-
2	Balances with :		
	A) Banks in India		
	(i) Reserve Bank of India	10,026.97	6,568.72
	(ii) Other Banks		
	a) In Current Account	7,602.12	4,437.74
	b) Deposit with Banks#	31,554.20	33,353.15
	(iii) Remittance in Transit	-	-
	(B) Banks outside India	-	-
3	Tri Party Repo- Lending	-	999.31
	Total	49,183.29	45,358.92

#Includes Short Term Deposits with Banks (With maturity of 3 Months and less) of ₹12,322 crore as on 31.03.2026 (As on 31.03.2025 ₹3,650 crore)

Schedule 10 - Investments**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Government Securities		
	a) Securities of Central Government & State Government	62,810.27	53,060.25
	[Face Value ₹ 6,19,49,98,00,000 (₹ 5,21,76,90,80,000)]		
	b) Treasury Bills	15,614.37	11,297.96
	[Face Value ₹1,61,68,24,70,000 (₹1,14,99,23,50,000)]		
2	Other Approved Securities	-	-
3	Equity Shares in :		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd. [1,000 (1,000) - Equity shares of ₹10,000 each]	1.00	1.00
(b)	Small Industries Development Bank of India [5,31,92,203 (5,31,92,203) - Equity shares of ₹10 each]	966.27	966.27
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	60.00	60.00
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd. [Nil, (3,77,758) - Equity shares of ₹10 each]	-	0.30
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. [56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹10 each]	16.87	16.87
(f)	CSC e-Governance Services India Ltd Equity [55,000 (55,000) Shares of ₹1000 each]	9.75	9.75
(g)	Agriculture Skill Council of India [4,000 (4000) Shares of ₹10 each]	0.00*	0.00*
(h)	National E-Governance Services Ltd [Equity] [15,00,000 (15,00,000) Shares of ₹10 each]	1.50	1.50
(i)	National e-Repository Ltd. [105,30,000 (105,30,000) Shares of ₹10 each]	10.53	10.53
(j)	Open Network for Digital Commerce	40.00	40.00

	[40,00,000 (40,00,000) Shares of ₹100 each]		
(k)	Online PSB Loans Limited	56.76	56.76
	[2,87,329 (2,87,329) Shares of ₹10 each]		
(l)	24x7 Moneyworks Consulting Private Limited	3.84	3.84
	[23,333 (23,333) Shares of ₹10 each]		
(m)	Ferbine Private Limited	0.01	-
	[5,000 (Nil) Shares of ₹10 each]		
(n)	Sahakar Taxi Cooperative Limited	2.00	-
	[200,000 (Nil) Shares of ₹100 each]		
(o)	North Eastern Development Finance Corporation Ltd	121.82	-
	[100,00,000 (Nil) Shares of ₹10 each]		
(p)	State Bank of India	20.02	20.02
	[12,79,000 (12,79,000) Shares of ₹1 each]		
4	Debentures and Bonds		
(i)	Special Development Debentures of SCARDBs (Refer Note B-28 of Schedule 18)	10.39	65.19
(ii)	Non-Convertible Debentures	441.10	852.99
5	Shareholding in subsidiaries, associates and Joint Venture		
(a)	Subsidiaries		
(i)	NABFINS Ltd. (formerly known as NABARD Financial Services [Karnataka] Ltd.)	102.01	102.01
	[10,20,06,300 (10,20,06,300) - Equity shares of ₹10 each]		
(ii)	NABSAMRUDDHI Finance Ltd.	-	145.06
	[Nil (11,27,88,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(iii)	NABKISAN Finance Ltd.	372.62	227.57
	[25,74,54,201 (15,05,00,063) - Equity shares of ₹10 each]		
(iv)	NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd.	25.00	25.00
	[2,50,00,000 (2,50,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(v)	NABVENTURES Ltd	50.00	50.00
	[5,00,00,000 (5,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(vi)	NABFOUNDATION	50.00	50.00
	[5,00,00,000 (5,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(vii)	NABSANRAKSHAN TRUSTEE PVT LTD	50.00	50.00
	[5,00,00,000 (5,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		

(b)	Associates		
	Sahakar Sarathi Private Limited	333.33	-
	[33,33,33,334 (Nil) Shares of ₹10 each]		
(c)	Joint Venture	-	-
6	Others		
(a)	Mutual Fund	9,774.51	6,602.32
(b)	Commercial Paper	556.46	1,453.08
	[Face Value ₹5,75,00,00,000 (₹15,00,00,00,000)		
(c)	Certificate of Deposit	11,390.05	16,100.04
	[Face Value ₹ 1,16,25,00,00,000 (₹1,64,50,00,00,000)		
(d)	Venture Capital Funds / AIFs	615.20	536.04
(e)	Investment Earmarked towards EOL [Refer note B-19.2 of Schedule 18]	-	10.95
(f)	Infrastructure Investment Trust (InvITs)	1.94	2.00
	Total	1,03,507.62	91,817.30

*Represents an amount less than ₹ 50,000.

Schedule 11 - Advances**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Refinance Loans		
(a)	Production and Marketing Credit	1,81,068.83	1,69,224.53
(b)	Other Investment Credit		
(i)	Medium Term and Long Term Project Loans	2,89,283.02	2,52,632.27
(ii)	Direct refinance to DCCBs	33,785.65	27,767.64
2	Direct Loans		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	1,98,551.75	1,84,724.16
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	1,823.75	2,581.85
(c)	Long Term Non-Project Loans	259.93	295.89
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	53,574.88	40,879.33
(e)	Loans to Producers' Organisation	0.05	0.14
(f)	Credit Facility to Federations[CFF]	53,209.55	41,676.56
(g)	Loans under Food Processing Fund	295.36	386.48
(h)	Loans under Long Term Irrigation Fund	50,238.16	51,803.83
(i)	Pradhan Mantri Aawas Yojana - Gramin	48,819.03	48,819.03
(j)	Swachh Bharat Mission Gramin	12,298.20	12,298.20
(k)	Dairy Infrastructure and Development Fund	1,171.10	1,366.81
(l)	Loan Under Green Climate Fund (GCF)	544.84	517.99
(m)	Micro Irrigation Fund	3,037.21	2,871.83
(n)	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund	1,628.81	1,141.38
(o)	Rural Infrastructure Assistance Scheme (RIAS)	76.76	65.16
(p)	NABARD Green Lending Facility (NGLF)	1,155.42	-
(p)	Other Loans:		
(i)	Watershed Development Fund Programme Loans	0.45	1.66
(iii)	Off Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	0.13	0.29
	Total	9,30,822.88	8,39,055.03

Note - Advances are net-off the provisions for Non-performing Assets amounting to ₹ 1,999.41 crore (As on 31.03.2025 ₹2,005.32 crore)

Schedule 12 – Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	LAND: Freehold & Leasehold (Refer Note B-27 of Schedule 18)		
	Opening Balance	195.79	195.79
	Additions/adjustments during the year	411.71	-
	Sub-Total	607.50	195.79
	Less: Cost of assets sold/written off	6.39	-
	Closing Balance (at cost)	601.11	195.79
	Less: Amortisation of Lease Premium	66.92	67.16
	Book Value	534.19	128.63
2	PREMISES (Refer Note B-27 of Schedule 18)		
	Opening Balance	668.47	659.20
	Additions / Adjustments during the year	21.42	9.27
	Sub-Total	689.89	668.47
	Less: Adjustments during the year	1.80	-
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	688.09	668.47
	Less: Depreciation to date	389.64	374.03
	Book Value	298.45	294.44
3	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	67.72	67.23
	Additions/adjustments during the year	3.98	0.67
	Sub-Total	71.70	67.90
	Less: Cost of assets sold/written off	2.02	0.18
	Closing Balance (at cost)	69.68	67.72
	Less: Depreciation to date	63.85	63.77
	Book Value	5.83	3.95
4	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	276.84	248.72
	Additions/adjustments during the year	92.78	34.69
	Sub-Total	369.62	283.41
	Less: Cost of assets sold/written off	1.34	6.57
	Closing Balance (at cost)	368.28	276.84
	Less: Depreciation to date	278.50	229.07
	Book Value	89.78	47.77
5	VEHICLES		
	Opening Balance	15.97	14.84
	Additions/adjustments during the year	3.97	6.99
	Sub-Total	19.94	21.83
	Less: Cost of assets sold/written off	4.56	5.86
	Closing Balance (at cost)	15.38	15.97
	Less: Depreciation to date	6.73	5.97
	Book Value	8.65	10.00
6	Capital Work in Progress (Including Premises, Furniture & Fixtures and Software Implementation)	57.01	75.12
	Total	993.91	559.91

Note- Depreciation to date includes opening depreciation, depreciation on addition & sale and depreciation for current financial year

Schedule 13 - Other Assets**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Accrued Interest		
(a)	Accrued Interest on Loans and Advances	4,562.51	4,153.74
(b)	Accrued Interest on Investments	2,139.45	1,852.29
2	Deposits with Landlords	1.82	1.56
3	Deposits with Government Departments and Other Institutions	47.44	54.21
4	Housing loan to staff	231.87	188.47
5	Other Advances to staff	94.78	96.13
6	Sundry Advances	191.90	83.83
7	Deferred Tax Assets (Refer Note B-19.5.1 of Schedule 18)	135.11	113.95
8	Receivable from Government of India/International Agencies. (Refer Note B-22 & 24 of Schedule 18)	1,297.65	1,193.46
9	Discount on issue of Bonds	49.42	94.98
10	Other Assets - Input Tax Credit - GST	6.37	7.16
11	Other Asset- FIF Fund Investment*	2,500.01	-
12	Derivative Assets (Refer Note B-11.5(i) of Schedule 18)	83.28	-
13	Advance towards Pension	17.52	-
	Total	11,359.13	7,839.78

*Other Asset- FIF Fund Investment maintained across various banks, which are exclusively earmarked for the NABARD Financial Inclusion Fund. These funds are restricted for use solely in accordance with the Fund's guidelines.

Schedule 14 - Interest and Financial Charges**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Interest Paid on		
(a)	Deposits under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)	7,627.18	6,752.89
(b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund	1,662.89	1,975.77
(c)	ST RRB Credit Refinance Fund	343.49	574.67
(d)	Warehouse Infrastructure Fund	74.42	105.27
(e)	Long Term Rural Credit Fund	1,540.60	1,599.15
(f)	Fund for Food Processing Units	19.72	19.69
(g)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	1.97	2.35
(h)	Term Money Borrowings	0.31	39.73
(i)	Bonds (Refer Note B-24 & 31 of Schedule 18)	24,532.00	21,322.39
(j)	Term Loan from Banks	6,328.03	6,153.59
(k)	Foreign Currency Borrowings from International Agencies	8.64	6.20
(l)	Discount on Commercial Paper	1,828.67	2,506.68
(m)	Discount on Certificate of Deposits	2,995.63	2,020.56
(n)	Repo Interest Expenditure	2.58	10.58
(o)	Interest paid on funds	78.26	186.81
(p)	Borrowing against ST Deposit	-	(0.00) *
(q)	Commitment Fee - INTL Borrowings	2.14	0.24
2	Discount on CBLO / TREPS	1,636.91	1,505.68
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	45.10	60.95
4	Swap Charges	17.93	17.96
5	Derivative/Hedged Item Fair Valuation (Refer Note B-11.1 of Schedule 18)	7.31	-
	Total	48,753.78	44,861.17

*Represents an amount less than ₹ 50,000.

Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-29 of Schedule 18)	801.28	1,248.87
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	349.32	822.17
3	Other Perquisites & Allowances	224.03	310.37
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	0.23	0.20
5	Directors' & Committee Members' Fees	0.35	0.27
6	Rent, Rates, Insurance, Lighting etc.	56.85	44.79
7	Travelling Expenses	62.64	64.24
8	Printing and Stationery	7.09	7.04
9	Postage Telegrams and Telephones	30.80	31.07
10	Repairs and Maintenance	36.89	18.76
11	Auditors' Fees	0.37	0.34
12	Legal Charges	2.82	2.41
13	Miscellaneous Expenses	342.76	274.32
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	8.98	12.93
15	Expenditure on Study and Training	133.38	115.00
	Total	2,057.79	2,952.78

Schedule 15 B - Expenditure on promotional activities**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
1	Cooperative Development Fund	105.25	54.55
2	Producers' Organization Development Fund	116.95	0.29
3	Rural Infrastructure Promotion Fund	2.61	3.18
4	Expenditure under Farm Sector Promotion Fund	15.12	34.28
5	Expenditure under Climate Change Programme	-	-
6	Gramya Vikas Nidhi	37.66	57.69
7	Catalytic Capital Fund	1.83	2.52
8	Technology Facilitation Fund	0.90	0.10
	Total	280.32	152.61

Schedule 16- Provisions

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
	Provisions for		
1	Standard Assets	201.54	221.46
2	Non-Performing Assets	1.83	31.49
3	Non-Performing Investments	(11.44)	2.00
4	Depreciation in value of Investment Account - Equity	-	(8.50)
	Total	191.93	246.45

Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed (net of advance)	151.32	68.12
	Sub Total "A"	151.32	68.12
2	Contingent Liabilities		
(i)	Bank Guarantee	2.16	2.16
(ii)	Pending legal cases including Income Tax Appeals	415.00	415.00
	Sub Total "B"	417.16	417.16
	Total (A + B)	568.48	485.28

National Bank for Agriculture and Rural Development
Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31 March 2026

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2025-26	2024-25
(a) Cash flow from Operating activities	9,317.01	10,154.61
Net Profit as per Profit and Loss Accounts before tax		
Adjustment for:		
Depreciation and Amortisation on Fixed Assets	74.02	56.79
Provision for Non-Performing Assets	(9.62)	33.49
Provision for Standard Assets	201.54	221.46
Depreciation in value of Investment Account - Equity	-	(8.50)
Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets	1.41	(1.05)
Interest credited to various Funds	105.56	188.99
Income from Investments	(5,766.01)	(7,164.74)
Amortization of Premium on Bonds	(107.01)	(16.80)
Operating profit before changes in operating assets	3,816.90	3,464.25
Adjustment for changes in working capital:		
(Increase) / Decrease in Current Assets	7,014.82	(8,254.68)
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	1,298.77	1,678.41
(Increase) / Decrease in Loans and Advances	(91,947.04)	(44,183.85)
Cash generated from operating activities	(79,816.55)	(47,295.87)
Income Tax paid (Net of refund)	(2,210.25)	(2,519.59)
Net cash flow from operating activities (A)	(82,026.80)	(49,815.46)
(b) Cash flow from Investing activities		
Purchase of Investments (net of sale of Investments)	(8,875.46)	(22,049.88)
Income from Investments	4,175.93	7,181.54
Purchase of Fixed Assets	(448.98)	(79.43)
Sale of Fixed Assets	7.31	12.60
Net cash used / generated from investing activities (B)	(5,141.20)	(14,935.17)
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	80.76	(1,045.20)
Proceeds from Bonds (net of repayment)	18,151.08	41,216.15
Proceeds from Borrowings (net of repayment)	64,909.77	56,593.94
Proceeds from Deposits (net of repayment)	19,321.02	(25,966.62)
Withdrawal/Addition to Reserve Fund	0.00*	-
Net cash raised from financing activities (C)	1,02,462.63	70,798.27
Net increase in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C)	15,294.63	6,047.64
cash and cash equivalents at the beginning of the year	14,656.46	8,608.82
Cash and cash equivalents at the end of the year	29,951.09	14,656.46

1. Cash and cash equivalents at the end of the year includes:	2025-26	2024-25
Cash in hand		
Balance with Reserve Bank of India	10,026.97	6,568.72
Balances with other Banks in India	7,602.12	4,437.74
Short Term Deposits with Banks (with maturity of 3 months and less)	12,322.00	3,650.00
Total	29,951.09	14,656.46

*Represents amount of less than ₹1.00 Lakh

Note -The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in AS-3 "Cash Flow Statements".

As per our attached report of even date

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Gupta

Partner

Membership No.: 102306

Mumbai

Date: 26 May 2026

Vinod

Chandrasekharan

Chief General Manager

Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood

Deputy Managing Director

Goverdhan Singh

Rawat

Deputy Managing Director

Dr. Shaji Krishnan V

Chairman

R Inigo Arul Selvan

Chief General Manager &

Secretary

Mumbai

26 May 2026

Schedule 18**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF THE STANDALONE
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026****A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. Basis of Preparation:**

The financial statements are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Bank / NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Use of Estimates:

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge, the actual results could differ from these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

3. Revenue recognition:

- 3.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:
- i) Interest on non-performing assets identified as per RBI guidelines.
 - ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
 - iii) Service Charges on loans given out of various Funds.
 - iv) Expenses not exceeding ₹ 10,000/- at each accounting unit, under a single head of expenditure.
- 3.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of bonds and commercial papers. Issue expenses relating to the floatation of bonds, including applicable stamp duty, are recognized as expenditure in the year of issue of bonds.
- 3.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.
- 3.4
- i) Income from Venture Capital funds is accounted on realization basis.
 - ii) Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for, including service charges thereon, on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.
- 3.5 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:
- i) Penal interest
 - ii) Cost and charges
 - iii) Overdue interest and interest
 - iv) Principal
- 3.6 In case of Compromise and Resolution/ Settlement, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.
- 3.7 In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:-
- i) As per the directives of the concerned Court.
 - ii) In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point 3.5 above.

4. Property Plant and Equipment (Fixed Assets)

- 4.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.
- 4.2 Land includes freehold and leasehold land.
- 4.3 Premises include value of land, where segregated values are not readily available.
- 4.4 Depreciation policy on premises situated on freehold land and leasehold land has been revised during the FY 2017-18 and calculated on straight line basis over the period of 30 years.
- 4.5 The upfront lease premium paid on leasehold land are amortized over the tenure of lease period @ 5% on opening written down value or the proportionate amount of remaining lease premium on the remaining period of lease, whichever is higher.
- 4.6 Fixed Assets individually costing ₹ 1 lakh or less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more than ₹ 10,000. All software costing ₹ 1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.
- 4.7 Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

- 4.8 Depreciation is charged from the month in which the asset is capitalized in the year of purchase up to the month in which the asset is sold in the year of sale.
- 4.9 Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.

5. Investments

- 5.1 The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".
- 5.2 In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories (hereinafter called "categories").
- 5.3 Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "HFT". Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "HTM". Securities which are not to be classified under any of the above categories are classified as "AFS".
- 5.4 Investments classified under HTM category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category "HTM" is made, wherever necessary. Provision for diminution/ amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.
- 5.5 Profit on redemption of investment categorized under "HTM" is recognized in Profit and Loss Account.
- 5.6 Investments under "AFS" are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by the Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by the Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as "AFS" and appreciation is ignored. The book values of the individual scrip are not changed after such revaluation.
- 5.7 Investments under "HFT" are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks

India Pvt. Ltd., AMFI etc. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as “HFT” and appreciation is ignored. The book values of the individual scrip are not changed after such revaluation.

- 5.8 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.
 5.9 Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.
 5.10 Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Financial Statements of the investee companies are available, or at ₹ 1/- per Company as per RBI guidelines.
 5.11 Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.
 5.12 Brokerage, paid on acquisition / disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.
 5.13 Broken period interest paid/received on debt investments is treated as interest expenses/ income and is excluded for cost/ sale consideration.

5.14

Sr. No.	Existing category	Proposed category	Accounting policy
1.	AFS / HFT	HTM	Lower of book value or market value. In cases where the market value is lower than the book value, the provision for depreciation held against the security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) shall be adjusted to reduce the book value to the market value and the security shall be transferred at the market value.
2.	HTM	AFS / HFT	Transfer at book value / amortised cost. Such Securities shall be immediately re-valued consequent to transfer and resultant depreciation, if any, shall be provided.
3.	AFS/HFT	HFT/AFS	Transfer at book value. Securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held shall be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

- 5.15 Amortization/Gain/Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.
 5.16 Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.
 5.17 Investments in Venture Capital Funds are accounted as per the accounting policy adopted by the respective Fund.
 5.18 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the IRAC norms issued by the Reserve Bank of India. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.
 If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.
 In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.
 5.19 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be.

6. Foreign Currency Transactions

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”, issued by the ICAI.

- 6.1 Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers’ Association of India (‘FEDAI’)/Bloomberg.
- 6.2 Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at closing exchange rates notified by FEDAI/Bloomberg and the resulting gains / losses are recognised in the profit and loss account. The revaluation difference on foreign currency and Letters of Comfort (LoC) is adjusted and recorded in a special account opened and maintained for managing exchange risk.

7. Accounting for Hedges/Derivatives (Refer Note B-11 of Schedule 18)

- 7.1 Hedges executed by the bank are accounted as per the Board approved policy drawn in line with the applicable accounting standards and guidance notes thereto, having regard to the terms and conditions of the agreement
- 7.2 The Bank has adopted requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Bank presents its derivative assets and liabilities as separate line items. The Bank do make adjustments to the carrying value of its liability in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.

8. Advances and Provisions thereon

- 8.1 Advances are classified as per the IRAC norms issued by the RBI. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the IRAC norms issued by the RBI.
- 8.2 In case of restructuring/ rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.
- 8.3 Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.
- 8.4 Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the Profit and Loss account.
- 8.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made towards standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 8 of the Balance Sheet under the head “Current Liabilities & Provisions” and are not considered for arriving at the Net NPAs.

9. Employee Benefits

All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provisions for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, for long term employee benefits are carried out at each balance sheet date.

9.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

9.2 Post-Retirement Benefits:

i) Defined Contribution Plan

The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the

“NPS- Corporate Sector Model”, a defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.

ii) **Defined Benefit Plan**

- a. Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.
- b. Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

iii) **Other Long Term benefits**

All eligible employees of the bank are entitled for compensated absences and post-retirement medical benefits. The cost of providing these long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

10. Taxes on Income

- 10.1 Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments/ appeals.
- 10.2 Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.
- 10.3 Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/ business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.
- 10.4 Tax paid/ provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.

11. Segment Reporting

- 11.1 The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.
- 11.2 Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with / allocable to the segment. Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank Income".
- 11.3 Expenses that are directly identifiable with/ allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".
- 11.4 Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable assets and liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

12. Impairment of Assets

- 12.1 As at each balance sheet date, the carrying amount of assets having the indication of impairment is tested for impairment so as to determine:
 - i) the provision for impairment loss, if any, required; or
 - ii) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.
- 12.2 Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

13. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

- 13.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:
- a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;
 - b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
 - c) the amount of the obligation can be reliably estimated.
- 13.2 Contingent liability is disclosed in the case of:
- a) a possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,
 - b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and
 - c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.
- 13.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.
- 13.4 Provisions and contingent liabilities are reviewed at each Balance Sheet date.

14. Cash and cash equivalents

- (a) Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand and other short-term investments.
- (b) Cash Flow statement is reported using indirect method. The cash flow from operating, financing and investing activity is segregated based on the available information.

15. Prior Period Income / Expenses

Items of Income / Expenditure which are prior period in nature are disclosed separately only when the individual prior period income / expense exceeds 0.5% of gross income.

16. Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)

In terms of the Press Release No. 11/10/2009 CL-V dated 18 January 2016 issued by the MCA, the bank would be required to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 and thereafter. The implementation of Ind AS by AIFIs has since been deferred by Reserve Bank of India until further notice.

B. NOTES FORMING PART OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**1. Capital****1.1 Pattern of Capital contribution as on the date of the Balance Sheet:**

The authorized capital of the bank stood at ₹ 30,000 crore as on 31 March 2026. The entire paid up capital of the bank has been subscribed by Government of India. The details are given below:

Contributor	2025-26		2024-25	
	(₹ crore)	%	(₹ crore)	%
Government of India	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00
Total	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00

1.2 Capital Adequacy

- 1.2.1** Capital adequacy is arrived at as per RBI (AIFIs -Prudential norms on capital adequacy) Directions, 2025 dated 28 November 2025.
- 1.2.2** Capital adequacy ratio of the Bank as on 31 March 2026 was 30.59% (25.58%) as against a minimum of 9% as stipulated by RBI.
- 1.2.3** In accordance with RBI Instructions, assets financed from National Rural Credit – Long Term Operations (NRC LTO) Fund amounting to ₹ 14,507 crore (₹ 14,505 crore) are excluded for the purpose of computing the CRAR.
- 1.2.4** The details of various parameters of Capital to Risk weighted Assets Ratio is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	82,500.00	75,530.63
(ii)	Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
(iii)	Tier 1 capital (i + ii)	82,500.00	75,530.63
(iv)	Tier 2 capital	2,403.23	3,008.33
(v)	Total Capital (Tier 1+Tier 2)	84,903.23	78,538.96
(vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	2,77,595.53	3,07,015.65
(vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	29.72	24.60
(viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	29.72	24.60
(ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.87	0.98
(x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	30.59	25.58
(xi)	Leverage Ratio	7.30%	7.66%
(xii)	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) Other Commercial Banks c) Other Financial Institutions (including other AIFIs)	100% - -	100% - -
(xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	0.00
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: a. Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares.	0.00	0.00

	b. Basel III compliant Perpetual Debt Instruments		
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which a. Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares. b. Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	0.00	0.00

2. Free Reserves and provision

2.1 Provisions on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Provisions towards standard assets made during the year	201.54	221.46
Total Provision towards standard asset outstanding as on March 31, 2026	3,725.00	3,523.46

2.2 Floating Provisions*:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(a)	Opening balance in the floating provision account	2,000.00	2,000.00
(b)	The quantum of provisions made during the accounting year #	0.00	0.00
(c)	Amount of drawdown made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing balance in the floating provision account	2,000.00	2,000.00

* The Board of Directors of the Bank decided to create floating provisions, in accordance with RBI guidelines, to be utilized for any unexpected or exceptional circumstances.

2.3 Counter Cyclical Buffer: ₹14.45 crore (₹14.45 crore)

3. Asset Quality and specific provisions

3.1 Non-Performing Advances

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Net NPA to Net Advances (%)	0.00	0.00
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
(a)	Opening Balance	2,005.34	1,983.29
(b)	Additions during the year	3.77	34.09
(c)	Reductions during the year	(9.70)	(12.04)
(d)	Closing Balance	1,999.41	2,005.34
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provision on standard assets)		

(a)	Opening balance	2,005.34	1,983.29
(b)	Provision made during the year	3.77	34.09
(c)	Write off / write back of excess provision	(9.70)	(12.04)
(d)	Closing balance	1,999.41	2,005.34

3.2 Non-Performing Investments

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Net NPI to Net Investments (%)	0.00	0.00
(ii)	Movement of NPIs (Gross)		
(a)	Opening Balance	299.26	317.32
(b)	Additions during the year	0.00	2.00
(c)	Write off /recoveries	(77.05)	(20.06)
(d)	Closing Balance	222.21	299.26
(iii)	Movement of Net NPIs		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	Movement of provisions for NPIs (excluding provision on standard assets)		
(a)	Opening balance	299.26	317.32
(b)	Provision made during the year	0.00	2.00
(c)	Write off /recoveries	(77.05)	(20.06)
(d)	Closing balance	222.21	299.26

3.3 Non-Performing Assets (3.1+3.2)

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Net NPA to Net Assets (Advances + Investments) (%)	0.00	0.00
(ii)	Movement of NPAs (Gross Advances + Gross Investments)		
(a)	Opening Balance	2,304.60	2,300.61
(b)	Additions during the year	3.77	36.09
(c)	Reductions during the year	(86.75)	(32.10)
(d)	Closing Balance	2,221.62	2,304.60
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provision on standard assets)		
(a)	Opening balance	2,304.60	2,300.61
(b)	Provision made during the year	3.77	36.09
(c)	Write off / write back of excess provision	(86.75)	(32.10)
(d)	Closing balance	2,221.62	2,304.60

During the current financial year, no new accounts were restructured.

[illegible]

	standard category during the FY	Amount outstanding		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		Provision thereof*		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
4	Restructured Standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers		3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
		Amount outstanding		109.06	0.00	0.38	0	109.44	109.06	0.00	0.38	0	109.44
		Provision thereof*		5.45	0	0.38	0	5.83	5.45	0	0.38	0	5.83
5	Downgradation of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers		0	0	2	0	2	0	0	2	0	2
		Amount outstanding		0.00	0.00	24.32	0	24.32	0.00	0.00	24.32	0	24.32
		Provision thereof*		0.00	0.00	24.32	0	24.32	0.00	0.00	24.32	0	24.32
6	Write offs/Recoveries	No. of Borrowers		2	0	0	0	2	2	0	0	0	2

	of Restructured accounts during the FY	Amount outstandin g		936.20	0.00	0.00	0. 00	936.20	936.20	0.00	0.00	0.00	936.20
		Provision thereof*		46.81	0.00	0.00	0. 00	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	46.81
7	Restructured accounts as on 31 March 2026	No. of Borrowers		0	0	3	0	3	0	0	3	0	3
		Amount outstandin g		0.00	0.00	38.17	0. 00	38.17	0.00	0.00	38.17	0.00	38.17
		Provision thereof*		0.00	0.00	38.17	0. 00	38.17	0.00	0.00	38.17	0.00	38.17

*Provision includes the normal standard assets provision and additional provision due to restructuring.

3.5 Disclosure related to Project Finance

Sr. No.	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (in ₹ crore)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter.	7	766.95
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter.	1	106.00
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	1	156.65
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	7	716.30
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	-	-
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	-	-
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	-	-
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded	-	-
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	-	-
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	-	-
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	-	-
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-

3.6 Loan under Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

During the year 2016-17, resolution plan for one stressed loan account to the extent of ₹ 46.91 crore was considered under Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets. The details of resolution plan is given below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Part – A		
(i) Loan outstanding	0.00	0.00
Part – B		
(i) Equity Shares	0.00	0.00
(ii) Optionally Convertible Debentures	15.30	26.74
Total	15.30	26.74

In line with IRAC norms, the NCDs issued by the RBI of HCC amounting to ₹7.11 crore was upgraded to Standard with effect from 02 March 2026. The remaining amount of ₹15.30 crore continues to be classified as NPI, against which 100% provision has been maintained in accordance with the S4A guidelines.

3.7 Movement of Non-Performing Assets

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Gross NPAs as on 01 April*	2,304.60	2,300.61
(ii)	Additions (fresh NPAs) during the year	3.77	36.09
	Sub total (A)	2,308.37	2,336.70
Less :			
(i)	Upgradations	7.11	0.00
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	6.28	20.50
(iii)	Technical / Prudential Write offs	0.00	0.00
(iv)	Write offs other than those under (iii) above	73.36	11.60
	Sub-total (B)	86.75	32.10
	Gross NPAs as on 31 March (A-B)	2,221.62	2,304.60

*the figures are including Non-Performing Investment.

3.8 Write-offs and recoveries

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at 01 April	0.00	0.00
Add : Technical / Prudential write offs during the year	0.00	0.00
Sub total (A)	0.00	0.00
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	0.00	0.00
Closing balance as at 31 March (A-B)	0.00	0.00

Note: Technical or prudential write-off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the books of the branches, but have been written-off (fully or partially) at Head Office level.

3.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total Assets	0.00	0.00
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.00	0.00

3.10 Depreciation and provisions on Investments

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(1)	Investments		
(i)	Gross Investments *		
	(a) In India	1,03,497.23	91,752.11
	(b) Outside India	0.00	0.00
(ii)	Provision for NPI *		
	(a) In India	228.49	305.54#
	(b) Outside India	0.00	0.00
(iii)	Net Investments *		
	(a) In India	1,03,268.74	91,446.57
	(b) Outside India	0.00	0.00
(2)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i)	Opening balance	305.54	332.10
(ii)	Add: Provisions made during the year	0.00	2.00
(iii)	Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	0.00	0.00
(iv)	Less: Write off / write back of excess provisions during the year	(77.05)	(28.56)
(v)	Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00	0.00
(vi)	Closing balance	228.49	305.54

* the figures are excluding investments in Special Dev Debentures of SCARDBs.

In terms of RBI Circular no. RBI/2023-24/90 DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19,2023- Investments in Alternative Investment Funds (AIFs) and subsequent clarification vide circular no. RBI/2023-24/140 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024, provision was made of ₹ 6.28 crore as on 31 March 2024. Further, Bank has reassessed the impact as per provisions in the latest guidelines issued by RBI vide Circular No. RBI/DOR/2025-26/320 DOR.AUT. REC.No.239/ 24-01-041/ 2025-dated 28 November 2025 and there is no additional provision required for the year ended 31 March 2026.

3.11 Provisions and Contingencies

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2025-26	2024-25
1	Provisions for depreciation on Investment	0.00	(8.50)
2	Provision towards NPA (Advances + Investments)	(9.61)	24.99
3	Provision made towards Income tax	2,170.00	2,450.00

3.12 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

PCR [ratio of provisioning (including counter cyclical provisioning buffer as per Note no 2.3 of Schedule- 18) to gross non-performing assets] as at close of business for the current year stood at 190.67% (187.41%).

- 4. 4.1** (a) Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	300.00 (237.00)	304.54 (237.69)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo)	67,024.29 (56,100.51)	90,031.65 (68,247.12)
Pledged for Business Segment (Securities) Default Fund	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo) – Default Fund	50.00 (50.00)	(51.75) (51.75)

- (b) Investments in Government securities include the following securities pledged with Reserve of India as collateral security for Intra Day Limit:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Intra Day Limit (Securities)	5,168.17 (5,168.17)	5,358.42 (5,396.34)

4.2 Investment Portfolio: Constitution and operations**(i) Repo Transactions**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31 March 2026
Securities sold under repo				
i. Government securities	922.91 (103.64)	3,892.34 (4,896.21)	13.19 (154.95)	3,892.34 (4,896.21)
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(ii) Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt Securities*

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Issuer	Total Amount	Amount of			
			Investment made through Private Placement	'Below Investment Grade' Securities held	'Unrated' Securities Held	'Unlisted' Securities Held
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	74.99 (230.50)	74.99 (230.50)	—	—	—
(ii)	Govt	78,424.64 (64,358.21)	78,424.64 (64,358.21)			
(iii)	FIs	3,811.30 (4170.15)	3811.30 (4170.15)	—	—	—
(iv)	Banks	7752.49 (13,197.93)	7,752.49 (13,197.93)	—	—	—
(v)	Private Corporates	750.76 (807.53)	750.76 (807.53)	—	—	—
(vi)	Subsidiaries / Joint Ventures	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	—	—	—
(vii)	Others	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	—	—	—
(viii)	Provision held towards depreciation	222.21 (297.26)	222.21 (297.26)	—	—	—
	Total	90,592.97 (82,467.06)	90,592.97 (82,467.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

* Debt securities consist of Govt. Securities including Treasury Bills, Non-Convertible Debentures, Commercial papers, Certificate of deposits etc shown at book value.

(iii) Sale and Transfers to / from HTM Category

During the year, State Govt. Development Loan (SDL) Securities were transferred from AFS to HTM category of the book value of ₹ 3,089.48 crore (face value ₹ 3,082.87 crore) and Central Government Securities were transferred from AFS to HTM category of the book value ₹ 1,257.12 crore (face value ₹ 1,180 crore) during the year.

The market value of all investments held by NABARD under Held to Maturity (HTM) category was ₹ 22,016.26 crore against the book value of ₹ 21,285.73 crore as on 31st March 2026.

(iv) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)As at 31st March 2026

(Amount in ₹ crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2026	Total volume of transactions during the year
Securities lent through GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities borrowed through GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities placed as collateral under GSL Transactions	0	0	0	0	0
Securities received as collateral under GSL Transactions	0	0	0	0	0

As at 31st March 2025

(Amount in ₹ crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2025	Total volume of transactions during the year
Securities lent through GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities borrowed through GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities placed as collateral under GSL Transactions	0	0	0	0	0
Securities received as collateral under GSL Transactions	0	0	0	0	0

- (v) In terms of RBI (AIFs-Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 dated 28 November 2025 relating to Prudential Guidelines on Investment in Venture Capital Fund, an amount of ₹ 180.24 crore (₹ 20.98 crore) invested in the units of AIF was shifted from HTM category to AFS category, on completion of 3 years.

5. Disclosure of transfer of loan exposures

Details of loans transferred / acquired during the year ended 31 March 2026 under the Master Direction – Reserve Bank of India (All India Financial Institutions - Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions 2025 and Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions 2025, dated November 28, 2025 are given below:

- i. the Bank has not acquired any stressed loans (including Special Mention Accounts / Non-Performing Assets) and has not transferred any loans not in default through assignment.
- ii. the bank has not invested in Security Receipts (SR) issued by Asset Reconstruction Companies (ARC) in respect of stressed loans transferred to ARCs.
- iii. the bank does not have any co-lending arrangement

6. Disclosure on Co Lending Arrangements (CLA) - Nil

7. Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities:

(Amount in ₹ crore)

		As at 31st March 2026	As at 31st March 2026	Previous Year	Previous Year
		Secured* Portion	Unsecured Portion	Secured Portion	Unsecured Portion
I	Outstanding Guarantees	0.00	0.00	0.00	0.00
	i) In India	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Outside India	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Acceptances, Endorsements and other Obligations	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Other NFB Credit facilities	140.45	0.00	0.00	0.00

8. Details of Financials Assets purchased/ sold

8.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

- A. Details of Sales : NIL
- B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts : NIL

8.2 Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold

- A. Details of non performing financial assets purchased : NIL
- B. Details of non performing financial assets sold : NIL

9. Operating Results

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Interest income as a percentage to working funds	6.34	6.60
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to working funds	0.01	0.02
(iii)	Operating Profit as a percentage to working funds	0.99	1.18
(iv)	Return on Assets	0.75	0.86
(v)	Return on Equity	8.79	10.17
(vi)	Net Profit per employee (₹ crore) *	2.30	2.41

*Average employees have been considered for calculation purposes.

10. Credit Concentration Risk**10.1 Capital Market Exposure**

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt \$\$	2,393.32	1,936.47
2	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.00	0.00
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.00	0.00
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
7	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	0.00	0.00
8	Underwriting commitments taken up by the AIFI in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
9	Financing stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	615.20	536.04
Total Exposure to Capital Markets		3,008.52	2,472.51

\$\$ Equity shares, subsidiaries and other strategic investments

10.2 Exposure to Country Risk: NIL**10.3 Prudential Exposure Limits- Single Counterparty / Group of Connected Counterparties exceeded by the AIFI**

- (a) The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year: NIL
- (b) Credit exposure as percentage to Tier 1 Capital and as percentage to Total Assets.

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Category	2025-26		2024-25	
		Credit Exposure as % to		Credit Exposure as % to	
		Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I	Largest Single Counterparty	61.51	4.63	62.16	4.96
II	Largest Group of Connected Counterparties	NIL		NIL	
III	Twenty Largest Single Counterparties	535.77	40.33	516.20	41.17
IV	Twenty Largest groups of Connected Counterparties	NIL		NIL	

- (c) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets: Not Applicable
- (d) There are no advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken and hence the details w.r.t estimated value of such intangible collateral is not applicable.
- (e) Factoring exposures: Not Applicable

10.4 Concentration of borrowings /lines of credit, credit exposures and NPAs**a. Concentration of borrowings and lines of credit**

(Amount in ₹ crore)

S. No	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Total borrowings from twenty largest lenders	6,50,425.47	5,75,394.80
(ii)	Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings	67.69	67.01

b. Concentration of credit exposures

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Total exposures to twenty largest borrowers	4,42,011.94	4,05,418.47
(ii)	Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the AIFI	47.38	48.20
(iii)	Total Exposure to Twenty largest borrowers/customers	4,42,011.94	4,05,418.47
(iv)	Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the AIFI on borrowers/customers	47.38	48.20

c. Sector-wise concentration of exposures and NPAs

The sector wise advances is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26			2024-25		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
I.	Agricultural sector including allied agricultural activities*	9,32,832.52	1,999.25	0.21	8,41,125.53	2,005.32	0.24
1	Central Government	82,077.15	0.00	0.00	83,100.97	0.00	0.00
2	Central PSUs	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	State Governments	2,46,334.97	0.00	0.00	2,32,460.92	0.00	0.00
4	State PSUs	72,534.49	0.00	0.00	48,845.66	0.00	0.00
5	Scheduled Commercial Banks	1,71,906.60	0.00	0.00	1,50,213.33	0.00	0.00
6	Regional Rural Banks	79,992.07	0.00	0.00	77,440.90	0.00	0.00
7	Co-operative banks	2,01,048.73	0.00	0.00	1,84,097.41	0.00	0.00
8	Private sector (excluding banks)	18,724.59	114.59	0.61	15,685.00	124.29	0.79
9	Others SCARDB/LDB/NBF C-MFI/ ADFC	59,754.18	1,884.66	3.15	49,281.34	1,881.03	3.82
II.	Others	326.82	0.16	0.05	284.61	0.02	0.01
1	Construction Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Staff Loans#	326.82	0.16	0.05	284.61	0.02	0.01
	Total (I+II)	9,33,159.34	1,999.41	0.21	8,41,410.15	2,005.34	0.24

*Includes major loans such as RIDF, WIF, NIDA etc.

#grouped under "Other Advance" in Schedule-13.

10.5 Unhedged Foreign Currency Exposure: NIL (NIL)

10.6 Exposures to Related Parties: NIL

11. Derivatives**11.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap –**

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	Current Year	Previous Year
1	The notional principal of swap agreements	250	-
2	Losses which would be incurred if	-	-

	counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements		
3	Collateral required by the AIFI upon entering into swaps	-	-
4	Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
5	The fair value of the swap book (Refer Schedule 14 of Balance Sheet)	(-) 7.31	-

The Nature and terms of the IRS as on 31st March 2026 and 31 March 2025 are set out as below

Swap Type	Pay Leg	Receive Leg	Curve / Benchmark	Notional (₹ Cr)
Interest Rate Swap	Floating (T BILL)	Fixed	T BILL Curve	250.00

11.2 Exchange Traded Interest Rate derivatives – NIL

11.3 Disclosure on Risk exposure in derivatives:

11.4 Qualitative Disclosure

- (i) The Bank undertakes derivative transactions for hedging exchange risk associated with foreign currency borrowings and for managing interest rate risk arising from mismatches in the repricing of assets and liabilities. The Bank does not undertake trading in Derivatives.
- (ii) Internal Control guidelines for hedging are framed and approved by the Board. The derivative structure is undertaken only after approval of the competent authority. The particulars of derivative details undertaken are also reported to Investment Committee/ALCO. The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals.
- (iii) Accounting policies for hedging:

(a) Recognition and Initial Measurement

The Bank recognises all derivative financial instruments on the date the derivative contract is entered into. All derivatives are initially measured at fair value on the trade date and are subsequently re-measured to fair value at each balance sheet date. The methodology for determining fair value is described in the Fair Value Measurement Policy.

(b) Derivatives Not Designated in a Hedging Relationship

Derivative instruments that are not designated as part of a formal hedging relationship (non-designated derivatives) are classified as economic hedges and carried at fair value through profit and loss (FVTPL). Changes in fair value of such instruments are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss under 'Net Gain / (Loss) on Fair Valuation of Derivative Instruments'. This treatment is consistent with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (the 'ICAI Guidance Note').

(c) Hedge Accounting – General Principles

- i. The Bank applies hedge accounting in accordance with the ICAI Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts, to the extent that the following conditions are met at inception and on an ongoing basis:

- (a) Formal designation and documentation of the hedging relationship, including identification of the hedged item, the hedging instrument, the nature of the risk being hedged, and the hedge effectiveness assessment methodology.
 - (b) The hedging relationship is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risk (prospective effectiveness assessment).
 - (c) The hedge is assessed on an ongoing basis and is determined to have been highly effective throughout the financial reporting period.
 - (d) For cash flow hedges, the forecast transaction being hedged must be highly probable.
 - (e) Hedge accounting is applied prospectively from the date of formal designation. No retrospective designation is permitted under the ICAI Guidance Note. Derivative instruments entered into prior to formal designation are accounted for as non-designated derivatives (FVTPL) until such time as they are formally designated.
- ii. The Bank holds certain derivative contracts (Cross Currency Swaps) entered into prior to 01 January 2026. These contracts were not part of a formal hedge accounting relationship as at the inception date and accordingly do not qualify for hedge accounting under the ICAI Guidance Note, which requires formal designation and documentation at inception.

These Contracts serve as economic hedges and are aligned with the Bank's overall risk management and ALM strategy. However, as the formal designation and documentation requirements for hedge accounting were not fulfilled at inception of these contracts, they are classified as non-designated derivatives and are measured at fair value through profit and loss (FVTPL) in accordance with the ICAI Guidance Note.

(d) Fair Value Hedges

- i. Where a derivative is designated as a hedging instrument in a fair value hedge, the gain or loss on the hedging instrument is recognised in the Statement of Profit and Loss. Simultaneously, the carrying amount of the hedged item is adjusted for the fair value change attributable to the hedged risk, and this adjustment is also recognised in the Statement of Profit and Loss. Any ineffective portion is recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.
- ii. The Bank designates Interest Rate Swaps (IRS), including Overnight Indexed Swap (OIS), as fair value hedging instruments against fixed-rate financial liabilities. The hedged risk is the change in fair value of the fixed-rate liability attributable to changes in the benchmark interest rate.
- iii. Where hedge accounting is discontinued, the cumulative fair value adjustment to the carrying amount of the hedged item is amortised to the Statement of Profit and Loss over the residual life of the original hedging relationship using the effective interest method.

(e) Cash Flow Hedges

- i. Where a derivative is designated as a hedging instrument in a cash flow hedge, the effective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognised in Reserve Fund and other Reserves within the Cash Flow Hedge Reserve. The ineffective portion is recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.
- ii. The Bank designates Cross Currency Swaps (CCS) as cash flow hedging instruments against foreign currency and interest rate variability associated with External

Commercial Borrowings (ECBs). The hedged risk is the variability in INR cash flows arising from changes in foreign exchange rates and the applicable floating interest benchmark.

- iii. Amounts accumulated in the Cash Flow Hedge Reserve in Reserve Fund and other Reserves are reclassified to the Statement of Profit and Loss in the period in which the hedged item affects profit or loss. If the hedged forecast transaction results in the recognition of a non-financial asset or liability, the amounts accumulated in Reserve Fund and other Reserves are included in the initial cost of that asset or liability.
- iv. When a cash flow hedging instrument expires or is sold, terminated, or exercised, or when a hedging relationship is revoked, any cumulative gain or loss existing in the Cash Flow Hedge Reserve at that time remains in Reserve Fund and other Reserves until the forecast transaction ultimately occurs. If the forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss is reclassified from Reserve Fund and other Reserves to the Statement of Profit and Loss.

(f) Fair Value Measurement Policy

The fair values of derivative instruments are determined using valuation techniques. Interest Rate Swaps are valued by discounting expected future cash flows using applicable market yield curves (MIFOR, OIS or T Bill curves as applicable). Cross Currency Swaps are valued using forward exchange rates and relevant interest rate curves.

11.5 Quantitative Disclosures

- (i) The Bank has following types of derivatives instruments open as on March 31, 2026 and March 31, 2025 (Refer Schedule 8 and 13 of Balance Sheet)

March 31, 2026

(Amount in ₹ crore)

Instrument Type	No. of Contracts	Notional Amount	Fair Value – Asset	Fair Value – Liability
Currency Derivatives				
Spot and Forwards	-	-	-	-
Currency Swap (CCS)	6.00	1,240.14	83.28	-
Currency Options	-	-	-	-
Interest Rate Derivatives				
Forward Rate Agreements and	-	-	-	-
Interest Rate Swap	1.00	250.00	-	7.31
Credit Derivatives	-	-	-	-
Other Derivatives	-	-	-	-
Total Derivatives	7.00	1,490.14	83.28	7.31

March 31, 2025

(Amount in ₹ crore)

Instrument Type	No. of Contracts	Notional Amount	Fair Value – Asset	Fair Value – Liability
Currency Derivatives				
Spot and Forwards	-	-	-	-
Currency Swap (CCS) Designated Instruments	-	-	-	-
Currency Options	-	-	-	-
Interest Rate Derivatives				
Forward Rate Agreements and	-	-	-	-
Interest Rate Swap	-	-	-	-
Credit Derivatives	-	-	-	-
Other Derivatives	-	-	-	-
Total Derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00

(ii) Interest Rate Sensitivity

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particular	2025-26		2024-25	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	1,240.13	250.00	517.99	
	b) For trading			--	
(ii)	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	83.28	0.00	0.00	
	b) Liability (-)	0.00	7.31	4.55	
(iii)	Credit Exposure	161.83	3.75	46.59	
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	8.22	16.37	16.66	
	b) on trading derivatives			--	
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging			--	
	Maximum	8.22	16.61		
	Minimum	2.66	16.37		
	b) on trading			--	

(iii) Cash Flow Hedge

- (a) The Bank has designated certain Cross Currency Swap (CCS) contracts as cash flow hedging instruments against the variability in INR cash flows arising from ECB obligations denominated in foreign currencies.

- (b) Under the CCS arrangements, the Bank pays INR fixed or floating rates and receives foreign currency (USD) payments aligned with the ECB coupon schedule. The CCS effectively converts the foreign currency cash flow obligations into INR cash flows, thereby hedging both foreign currency risk and foreign currency interest rate risk.
- (c) Cash Flow Hedge Reserve Movement

The movement in the Cash Flow Hedge Reserve included within Reserve Fund and other Reserves for the year ended 31 March 2026 is as follows:

Cash Flow Hedge Reserve Movement Statement

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Gross Amount (As on 31.03.2026)	Gross Amount (As on 31.03.2025)
Opening Cash Flow Hedge Reserve	0.00	0.00
Add: Gains/(Losses) recognised in Reserve Fund and other Reserves during the year (Refer Schedule 1 of Balance Sheet)	(3.20)	0.00
Less: Amounts reclassified from Reserve Fund and other Reserves to P&L	0.00	0.00
Closing Cash Flow Hedge Reserve	(3.20)	0.00

Maturity Profile of Derivative Contracts

The following table summarises the notional amounts of outstanding derivative contracts by remaining maturity:

March 31, 2026

Category / Instrument	Upto 1 Year	1–2 Years	2–3 Years	3–5 Years	Over 5 Years	Total
IRS – Fair Value Hedge	-	-	-	-	250.00	250.00
CCS – Cash Flow Hedge	57.58	67.74	67.74	595.05	452.03	1,240.13
TOTAL	57.58	67.74	67.74	595.05	702.03	1,490.13

March 31 2025

Category / Instrument	Upto 1 Year	1–2 Years	2–3 Years	3–5 Years	Over 5 Years	Total
IRS – Fair Value Hedge	-	-	-	-	-	-
CCS – Cash Flow Hedge	122.05	45.38	45.38	90.76	214.42	517.99
TOTAL	122.05	45.38	45.38	90.76	214.42	517.99

12. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by AIFIs:

S.no	Name of borrower	LC issuing Bank	Beneficiary Name	LC Amount	CG/LoC effective date	Tenure	LC Comm-ission	Commission payment Frequency
1.	Ayana Kadapa Renewable Power Private Ltd	IndusInd Bank	a) Torrent Electricals Limited b) Jayaam Galvanizers Private Limited c) MKK Metal Sections Pvt Ltd	₹ 46,44,74,353.00	17.12.2025	Upto 3 years from the date of issuance	0.385%	Quarterly
2.	Project Eleven Renewable Power Private Limited	Axis Bank Ltd	a) Ayana Renewable Power Private Limited	₹ 94,00,00,000.00	28.08.2025	Upto 3 years from the date of issuance	0.52%	Quarterly

13. Asset Liability Management

The maturity pattern of assets and liabilities are prepared in terms of the ALCO policy of the bank as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	1 -14 d	15-28d	29d-3m	>3m-6m	>6m-1y	>1y-3y	>3y-5y	>5y	Total
Deposits	34.22	10,730.41	34.22	20,539.20	57,134.98	90,000.26	84,018.21	32,820.96	2,95,312.47
Advances	42,372.69	20,894.62	87,723.94	92,705.24	1,84,772.53	2,30,826.44	1,79,633.23	91,894.19	9,30,822.88
Investments	83,867.19	0.00	7,455.31	920.52	3,660.49	859.47	1,863.18	4,881.46	1,03,507.62
Borrowings	74,944.04	6,554.51	1,05,915.84	54,242.52	1,01,747.45	1,53,817.16	92,498.10	69,688.54	6,59,408.15
Foreign Currency Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foreign Currency liabilities	0.00	0.00	0.00	16.93	40.64	135.48	157.41	889.67	1,240.13

14. Draw Down from Reserves: NIL**15. Disclosure of Penalties imposed by RBI –**

Reserve Bank of India (RBI) vide its letter dated 10 July 2025 imposed a penalty of ₹ 3 lakhs due to shortfall in the securities in SGL account of NABARD on 16 June 2025, which led to 'SGL bouncing'. The penalty was paid on 15 July 2025. Bank has since enhanced its review mechanism so as to ensure that such incidents do not recur.

16. Disclosure of Complaints**(a) Customer Complaints**

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	3	22
(b)	No. of complaints received during the year	107	71
(c)	No. of complaints redressed during the year	105	90
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	5	3

17. Disclosures relating to Securitisation –

In accordance with RBI Master Direction RBI/DOR/2025-25/328 DOR.STR.REC.247/21.04.177/2025-26 dated November 28, 2025 – (Securitisation Transactions) Directions, 2025, the outstanding amount of securitised assets as per books of the Special Purpose Entity and total amount of exposures retained by the originator as on the date of balance sheet to comply with the Minimum Retention Requirement is NIL

18. Off-Balance Sheet SPVs Sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms) - There are no SPVs sponsored by NABARD.**19. Disclosure as per specific accounting Standards****19.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.**

Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1.	Income	0.00	0.00
2.	Revenue Expenditure	0.00	0.00
Total		0.00	0.00

19.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits**Disclosure required under AS 15 (Revised) on “Employee Benefits”****19.2.1 Defined Benefit Plans**

Employees Retirement Benefit plans of the bank include Pension in respect of employees who joined the bank on or before 31st December 2011, Gratuity, Leave Encashment and Post-Retirement Medical Benefits, which are defined benefit plans. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation, by an independent Actuary, using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of services as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

a) Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions

Actuarial Assumptions	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Discount Rate	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%
Expected Return on Plan Assets	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%	7.25%	6.61%
Rate of Escalation In salary	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

b) Changes in Present value of the obligation

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Present value of Obligation at the beginning of period	10,816.75	9,871.46	427.46	416.71	392.00	378.50
Add: Current Service Cost	108.25	98.83	24.05	24.25	9.82	20.07
Add: Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00
Add: Interest Cost	689.93	699.59	28.26	30.63	25.91	27.82
Actuarial (gain)/loss	7.25	704.19	14.03	19.01	73.34	21.73
Less : Benefits paid	(591.51)	(557.32)	(58.93)	(112.61)	(37.08)	(56.12)
Present value of defined benefits obligations at the year end	11,030.67	10,816.75	434.85	427.46	463.99	392.00

c) Changes in the Fair Value of the Plan Assets

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	10,381.90	9,746.28	407.94	407.45	30.34	86.58
Add: Expected return on Plan assets	664.67	693.65	26.96	29.95	2.00	6.36
Add: Contributions by Bank	615.52	321.60	31.09	68.78	0.00	0.00
Actuarial gain/(loss)	(22.39)	177.68	(11.22)	14.37	(0.93)	(1.36)
Less : Benefits paid	(511.10)	(514.34)	(58.93)	(112.61)	(31.41)	(61.24)
Less: Reimbursement Payable to Employer	(80.41)	(42.97)	0.00	0.00	0.00	0.00
Fair value of Plan Assets as at the end of the period	11,048.19	10,381.90	395.84	407.94	0.00	30.34*

*These investments are shown at Book Value in financial statements. The book value of these investments as on

31 March 2026 is ₹ Nil (₹ 10.95 crore).

d) Actual Return on Plan Assets

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Expected return on Plan Assets	664.67	693.65	26.96	29.95	0.00	6.36
Actuarial gain/(loss)	(22.39)	177.68	(11.22)	14.37	0.00	(1.36)
Actual Return on Plan Assets	642.28	871.33	15.74	44.32	0.00	5.00

e) Net Actuarial Gain / (loss) Recognized

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Actuarial gain / (loss) for the period - Obligations	(7.25)	(704.19)	(14.02)	(19.01)	(73.34)	(21.73)
Actuarial gain / (loss) for the period -Plan Assets	(22.39)	177.68	(11.22)	14.37	(0.93)	(1.36)
Total Gain / (Loss) for the period	(29.64)	(526.51)	(25.24)	(4.64)	(74.27)	(23.09)
Actuarial gain or (loss) recognised in the period	(29.64)	(526.51)	(25.24)	(4.64)	(74.27)	(23.09)
Unrecognised Actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

f) Amount recognized in Balance Sheet

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Present value of defined benefits obligations as at the year end	11,030.67	10,816.75	434.85	427.46	463.99	392.00
Less : Fair value of plan assets as at the year end*	11,048.19	10,381.90	395.84	407.94	0.00	0.00*
Unrecognised Past Service cost -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net (Asset)/	(17.52)	434.85	39.01	19.52	463.99	392.00

Liability to be Recognised in the Balance Sheet						
Net (Asset)/ Liability to be Recognised in the Balance Sheet	(17.52)	434.85	39.01**	19.52	463.99	392.00

*Since there is no separate trust for leave benefits, the fair value of plan assets for investments ₹ Nil (PY ₹30.34 crore) and is classified as investment at its book value.

**The above figure does not include ₹0.73 crore pertaining to gratuity for contract employees, as disclosed under Note 32 of Schedule 18.

g) Expense to be recognized in Profit and loss Account

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current Service Cost	108.25	98.83	24.05	24.25	9.82	20.07
Add: Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00
Add : Interest cost	689.93	699.59	28.26	30.63	25.91	27.82
Less : Expected return on Plan assets*	(664.67)	(693.65)	(26.96)	(29.95)	0.00	0.00
Add : Net Actuarial (gain)/ loss recognized in Year	29.64	526.51	25.24	4.64	73.34	21.73
Expenses to be recognized in the statement of profit and loss	163.15	631.28	50.59	79.04	109.07	69.62
- Of which, out of earlier year provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Contributions received from employees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Charged to Profit and loss account	163.15	631.28	50.59	79.04	109.07	69.62

* Since there is no separate trust for leave benefits and the investment made by the bank are held as investment in its books no effect in respect of expected return and actuarial gain/loss in respect of the same is considered in the above table.

19.2.2 Defined Contribution Plan:

- The bank contributes its share to Provident Fund with NABARD Pension Fund Trust. As per the terms, the contribution is a defined contribution plan. During the year, the bank has contributed ₹75.71 crore (₹30.00 crore) with NABARD Pension Fund Trust.

- b. The employees' recruited on or after 01 January 2012 are covered under New Pension Scheme, which is a defined contribution plan. During the year, the bank has contributed ₹46.04 crore (₹25.41 crore) to the said scheme.

19.2.3 Post-Retirement Medical Benefits

The present value of defined benefit obligation in respect of post-retirement medical benefits accounted in Profit and Loss Account is ₹42.10 crore (₹21.96 crore).

19.2.4 The aforesaid liabilities include liabilities of employees deputed to subsidiaries.

19.2.5 Amortisation of Post-retirement benefits

The entire liability towards post-retirement benefits is charged to Profit and Loss account and are not amortized.

19.2.6 Investment under Plan Assets of Pension, Gratuity & Leave Benefits Fund as on 31 March 2026

Particulars	Pension	Gratuity
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	20.19	0.00
State Govt. Securities	41.87	0.00
Insurer Managed Funds	0.00	100.00
Others	37.94	0.00
Total	100.00	100.00

19.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Information on Business Segment

(a) Brief Background

The Bank has recognised Primary segments as under:

- Direct Finance: Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/non-governmental organizations for developmental activities and other direct loans to DCCBs.
- Refinance: Includes Loans and Advances given to State Governments, Public Sector Banks, Private Banks, Small Finance Banks, Foreign Banks, SCARDBs, StCBs, Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.
- Treasury: Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.
- The segments other than the above three primary segments is other business segments. After finding out the results of the three primary segments based on the direct income and direct expenses, the balance amounts including un-allocable expenses/ liabilities/ assets are grouped under "Other Business".

(b) Information on Primary Business Segment

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Treasury		Refinance		Direct Lending		Other Business		Total	
Business Segments	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	8,408.48	7,649.52	27,891.95	28,911.04	24,305.46	21,765.14	68.95	98.71	60,674.85	58,424.41
Result	1,805.83	1,425.27	6,482.42	3,571.30	3,207.45	7,910.98	(2,178.69)	(2,752.95)	9,317.01	10,154.60
Unallocated Expenses									0.00	0.00
Operating Profit									9,317.01	10,154.60
Income Taxes									2,148.84	2,526.28
Extraordinary profit / loss									0.00	0.00
Net Profit									7,168.17	7,628.32
Other Information										
Segment Assets	1,54,952.56	1,39,058.27	5,10,333.17	4,53,289.86	4,27,727.22	3,91,092.15	2,718.77	1,076.71	10,95,731.72	9,84,516.99
Segment Liabilities	1,78,299.64	1,50,328.53	3,92,126.99	3,51,850.09	4,24,909.99	3,89,591.47	97,634.08	89,924.46	10,92,970.70	9,81,694.55
Unallocated Assets									135.11	113.95
Total Assets									10,95,866.83	9,84,630.94
Unallocated Liabilities									2,896.13	2,936.39
Total Liabilities									10,95,866.83	9,84,630.94

Note : Unallocated Assets represent Deferred Tax Asset and Unallocated Liabilities represent Provision for Income Tax

(c) Since the operations of the Bank are confined to India only, there is no reportable secondary segment.

19.4 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 “Related Party Transactions”, the details of the transactions with other state-controlled enterprises (including its subsidiaries) are not disclosed.

List of Related Parties:

19.4. 1 Companies where entity has control:

S. No.	Companies	Relationship
1.	NABFINS Limited	Subsidiary
2.	NABKISAN Finance Limited*	Subsidiary
3.	Nabard Consultancy Services Pvt. Ltd.	Wholly owned Subsidiary
4.	NABVENTURES Limited	Wholly owned Subsidiary
5.	NABFOUNDATION	Wholly owned Subsidiary
6.	NABSanrakshan Trustee Private Limited	Wholly owned Subsidiary
7.	Sahakar Sarathi Private Limited	Associate

* NABSAMRUDDHI Finance Limited merged with NABKISAN Finance Limited w.e.f. 16th

December 2025.

19.4.2 Key Management Personnel:

S. No.	Name of the party	Designation
1.	Dr Shaji Krishnan V	Chairman
2.	Shri Goverdhan Singh Rawat	Deputy Managing Director
3.	Dr Ajay Kumar Sood	Deputy Managing Director

19.4.3 Significant transactions with related parties

(Amount in ₹ crore)

Items / Related	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel @	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings#	-	-	-	-	-
Deposit#	-	-	-	-	-
Placement of deposits#	-	-	-	-	-
Advances#	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
Investments#	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	333.33 (NIL)	-	-	333.33 (NIL)
Maximum during the year	-	333.33 (NIL)	-	-	333.33 (NIL)
Non funded commitments#	-	-	-	-	-
Leasing arrangements availed#	-	-	-	-	-
Leasing arrangements provided#	-	-	-	-	-
Rent Payment		0.05 (NIL)			0.05 (NIL)
Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-
Sale of fixed assets	-	-	-	-	-
Interest paid	-	-	-	-	-
Interest Received	-	-	-	-	-
Rendering of services*	-	-	-	-	-
Receiving of services*	-	-	-	-	-
Management Contracts**	-	-	1.21 (1.44)	-	1.21(1.44)

@ Whole time directors of the Board

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

** Remuneration to Key Management Personnel.

19.5 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

19.5.1 The Bank recognizes deferred tax asset / liability on timing differences in accordance with AS 22 “Accounting for taxes on Income”. During the year, the Bank has recognized deferred tax expense (charge) of ₹ 21.16 crore (76.28 crore) in the Profit and Loss Account. The details of total deferred tax assets as on 31.03.2026 are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Deferred Tax Assets	2025-26	2024-25
1.	Provision allowable on payment basis	118.36	100.24
2.	Depreciation on Fixed Assets	16.75	13.71
	Total	135.11	113.95

[19.5.2 Recognition of Deferred Tax Liability on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the

Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

19.5.3 As the loan book is growing year on year, Provision on Standard Assets is required to be created every year in line with the RBI Prudential Norms. Therefore, in accordance with the principles laid down in AS-22, the Bank does not recognise Deferred Tax Asset on account of Provision on Standard Assets, as there is no reasonable certainty of their realisation.

19.6 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

In the opinion of the Bank's management, there has been no indication requiring the testing of impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring the provision.

20 Leave travel concession benefits to employees are accounted for as and when the same is availed by the employees.

21 NABARD is acting as a banker/ custodian/ trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the following funds, pending utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements / as approved by the management/Board of Directors. The details of rate of interest for respective funds are as under:

S. No.	Name of the Fund	Rate of Interest for 2025-26	Rate of Interest for 2024-25
1.	Watershed Development Fund	2.5%	3%
2.	National Adaptation Fund for Climate change	2.5%	0%
3.	Tribal Development Fund	2.5%	3%
4.	Financial Inclusion Fund	0%	3%
5.	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	2.5%	3%
6.	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	2.5%	3%
7.	Producer Organisation Development Fund-Interest Differential	2.5%	3%
8.	Climate Change Fund -Interest Differential	2.5%	3%
9.	Green Climate Fund Project Grants	2.5%	3%
10.	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	4.38%	7.83%
11.	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	4.38%	7.83%
12.	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	4.38%	7.83%
13.	AgriSURE-GoI Fund	2.5%	0%
14.	Capacity Building Fund For Social Stock Exchange	2.5%	0%

- 22 Recoverable from Government of India / International Agencies (Refer Schedule-13 of Balance Sheet) includes ₹ 1.08 crore (₹ 2.00 crore) being debit balance of various funds.

The details of such funds are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Name of the Fund	2025-26	2024-25
1.	KfW- Soil Project	0.00	0.92
2.	NAFCC	1.08	1.08
	Total	1.08	2.00

- 23 ₹236.41 crore included in Schedule 8 “Current Liabilities” is the interest differential available to the Bank in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits and Food Processing Fund (FPF), placed by various banks is credited to the funds in pursuance to directions issued by RBI. However, no such directions has been received for the year 2025-26 till the date of the report. As and when received, it will be apportioned as per the RBI directions.

- 24 Interest Subvention received / receivable from Government of India (GOI) under various schemes has been adjusted from Interest and financial charges under Schedule 14. The amount of interest subvention adjusted under different schemes is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Scheme	2025-26	2024-25
1.	Long Term Irrigation Fund	548.74	567.95
2.	Seasonal Agricultural Operations (SAO)	(86.80)	140.96
3.	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	29.97	34.72
4.	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	161.15	126.07
5.	Micro Irrigation Fund (MIF)	85.11	87.68
6.	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF)	36.65	25.85

- 25 Interest Margin on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural Operations and under NRLM scheme has been accounted as interest income. The amount received / receivable from GOI under scheme stood at ₹ 88.05 crore (₹ 115.09 crore).

- 26 The details of pending Income Tax Appeals with various authorities are given below:

S. No.	Assessment Year	Authority where Appeal is pending	Appeal preferred by	Amount of tax in dispute as on 31-03-2026 (₹ Crore)	Amount of tax in dispute as on 31-03-2025 (₹ Crore)
1	2002-03	High Court – Mumbai	IT Dept.	415.00	415.00
2	2006-07	High Court – Mumbai	IT Dept.	217.85	217.85
3	2007-08	High Court – Mumbai	IT Dept.	88.56	88.56
4	2008-09	High Court – Mumbai	IT Dept.	118.77	118.77
5	2009-10	High Court – Mumbai	IT Dept.	194.82	194.82
6	2010-11	High Court – Mumbai	NABARD	28.20	28.20
7	2010-11	High Court – Mumbai	IT Dept.	215.32	215.32
8	2011-12	High Court – Mumbai	NABARD	51.03	51.03

9	2012-13	High Court – Mumbai	NABARD	45.63	45.63
10	2013-14	High Court – Mumbai	NABARD	1.70	1.70
11	2012-13	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	25.55	--
12	2022-23	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	147.78	--
13	2023-24	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	72.20	--
14	2016-17	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	407.23	407.23
15	2017-18	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	360.69	360.69
16	2018-19	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	278.52	278.52
17	2022-23	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	--	182.64

27 Free hold land and Lease Land and Premises include ₹12.56 crore (₹ 11.85 crore) paid towards various Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.

28 Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:

28.1 Classified as Investments and shown in Schedule – 10 under the head ‘Debenture and Bonds’.

28.2 Interest earned on the same is shown as a part of ‘Interest received on Loans and Advances’ in the Profit and Loss Account, treating them as ‘Deemed Advances’.

28.3 ‘Deemed Advances’ for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.

29 During the year, the Bank has paid the arrears towards wage settlement of ₹ 503.54 crore out of the provisions made of ₹ 897.42 crore created up to December 31, 2025 (including ₹ 230.25 crore provided during FY 2025-26). An amount of ₹308.86 crore has been reversed, comprising ₹ 230.25 crore pertaining to the current year and ₹ 78.61 crore relating to previous years, and netted off from employees cost. Balance of ₹ 85.00 crore is still lying in the books of account and which would be paid in FY 2026-27.

30 As on the date of the financial statements, out of the disbursement extended to various State Governments under RIDF, ₹ 789.39 crore (₹633.71 crore) pertains to projects yet to be grounded under ongoing Tranches (XXVII to XXXI) towards mobilisation advance. Pending receipt of the proposal from the State Government for adjustment of the amount with the respective/ other projects, the amount has been classified as disbursement from the fund.

31 In terms of Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance notification dated 18 February 2016, NABARD was allowed to raise tax free bonds having benefits under section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act 1961 amounting to ₹ 5,000 crore. Accordingly, ₹ 1,500 crore repayable in 10 year tenure was mobilized through Private Placement and ₹ 3,500 crore repayable in 10 & 15 year tenure was mobilized through public issue. The tax free bonds are in the nature of secured, redeemable and non-convertible bonds. These bonds are secured against pari passu charge on property situated in Mumbai and also first charge on specified book debts of NABARD. The interest charge to revenue pertaining to these bonds for the current year is ₹ 354.41 crore (₹ 365.07 crore).

The details of the debenture Trustee is: **Axis Trustee Services Limited**, The Ruby,
2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400028
Telephone: +91 22 6230 0451.

- 32 On November 21, 2025, the Government of India notified the four Labour codes - The code on Wages, 2019, The Industrial Relations code, 2020, The code on Social Security, 2020 and The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (collectively referred to as the 'Labour Codes') consolidating 29 existing Labour Laws. The Bank has made provision for gratuity aggregating to ₹ 0.73 crore for contract employees in accordance with the provisions of the new Labour Codes. However, the detailed rules and procedural guidelines under the said Labour Codes are yet to be notified by all the State Governments. Accordingly, the final impact, if any, arising from such notifications and subsequent clarifications shall be appropriately considered and accounted for in the financial statements in the period in which the same become applicable.
- 33 Figures in brackets pertain to previous year.
- 34 Previous year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform to the current years classification/ presentation.

As per our attached report of even date.

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.:102306
Mumbai
Date - 26 May 2026

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Dr. Shaji Krishnan V
Chairman

R Inigo Arul Selvan
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
26 May 2026

REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**OPINION**

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of the National Bank for Agriculture and Rural Development ('the Holding Bank' or 'NABARD' or 'the Bank'), and its subsidiaries (the Holding Bank and its subsidiaries collectively referred to as 'Group') and its associate, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the Consolidated Financial Statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of report of other auditor on separate audited financial statements/ management certified financial statements of subsidiaries and associate, the aforesaid Consolidated Financial Statements are full and fair financial statements containing all necessary particulars and properly drawn up in conformity with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984 and the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') and accounting principles generally accepted in India, so as to give a true and fair view of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2026, consolidated profits and its consolidated cash flows for the year ended on that date and read with the notes on the consolidated financial statements.

BASIS OF OPINION

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') issued by the ICAI. Our responsibilities under those SAs are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. Those Standards require that we comply with ethical requirements. We are independent of the Group and its associate in accordance with the "Code of Ethics" issued by ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 March, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on the key audit matters. In our professional judgement, we have decided the following to be the key audit matter to be communicated in our report:

Key Audit Matter	How our Audit addressed the key audit matter
Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision of Advances Advances include Refinance loans to banks, Financial Institutions, Micro Finance Institutions and NBFCs; and Direct loans to State Governments and Central Government. The Reserve Bank of India ('RBI') has prescribed the 'Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' in respect of advances for Group ('IRACP Norms'). The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Group is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each advance applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations. Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on: - Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRACP norms; - Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security; - Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs. Since the classification of advances, identification of NPAs and creation of provision on advances (including additional provisions under applicable IRACP Norms) and income recognition on advances: - requires proper control mechanism and significant level of estimation by the Group; and - has significant impact on the overall financial statements of the Group; we have ascertained this area as a Key Audit Matter. (Refer Schedule 11 read with note 8 of schedule 18 to the consolidated financial	Principal audit procedure performed - Understanding and considering the Group accounting policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the prudential norms prescribed by the RBI (IRACP Norms), including the additional provisions and asset classification benefit extended on restructured advances. - Understanding the key controls (including system based automated controls) for identification and provisioning of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP laid down by the RBI. - Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded. - Considering the accounts reported by the Group and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress. - Reviewing account statements, drawing power calculation, security and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. - Reading of minutes of credit and risk committee meetings and performing inquiries with the Group to ascertain if there were indicators of stress or an occurrence of an event of default in a loan account or any product. - Considering key observations arising out of Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Group. - Considering the RBI Financial Inspection report on the Group, the Group response to the observations and other communication with RBI during the year. - Examination of advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines. - Seeking independent confirmation of account balances from borrowers.

statements)	- Visits to regional offices and examination of documentation and other records relating to advances. - For Non-performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRACP norms. - Recomputed the provision for NPA on such samples after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management.
Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Group in Central and State Governments Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds, VCFs and other approved securities. RBI Circulars and directives, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, non-recognition of income and provisioning against non-performing investments. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL/FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. We identified valuation of investments and identification of NPI as a Key Audit Matter because of the management judgement involved in determining the value of certain investments (Bonds and Debentures, VCFs) based on applicable Regulatory guidelines and the Group policies, impairment assessment for HTM book based on management judgement, the degree of regulatory focus and the overall significance to the financial results of the Group.	Principal audit procedure performed - Evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, reversal of income on NPIs and provisioning/depreciation related to investments; - Assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining market value of these investments; - Tested on sample basis, the accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security; - Carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained in accordance with the circulars and directives of the RBI. - Selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained and if accrual of income is in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

(Refer Schedule 10 read with note 7 of schedule 18 to the consolidated financials statement.)	
3. Multiple IT Systems: The Bank is dependent on technology considering significant number of transactions that are processed daily across multiple and discrete Information Technology ('IT') systems. The audit approach relies extensively on several reports generated by interface of these IT systems and inbuilt automated controls therein. The major IT systems concerning the financial reporting process include: • CLMAS – transactions processing, workflows and financial reporting system • NABRajKosh – Treasury Operations • Empower HRMS – HR and payroll • FAMS – Property, Plant and Equipment and processing of expenses • Interface/interplay of one or more of above systems in building up or generating reports. IT general and application controls are critical to ensure that changes to applications and underlying data are made in an appropriate manner. Adequate controls contribute to mitigating the risk of potential fraud or errors as a result of changes to the applications and data. Management of the Holding Bank's continuously endeavours several remediation activities and is in the process of bettering the implementation thereof aiming at minimization of the risks over IT applications in the financial reporting process. These includes implementation of preventive and detective controls across critical applications and infrastructure. Due to the pervasive nature, in our preliminary risk assessment, we planned our audit by assessing the risk of a material misstatement arising from the technology as significant for the audit, hence the Key Audit Matter.	Principal audit procedure performed - Involved our IT specialist for testing and checking of IT system and controls over financial reporting; - Reviewed the report of IS Audit carried out for half year ending March 31, 2025 by an independent firm of Chartered Accountants pertaining to IT systems, general controls including access rights over applications, operating systems and databases relied upon for financial reporting; - Understanding the Holding Bank's IT control environment and key changes in the course of our audit that were considered relevant to the audit; - Selectively recomputing interest calculations and maturity dates; - Selectively re-evaluating masters updation, interface with resultant reports; - Testing of the system generated reports and accounting entries manually for core financial reporting matters (i.e. verification around the computer system), so as to rectify the incorrect entries noticed during the audit.

INFORMATION OTHER THAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Holding Bank's Management and Board of Directors are responsible for the preparation of the other information, comprising of the information such as Report of Board of Directors, Corporate Governance report and such other disclosures included in the Holding Bank's annual report, but does not include the consolidated Financial Statements and auditors' report thereon.

The other reports are expected to be made available to us after the date of this auditors' report. Our opinion on the Consolidated Financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance/conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information and if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance as required under SA 720 'The Auditor's Responsibilities Relating to other Information'.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Holding Bank's Management and the Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements in accordance with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984 and accounting principles generally accepted in India including applicable Accounting Standards issued by ICAI and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance, and consolidated cash flows of the Group including its associate. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and its associate and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the Holding Bank, and of companies included in the Group and its associate are also responsible for assessing the Group's and its associate ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or its associate or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the Holding Bank, and of companies included in the Group and its associate are also responsible for overseeing the Group's and its associate's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is

not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's Internal Control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associate to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group and its associate to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of the Holding Bank included in consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described under 'Other Matters' in this audit report.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the consolidated financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance of Holding Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

OTHER MATTERS

1. The Bank has 32 (Thirty-two) Regional Offices (ROs) including Head Office (HO), 3 (Three) Training Establishments (TEs). The financial accounting systems of the Bank are centralized for the ROs and TEs. Out of the total ROs, we have visited 11 (Eleven) ROs including Head Office and 1 (One) TE, which covers 70.42% of Advances, 100% of PSL Deposits, 100% of Borrowings as on 31 March 2026 and 100% of interest income on advances, 100% of interest expenses PSL Deposits and 100% of interest expenses on Borrowings for the year ended 31 March 2026. These ROs have been selected in consultation with the management of the Bank. In conduct of the audit, we have relied on the various information and returns received from remaining ROs of the Bank not visited by us, generated through centralized database at HO.
2. We did not audit the financial statements/ financial information of four subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 529.80 crores and net assets of Rs. 429.14 crores as at March 31, 2026, total revenue of Rs. 260.78 crores and net cash outflows amounting to Rs. 1.04 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements before giving effect to elimination of intra-group transactions. These financial statements/ financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the reports of the other auditors.
3. We did not audit the financial statements / financial information of two subsidiaries whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 11,255.20 crores and net assets of Rs. 1,715.51 crores as at March 31, 2026, total revenue Rs.1204.23 crores and total net cash outflows amounting to Rs. 80.83 crores for the year ended on that, as considered in the consolidated financial statements before giving effect to elimination of intra-group transactions. These financial statements/ financial information were prepared by the management under Indian Accounting Standards (IND AS) and for the purpose of consolidation, Holding Bank Management has prepared the separate financial statements under Indian GAAP and the same are unaudited. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries is based solely on such unaudited financial statements/ financial information certified by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements / financial information are not material to the Group.
4. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of net profit of Rs.2.42 crore for the year ended March 31, 2026, as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of one associate, whose financial statements have not been audited by us. This financial statements/ financial information was prepared by the management under Indian Accounting Standards (IND AS) and for the purpose of consolidation, Holding Bank

Management has prepared the separate financial statements under Indian GAAP and the same are unaudited. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this associate is based solely on such unaudited financial statements/ financial information certified by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, this financial statements / financial information are not material to the Group.

Our opinion above on the consolidated financial statements and our Report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/ financial information certified by the management.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Bank including the heads and sub-heads have been drawn up as per Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984.

We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Holding Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21- 'Consolidated Financial Statements' and Accounting Standard (AS) 23 – 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We further report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit;
- b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors;
- c) The consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements; and
- d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards, in all material aspects.

For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 121750W / W100010

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
UDIN: 26102306VRTQDM8960
Place: Mumbai
Date: 26 May 2026

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Balance Sheet as on 31 March 2026

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		17,080.00	17,080.00
2	Reserve Fund and Other Reserves	1	71,713.35	64,390.38
3	Minority Interest	1A	365.22	339.92
4	National Rural Credit Funds	2	16,114.00	16,110.00
5	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	6,556.53	6,615.72
6	Government Schemes	4	967.11	723.61
7	Deposits	5	2,95,312.47	2,75,991.45
8	Bonds and Debentures	6	3,46,017.32	3,27,366.25
9	Borrowings	7	3,15,379.04	2,51,434.55
10	Current Liabilities and Provisions	8	28,813.31	26,467.31
	TOTAL		10,98,318.35	9,86,519.19

Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Balance Sheet as on 31 March 2026

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS	Schedule	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Cash and Bank Balances	9	49,926.71	46,026.32
2	Investments	10	1,03,372.41	91,452.51
3	Advances	11	9,32,548.97	8,40,446.45
4	Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)	12	1013.98	577.72
5	Other Assets	13	11,456.28	8,016.19
	TOTAL		10,98,318.35	9,86,519.19
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes forming part of Consolidated Financial Statements	18		

Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements

As per our attached report of even date.

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.:102306
Mumbai
Date - 26 May 2026

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Dr. Shaji Krishnan V
Chairman

R Inigo Arul Selvan
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
26 May 2026

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2026

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	INCOME	Schedule	2025-26	2024-25
1	Interest on Loans and Advances		52,739.65	51,232.52
2	Income from Investment Operations / Deposits			
(a)	Interest on Investments		4,422.68	3,017.03
(b)	Dividend on Investments		37.32	33.54
(c)	Discount on Investments		1,313.87	1,332.67
(d)	Gain/ (Loss) on Sales and Maturity of Investments		1,848.88	912.66
(e)	Gain/ (Loss) on Sale and Revaluation of Investments		(1,786.00)	554.73
3	Other Receipts		2,961.37	2,208.59
	TOTAL (A)		61,537.77	59,291.74
Sr. No.	EXPENDITURE	Schedule	2025-26	2024-25
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B – 4 of Schedule – 18)	14	48,791.92	44,890.91
2	Establishment and Other Expenses	15 A	2,456.26	3,374.84
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	280.31	139.69
4	Provisions	16	364.31	387.09
5	Depreciation and Amortization	-	80.14	62.70
	TOTAL (B)		51,972.94	48,855.23
6	Profit before Tax (A-B)		9,564.83	10,436.51
7	Tax Expenses			
	a) Income Tax		2,239.45	2,535.19
	b) Deferred Tax (Refer Note B-6 of Schedule 18)		(24.23)	59.74
8	Profit after Tax		7,349.61	7,841.58
9	Less: Minority Interest		25.02	38.83
10	Add: Share in Profit of an Associate		2.42	-
	Profit available for Appropriation		7,327.01	7,802.75
	Significant Accounting Policies and Notes forming part of Consolidated Financial Statements	18		

Note - Other Receipts include interest received on staff loans, rental income and other miscellaneous income.

Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2026

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Appropriations/ Withdrawals	2025-26	2024-25
1	Profit for the year brought down	7,327.01	7,802.75
2	Add: Withdrawals from various funds against expenditure debited to Profit & Loss Account (Refer Schedule 1)	332.23	243.50
3	Total Profit Available for Appropriation	7,659.24	8,046.25
	Less: Transferred to: (Refer Schedules 1 & 2)		
(a)	Special Reserve u/s 36(I)(viii) of the Income Tax Act, 1961	980.00	850.00
(b)	Reserve Fund u/s 45-IC of RBI Act, 1934	31.31	38.43
(c)	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	1.00	1.00
(d)	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1.00	1.00
(e)	Co-operative Development Fund	105.25	154.55
(f)	Research and Development Fund	52.48	98.61
(g)	Producers' Organisation Development Fund - NABARD	116.95	0.29
(h)	Rural Infrastructure Promotion Fund	2.60	3.18
(i)	Farm Sector Promotion Fund	15.12	34.29
(j)	Gramya Vikas Nidhi	37.66	57.69
(k)	Catalytic Fund	1.83	2.52
(l)	Technology Facilitation Fund	0.90	3.94
(m)	NABARD Green Impact Fund	-	1,000.00
(n)	NABARD Carbon Fund	-	300.00
(o)	RRB Development Fund	-	100.00
(p)	NABARD – Rural Samriddhi Fund (N-RSF)	200.00	-
(q)	Reserve Fund	6,113.14	5,400.75
	Total	7,659.24	8,046.25

Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements

As per our attached report of even date

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Gupta

Partner

Membership No.: 102306

Mumbai

Date: 26 May 2026

Vinod Chandrasekharan

Chief General Manager

Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood

Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat

Deputy Managing Director

Dr. Shaji Krishnan V

Chairman

R Inigo Arul Selvan

Chief General Manager & Secretary

Mumbai

26 May 2026

SCHEDULES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Consolidated Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Additions/ Adjustments during the year	Additions/ Transferred from P&L Appropriation	Withdrawals/ (Refund)/ Transferred to P&L Appropriation	Closing Balance as on 31.03.2026
1	Reserve Fund*	45,775.85	(23.53)	6,170.01	32.24	51,890.09
2	Research and Development Fund	105.14		52.47	51.92	105.69
3	Capital Reserve	74.81	-	-	-	74.81
4	Reserve Fund u/s 45-IC of RBI Act, 1934	216.13	0.06	31.31	-	247.49
5	Investment Fluctuation Reserve	1,885.70	-	-	-	1,885.70
6	Co-operative Development Fund	300.00	-	105.25	105.25	300.00
7	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	14,000.00	-	980.00	-	14,980.00
8	Producers' Organisations Development Fund – NABARD	300.00	-	116.95	116.95	300.00
9	Rural Infrastructure Promotion Fund	50.00	-	2.60	2.60	50.00
10	Farm Sector Promotion Fund	60.00	-	15.12	15.12	60.00
11	Gramya Vikas Nidhi	110.00	-	37.66	37.66	110.00
12	Climate Change Fund	20.00	-	-	-	20.00
13	Catalytic Fund	20.00	-	1.83	1.83	20.00

14	Development Corpus Fund	5.00	-	-	-	5.00
15	Foreign Exchange Fluctuation reserve Fund	17.75	-	-	-	17.75
16	Technology Facilitation Fund	50.00	-	0.9	0.9	50.00
17	NABARD Green Impact Fund	1,000.00	-	-	-	1,000.00
18	NABARD Carbon Fund	300.00	-	-	-	300.00
19	RRB Development Fund	100.00	-	-	-	100.00
20	PODF- Credit guarantee Fund	-	-	-	(0.01)	0.01
21	Derivative – Hedging Reserve (Equity)	-	-	-	3.20	(3.20)
22	NABARD-Rural Samriddhi Fund (N-RSF)	-	-	200.00	-	200.00
	Total	64,390.38	(23.47)	7,714.10	367.66	71,713.35
	Previous year	56,589.90	(54.67)	8,098.65	243.50	64,390.38

***Note** - The format prescribed in NABARD Additional (General) Regulations, 1984 for 'Reserve fund and Other Reserves' has Profit and Loss a/c as one of the sub-item. Since the bank has the practice of transferring the balance in profit and loss account after all the apportions to Reserve fund, there remains no balance in profit and loss account due to which the same has not been separately disclosed above.

Consolidated Schedule 1A - Minority Interest

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Addition during the year	Adjustments during the year	Closing balance as on 31.03.2026
1	Share capital	91.66	(0.57)	-	91.09
2	Reserves and Surplus	248.26	25.87	-	274.13
	Total	339.92	25.30	-	365.22
	Previous year	307.70	32.22	-	339.92

Consolidated Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Closing Balance as on 31.03.2026
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14,505.00	1.00	1.00	14,507.00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,605.00	1.00	1.00	1,607.00
	Total	16,110.00	2.00	2.00	16,114.00
	Previous year	16,106.00	2.00	2.00	16,110.00

Consolidated Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01-04-2025	Grants received / adjusted during the year	Interest credited*	Exp./Disb. /Adjust. during the year	Closing Balance as on 31-03-2026
A.	Grants from International Agencies					
1	GIZ UPNRM Technical Collaboration	0.03	-	-	0.03	-
2	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	22.51	0.05	0.56	-	23.12
3	National Adaptation Fund for Climate Change a/c	3.42	88.35	0.13	91.84	0.06
4	GCF AE Fee grant to EE	-	6.37	-	6.37	0.00*
5	KfW Soil Project	-	2.81	-	2.55	0.26
6	GCF Project Grants	20.35	-	1.84	-	22.19
B.	Other Funds					
1	Watershed Development Fund	1,354.82	-	33.36	83.49	1304.69
2	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	223.43	-	-	-	223.43
3	Interest Differential Fund - TAWA	0.10	-	-	-	0.10
4	Adivasi Development Fund	5.77	-	-	-	5.77
5	Tribal Development Fund	1,086.59	-	26.53	88.00	1025.12
6	Financial Inclusion Fund (i)	3,191.78	259.20	27.05	223.40	3254.63
7	PODF-ID	223.65	-	5.36	36.30	192.71
8	National Bank - Swiss Development Cooperation Project	68.60	0.81	-	-	69.41
9	RPF & RIF - Off-Farm Sector Promotion Fund	20.83	2.49	-	1.09	22.23
10	Centre for Professional Excellence in Co-operatives - (C-PEC)	3.77	-	0.17	-	3.94
11	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	211.78	15.18	5.29	-	232.25
12	Capacity Building Fund for Social Stock Exchange	9.37	-	0.76	0.14	9.99
13	Climate Change Fund - ID (ii)	168.92	-	4.19	6.48	166.63
	Total	6,615.72	375.26	105.24	539.69	6,556.53
	Previous year	6,691.17	346.00	186.96	608.41	6,615.72

*Refer Note B-1 of Schedule 18

Consolidated Schedule 4 - Government Schemes

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Additions/ Adjustments during the year	Interest Credited [#]	Expenditure/ Disbursement s from the fund	Closing Balance as on 31.03.2026
A	Government Subsidy Schemes					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	0.89	-	-	0.11	0.78
2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	0.08	-	-	-	0.08
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	1.01	-	-	-	1.01
4	On-farm Water Management for Crop Production	0.07	-	-	-	0.07
5	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	78.98	-	-	-	78.98
6	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	Cattle Development Programme - Bihar	0.11	-	0.00*	-	0.11
8	National Project on Organic Farming	1.80	-	-	-	1.80
9	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	4.29	-	-	-	4.29
10	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	2.83	-	-	-	2.83
11	Poultry Venture Capital Fund	0.08	0.10	-	0.02	0.16
12	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	11.59	-	0.08	11.15	0.52
13	National Livestock Mission - PVCf EDEG	0.30	0.10	-	-	0.40
14	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	0.08	-	-	-	0.08
15	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur Uttar Pradesh	0.10	-	0.01	-	0.11
16	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareilly, Uttar Pradesh	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	Dairy Entrepreneurship Development Scheme	1.25	0.45	-	0.02	1.68

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2025	Additions/ Adjustments during the year	Interest Credited [#]	Expenditure/ Disbursements from the fund	Closing Balance as on 31.03.2026
18	CSS for Solar Mission	0.00*	-	-	-	0.00*
19	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinic Agri Business Centres	0.10	0.55	0.00*	0.20	0.45
20	CSS MNRE Lighting Scheme 2016 a/c	1.15	-	-	-	1.15
21	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	4.62	-	-	-	4.62
B	Other Government Schemes					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR)- 2008	283.94	-	-	-	283.94
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	1.21	-	-	0.73	0.48
3	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	0.18	600.00	-	600.04	0.14
4	AMI - Workshop Assistance Fund	0.00*	-	-	-	0.00*
5	Kutch Drought Proofing Project	0.22	-	-	-	0.22
6	Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)	20.00	-	-	20.00	-
7	Revival Reform and Restructure of Handloom Sector	4.09	-	-	-	4.09
8	Comprehensive Handloom Package	-	0.01	-	-	0.01
9	Interest Subvention (SAO, NRLM, NWR)	224.10	11,062.65	-	10,720.09	566.66
10	Arunachal Agri Start Up Scheme	0.50	-	-	-	0.50
11	Centrally sponsored Project-PACS Computerisation	17.48	65.55	0.22	83.22	0.03
12	AgriSURE-GoI	62.50	20.47	-	71.11	11.86
	Total	723.61	11,749.88	0.31	11,506.69	967.11
	Previous year	1,506.36	13,054.41	2.02	13,839.18	723.61

#Refer Note B-1 of Schedule 18

*Represents an amount less than ₹ 50,000.

Consolidated Schedule 5 - Deposits

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Central Government	-	-
2	State Governments	-	-
3	Others		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	37.10	40.23
	b) Deposits Under RIDF	2,14,547.05	1,94,482.88
	c) Short Term Cooperative Rural Credit Fund	35,000.00	32,079.11
	d) Short Term RRB Credit Refinance Fund	7,500.00	7,023.74
	e) Warehouse Infrastructure Fund	2,070.00	2,870.00
	f) Long Term Rural Credit Fund	35,678.32	38,945.49
	g) Food Processing Fund	480.00	550.00
	Total	2,95,312.47	2,75,991.45

Consolidated Schedule 6 - Bonds and Debentures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Tax Free Bonds	3,111.50	5,000.00
2	Non-Priority Sector Bonds	2,07,283.00	1,86,736.30
3	PMAY-G - GOI Fully Serviced Bonds	48,809.60	48,809.60
4	Bonds - LTIF	38,160.25	38,160.25
5	LTIF- GOI Fully Serviced Bonds	19,506.80	19,506.80
6	SBM(G) - GOI Fully Serviced Bonds	12,298.20	12,298.20
7	Micro Irrigation Fund (MIF) Bonds	1,754.60	1,754.60
8	Social Bonds	1,040.50	1,040.50
9	Infra Bonds	14,052.87	14,060.00
	Total	3,46,017.32	3,27,366.25

Consolidated Schedule 7 - Borrowings

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Central Government	-	-
2	Reserve Bank of India	-	-
3	Others:		
	(A) In India		
	(i) Certificate of Deposits	57,123.90	37,939.26
	(ii) Commercial Paper	56,981.23	57,386.19
	(iii) CBLO / Tri Party Repo	59,361.98	51,707.99
	(iv) Term Money Borrowings	4.66	10.36
	(v) Term Loan from Banks	1,40,664.33	1,03,869.94
	(vi) JNN Solar Mission	2.81	2.81
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies	1,240.13	518.00
	Total	3,15,379.04	2,51,434.55

Consolidated Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Interest / Discount Accrued		
	(a) Interest / Discount Accrued on Bond and Borrowings	10,335.94	9,880.53
	(b) Interest Accrued on Deposits	2,977.07	2,320.49
2	Sundry Creditors	86.41	188.93
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage, CSAMI)	29.55	7.38
4	Subsidy Reserve	-	22.32
5	Provision for Gratuity	45.86	23.78
6	Provision for Pension	-	434.85
7	Provision for Encashment of Ordinary Leave	468.98	396.92
8	Provision for Post-Retirement Medical Benefit	234.27	192.17
9	Unclaimed Interest on Bonds	4.32	4.36
10	Bonds matured but not claimed	9.93	9.83
11	Bond Premium	310.82	80.97
12	Commitment Charges - International Borrowings	0.57	0.24
13	Provisions and Contingencies		
	a) Depreciation in Value of Investment		
	(i) Government securities		
	(ia) Securities of Central & State Government	1,659.60	-
	(ib) Treasury Bills	-	-
	(ii) Other Approved securities	-	-
	(iii) Equity shares	-	-
	(iv) Debenture and Bonds	3.56	12.04
	(v) Subsidiaries and joint venture	-	-
	(vi) Others – Mutual Funds	8.84	9.63
	b) Amortisation of Premium on Securities Held to Maturity	6.28	6.28
	c) For Standard Assets	3,760.46	3,572.61
	d) Non-performing Investments	222.21	300.59
	e) Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision	2,014.45	2,014.45
	f) Provision for Other Assets & Receivables	6.93	125.40
	g) Provision for Income Tax [Net of Advance Tax]	2,877.34	2,922.99
14	Other Liabilities	3,742.61	3,940.55
15	Derivative Liabilities	7.31	-
	Total	28,813.31	26,467.31

Note- Non-Performing Advances have been adjusted against the Advances shown in Schedule-11

Consolidated Schedule 9 - Cash and Bank Balances**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Cash in hand	0.00*	0.00*
2	Balances with		
	(A) Banks in India		
	(i) Reserve Bank of India	10,026.97	6,568.72
	(ii) Other Banks		
	a) In Current Account	7,671.60	4,547.80
	b) Deposit with Banks #	32,228.14	33,910.50
	(B) Banks outside India	-	-
3	Tri Party Repo – Lending	-	999.30
	Total	49,926.71	46,026.32

includes Short Term Deposits with Banks (with maturity of 3 months and less) of ₹ 12,412.88 crore as on 31.03.2026 (₹ 3,650.00 crore as on 31.03.2025)

*Represents an amount less than ₹ 50,000

Consolidated Schedule 10 - Investments**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Government Securities		
	a) Securities of Central Government & State Government	62,812.50	53,061.47
	[Face Value ₹ 6,19,51,23,00,000 (₹ 5,21,78,15,80,000)]		
	b) Treasury Bills	15,614.37	11,297.96
	[Face Value ₹ 1,61,68,24,70,000 (₹1,14,99,23,50,000)]		
2	Other Approved Securities	5.00	5.40
3	Equity Shares in :		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd.	1.00	1.00
	[1,000 (1,000) - Equity shares of ₹ 10,000 each]		
(b)	Small Industries Development Bank of India	966.28	966.28
	[5,31,92,203 (5,31,92,203) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	60.00	60.00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	-	0.30
	[Nil (3,77,758) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd.	16.88	16.88
	[56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(f)	CSC e-Governance Services India Ltd Equity	9.75	9.75
	[55,000 (55,000) Shares of ₹ 1000 each]		
(g)	Agriculture Skill Council of India	0.00*	0.00*
	[4,000 (4000) Shares of ₹ 10 each]		
(h)	National E-Governance Services India Ltd [Equity]	1.50	1.50
	[15,00,000 (15,00,000) Shares of ₹ 10 each]		
(i)	National e-Repository Ltd.	10.53	10.53
	[1,05,30,000 (1,05,30,000) Shares of ₹ 10 each]		
(j)	Open Network for Digital Commerce	40.00	40.00
	[40,00,000 (40,00,000) Shares of ₹ 100 each]		
(k)	Online PSB Loans Limited	56.76	56.76
	[2,87,329 (2,87,329) Shares of ₹10 each]		
(l)	24x7 Moneyworks Consulting Private Limited	3.84	3.84
	[23,333 (23,333) Shares of ₹10 each]		

m)	Ferbine Private Limited [5,000 (NIL) Shares of ₹10 each]	0.01	-
(n)	Sahakar Taxi Co-operative Limited [200,000 (NIL) Shares of ₹100 each]	2.00	-
(o)	North Eastern Development Finance Corporation Ltd [100,00,000 (NIL) Shares of ₹10 each]	121.82	-
(p)	State Bank of India [12,79,000 (12,79,000) Shares of ₹ 1 each]	20.02	20.02
4	Investment in Associates		
	Sahakar Sarathi Private Limited [33,33,33,334 (NIL) shares of ₹ 10 each]		
	Cost of Investments	333.33	-
	Add: Post-acquisition Profit / (Loss) (Equity method)	2.42	-
	Total	335.75	-
5	Debentures and Bonds		
(a)	Special Development Debentures of SCARDBs (Refer Note B-10 of Schedule 18)	10.39	65.19
(b)	Non-Convertible Debentures	441.10	852.99
6	Others		
(a)	Mutual Fund	9,800.65	6,604.32
(b)	Commercial Paper [Face Value ₹ 5,75,00,00,000 (₹15,00,00,00,000)]	556.46	1,453.08
(c)	Certificate of Deposit [Face Value ₹ 1,16,25,00,00,000 (₹1,64,50,00,00,000)]	11,390.05	16,100.04
(d)	Venture Capital Funds / AIFs	658.14	575.61
(e)	Investment Earmarked towards EOL	-	10.94
(f)	Infrastructure Investment Trust (InvITs)	1.94	2.00
(g)	Investment in Securitisation-PTC	435.67	236.65
	Total	1,03,372.41	91,452.51

*Represents an amount less than ₹ 50,000

Consolidated Schedule 11 - Advances**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Refinance Loans		
(a)	Production and Marketing Credit	1,81,068.83	1,69,224.53
(b)	Other Investment Credit		
(i)	Medium Term and Long-Term Project Loans	2,89,283.02	2,52,632.27
(ii)	Direct refinance to DCCBs	33,785.65	27,767.64
2	Direct Loans		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	1,98,551.75	1,84,724.16
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	1,823.75	2,581.85
(c)	Long Term Non-Project Loans	1,986.02	1,687.32
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	53,574.88	40,879.33
(e)	Loans under Producers' Organisation	0.05	0.14
(f)	Credit Facility to Federations [CFF]	53,209.55	41,676.56
(g)	Loans under Food Processing Fund	295.36	386.48
(h)	Loans under Long Term Irrigation Fund	50,238.16	51,803.83
(i)	Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin	48,819.03	48,819.03
(j)	Swachh Bharat Mission-Gramin	12,298.20	12,298.20
(k)	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	1,171.10	1,366.80
(l)	Loan under Green Climate Fund (GCF)	544.84	517.99
(m)	Micro Irrigation Fund	3,037.21	2,871.83
(n)	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund	1,628.81	1,141.38
(o)	Rural Infrastructure Assistance Scheme (RIAS)	76.76	65.16
(p)	NABARD Green Lending Facility (NGLF)	1,155.42	-
(q)	Other Loans		
(i)	Watershed Development Fund Programme Loans	0.45	1.66
(ii)	Off Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	0.13	0.29
	Total	9,32,548.97	8,40,446.45

Note - The Advances are net off the provisions for Non-performing Assets amounting to ₹ 2,141.46 crore.
(₹ 2,241.61 crore as on 31.03.2025)

Consolidated Schedule 12 – Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	LAND: Freehold & Leasehold (Refer Note B-8 of Schedule 18)		
	Opening Balance	201.23	201.23
	Additions/adjustments during the year	411.71	-
	Sub-Total	612.94	201.23
	Less: Cost of assets sold/written off	6.39	-
	Closing Balance (at cost)	606.55	201.23
	Less: Amortisation of Lease Premia	66.92	67.15
	Book Value	539.63	134.08
2	PREMISES (Refer Note B-8 of Schedule 18)		
	Opening Balance	672.34	663.08
	Additions/adjustments during the year	21.42	9.26
	Sub-Total	693.76	672.34
	Less: Adjustments during the year	1.80	
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	691.96	672.34
	Less: Depreciation to date	391.01	375.27
	Book Value	300.95	297.07
3	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	75.73	73.37
	Additions/adjustments during the year	5.68	2.55
	Sub-Total	81.41	75.92
	Less: Cost of assets sold/written off	2.05	0.19
	Closing Balance (at cost)	79.36	75.73
	Less: Depreciation to date	69.37	68.30
	Book Value	9.99	7.43
4	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	305.64	272.63
	Additions/adjustments during the year	99.45	40.63
	Sub-Total	405.09	313.26
	Less: Cost of assets sold/written off	5.54	7.62
	Closing Balance (at cost)	399.55	305.64
	Less: Depreciation to date	301.81	251.63
	Book Value	97.74	54.01
5	VEHICLES		
	Opening Balance	16.04	14.92
	Additions/adjustments during the year	3.97	6.98
	Sub-Total	20.01	21.90
	Less: Cost of assets sold/written off	4.56	5.86
	Closing Balance (at cost)	15.45	16.04
	Less: Depreciation to date	6.79	6.03
	Book Value	8.66	10.01
6	Capital Work in Progress [Including Premises, Furniture & Fixtures and Software Implementation]	57.01	75.12
	Total	1013.98	577.72

Note - Depreciation to date includes opening depreciation, depreciation on addition & sale and depreciation for current financial year.

Consolidated Schedule 13 - Other Assets**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Accrued Interest		
	(a) Accrued Interest on Loans and Advances	4,527.25	4,116.96
	(b) Accrued Interest on Investments	2,156.97	1,859.71
2	Deposits with Landlords	4.42	3.75
3	Deposits with Government Departments and Other Institutions	47.47	54.24
4	Housing loan to staff	231.87	188.47
5	Other Advances to staff	97.18	98.10
6	Sundry Advances	250.12	250.56
7	Deferred Tax Assets (Refer Note B-6 of Schedule 18)	172.28	148.66
8	Receivable from Government of India / International Agencies (Refer Note B-2 and B-4 of Schedule 18)	1,297.65	1,193.46
9	Discount on Issue of Bonds	49.42	94.98
10	Other Assets - Input Tax Credit (GST)	20.84	7.30
11	Other Asset- FIF Fund Investment *	2,500.01	-
12	Derivative Assets	83.28	-
13	Advance towards Pension	17.52	-
	Total	11,456.28	8,016.19

*Other Asset- FIF Fund Investment maintained across various banks, which are exclusively earmarked for the NABARD Financial Inclusion Fund. These funds are restricted for use solely in accordance with the Fund's guidelines.

Consolidated Schedule 14 - Interest and Financial Charges**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Interest Paid on		
(a)	Deposits under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)	7,627.18	6,752.89
(b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund	1,662.89	1,975.77
(c)	Short Term RRB Credit Refinance Fund	343.49	574.67
(d)	Warehouse Infrastructure Fund	74.42	105.27
(e)	Long Term Rural Credit Fund	1,540.60	1,599.15
(f)	Fund for Food Processing Units	19.72	19.69
(g)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	1.97	2.35
(h)	Term Money Borrowings	0.31	39.73
(i)	Bonds (Refer Notes B-4 & B-12 of Schedule 18)	24,532.00	21,322.39
(j)	Term Loans from Banks	6,351.84	6,168.07
(k)	Borrowings from International Agencies	8.64	6.20
(l)	Borrowing against ST Deposit	-	(0.00)*
(m)	Discount on Commercial Paper	1,828.67	2,506.68
(n)	Discount on Certificate of Deposits	2,995.63	2,020.56
(o)	Repo Interest Expenditure	2.58	10.58
(p)	Interest on funds	78.26	186.82
(q)	Commitment Fee - International Borrowings	2.14	0.24
2	Discount on CBLO / Tri-Party Repo	1,636.91	1,505.68
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	59.43	76.21
4	Swap Charges	17.93	17.96
5	Derivative/ Hedged Item Fair Valuation	7.31	-
	Total	48,791.92	44,890.91

*Represents an amount less than ₹ 50,000

Consolidated Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-21 of Schedule 18)	955.12	1,431.89
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	359.48	836.10
3	Other Perquisites and Allowances	266.02	310.37
4	Travelling and Other allowances in connection with Directors' and Committee Members' Meetings	0.39	0.42
5	Directors' and Committee Members' Fees	0.96	1.04
6	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	71.68	54.58
7	Travelling Expenses	82.06	82.46
8	Printing and Stationery	8.28	9.22
9	Postage, Telegrams and Telephones	31.29	32.93
10	Repairs and Maintenance	39.31	21.47
11	Auditors' Fees	0.61	0.56
12	Legal Charges	6.28	5.41
13	Miscellaneous Expenses	492.18	460.46
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	8.98	12.93
15	Expenditure on Study and Training	133.62	115.00
	Total	2,456.26	3,374.84

Consolidated Schedule 15 B - Expenditure on Promotional Activities**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Cooperative Development Fund	105.25	54.55
2	Producers Organization Development Fund - NABARD	116.95	0.29
3	Rural Infrastructure Promotion Fund	2.60	3.17
4	Expenditure under Farm Sector Promotion Fund	15.12	21.37
5	Gramya Vikas Nidhi	37.66	57.69
6	Catalytic Capital Fund	1.83	2.52
7	Technology Facilitation Fund	0.90	0.10
	Total	280.31	139.69

Consolidated Schedule 16 - Provisions**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
	Provisions for:		
1	Standard Assets	208.45	241.98
2	Non-Performing Assets	167.30	151.61
3	Non-Performing Investments	(11.44)	2.00
4	Depreciation in value of Investment Account - Equity	-	(8.50)
	Total	364.31	387.09

Consolidated Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities**(Amount in ₹ crore)**

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed (Net of Advances)	151.32	68.12
	Sub Total "A"	151.32	68.12
2	Contingent Liabilities		
(i)	Bank Guarantee	28.98	21.94
(ii)	Claims against the Bank not acknowledged as debt	40.52	6.00
(iii)	Pending legal cases including Income Tax Appeals	415.01	415.19
	Sub Total "B"	484.51	443.13
	Total (A + B)	635.83	511.25

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 March 2026

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2025-26	2024-25
(a) Cash flow from Operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss Accounts before tax	9,564.83	10,436.51
Adjustment for:		
Depreciation and Amortisation on Fixed Assets	80.13	62.70
Provision for Non-Performing Assets	155.86	153.61
Provision for Standard Assets	208.44	241.98
Depreciation in value of Investment Account - Equity	-	(8.50)
Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets	1.14	(1.11)
Interest credited to various Funds	105.56	188.99
Income from Investments	(5,836.74)	(5,850.64)
Amortization of Premium on Bonds	(107.01)	(16.80)
Operating profit before changes in operating assets	4,172.21	5,206.74
Adjustment for changes in working capital :		
(Increase) / Decrease in Current Assets	7,071.19	(8,451.28)
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	2,128.57	1,510.13
(Increase) / Decrease in Loans and Advances	(92,531.11)	(44,239.49)
Cash generated from operating activities	(79,159.14)	(45,973.90)
Income Tax paid (Net of refund)	(2,285.10)	(2,613.77)
Net cash flow from operating activities (A)	(81,444.24)	(48,587.67)
(b) Cash flow from Investing activities		
Purchase of Investments (net of sale of Investments)	(11,974.65)	(22,024.88)
Income from Investments	5,836.74	5,850.64
Purchase of Fixed Assets	(524.12)	(77.64)
Sale of Fixed Assets	7.05	2.81
Net cash used / generated from investing activities (B)	(6,654.98)	(16,249.07)
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	528.61	(1,045.19)
Proceeds from Bonds (net of repayment)	18,651.07	41,273.43
Proceeds from Borrowings (net of repayment)	64,943.80	56,652.15
Proceeds from Deposits (net of repayment)	19,321.03	(25,966.62)
Withdrawal/Addition to Reserve Fund	0.00*	-
Dividend paid during the year	(0.37)	(6.61)
Net cash raised from financing activities (C)	1,03,444.14	70,907.16
Net increase in cash and cash equivalents (A) + (B) + (C)	15,344.92	6,070.42
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	14,766.52	8,696.10
Cash and Cash equivalents at the end of the year	30,111.44	14,766.52

1. Cash and cash equivalents at the end of the year includes:	2025-26	2024-25
Cash in hand	-	-
Balance with Reserve Bank of India	10,026.97	6,568.72
Balances with other Banks in India	7,671.59	4,547.80
Short Term Deposits with Banks (with maturity of 3 months and less)	12,412.88	3,650.00
Total	30,111.44	14,766.52

*Represents amount of less than ₹1.00 Lakh

Note: The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in AS-3 “Cash Flow Statements”.

As per our attached report of even date
For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
Mumbai
Date: 26 May 2026

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Dr. Shaji Krishnan V
Chairman

R Inigo Arul Selvan
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
26 May 2026

SCHEDULE 18**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026****A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. Basis of Preparation:**

The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Holding Bank / NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Basis of Consolidation

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 - "Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

These consolidated financial statements comprise standalone financial statements of NABARD ("the Holding Bank" or "NABARD") and its subsidiaries which together constitute the group ("The Group") and its associate. The Consolidated Financial Statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and events in similar circumstances and necessary adjustments required for deviations, if any to the extent possible, are made in the consolidated financial statements and are presented in the same manner as the Bank's standalone financial statements. The figures pertaining to the Subsidiary and Associates Companies have been recast/ reclassified wherever necessary to bring them in line with the parent Bank's financial statements.

The financial statements of the subsidiaries and associates used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank.

The explanation to Para 6 of AS-21 'Consolidated Financial Statements' is as follows:

"All the notes appearing in the separate financial statements of the parent enterprise and its subsidiaries need not be included in the notes to the consolidated financial statements. For preparing consolidated financial statements, the following principles may be observed in respect of notes and other explanatory material that form an integral part thereof:

- a) Notes which are necessary for presenting a true and fair view of the consolidated financial statements are included in the consolidated financial statements as an integral part thereof.
- b) Only the notes involving items which are material need to be disclosed. Materiality for this purpose is assessed in relation to the information contained in consolidated financial statements. In view of this, it is possible that certain notes which are disclosed in separate financial statements of a parent or a subsidiary would not be required to be disclosed in the consolidated financial statements when the test of materiality is applied in the context of consolidated financial statements.
- c) Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the subsidiary and/ or a parent having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements need not be disclosed in the consolidated financial statements."

The consolidation of financial statements has been done on the basis keeping in view the above guidelines in AS-21 'Consolidated Financial Statements'

The financial statements of the Bank and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions. The unrealized profits or losses resulting from the intra-group transactions have been eliminated and unrealized losses resulting from the intra-group transactions have also been eliminated unless cost cannot be recovered.

The excess/ deficit of the cost to the Bank of its investment, over the Bank's portion of net assets at the time of acquisition of shares is recognized in Reserves & Surplus/Goodwill.

Share of minority interest in the net profit of the consolidated subsidiaries is identified and adjusted against the profit after tax to arrive at the net income attributable to shareholders. Share of minority interest in losses of the consolidated subsidiaries, if exceeds the minority interest in the equity, the excess and further losses applicable to the minority, are adjusted against the Group's interest.

Share of minority interest in net assets of consolidated subsidiaries is presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and the equity of the company's shareholders.

As per Para 7 of AS 23 'Accounting for Investments in associate's in consolidated financial Statements' "an investment in an associate should be accounted for in consolidated financial statements under the Equity method". Accordingly, investments in associates have been accounted for using the equity method in compliance with the aforesaid standard. Under this method, the investment is initially recorded at cost and subsequently adjusted to recognize the Group's share of post-acquisition profits or losses of the associate. The carrying amount of the investment is also adjusted for dividends received and other changes in the associate's net assets.

3. The consolidated financial statements present the accounts of the Bank with its following subsidiaries and associate:

Name of the Subsidiary/ Associates	Framework	Audited FS considered for consolidation	Country of Incorporation	Proportion of Ownership (%)	
				2025-26	2024-25
A Subsidiary					
NABKISAN Finance Limited (NABKISAN)	Ind AS	No*	India	89.12	87.77
NABSAMRUDDHI Finance Limited (NABSAMRUDDHI)**	Ind AS	No*	India	--	91.09
NABFINS Limited (NABFINS)	Ind AS	No*	India	63.10	63.10
NABARD Consultancy Services Private Limited (NABCONS)	IGAAP	Yes	India	100	100
NABVENTURES Limited (NABVENTURES)	IGAAP	Yes	India	100	100
NABFOUNDATION	IGAAP	Yes	India	100	100
NABSANRAKSHAN Trustee Private Limited (NABSANRAKSHAN)	IGAAP	Yes	India	100	100
B Associate					
Sahakar Sarathi Private Limited(w.e.f 21July 2025)	Ind AS	No*	India	41.50	--

* The financial statements prepared under Ind AS have been audited by the statutory auditors of the respective subsidiaries and associates. However, for the purpose of consolidation of financial statements, Ind AS not being applicable to NABARD, we have considered the IGAAP financial statements which have been prepared by the management of the respective subsidiaries and associates and are unaudited.

**NABSAMRUDDHI Finance Limited merged with NABKISAN Finance Limited w.e.f.

16th December 2025.

NABARD holds 30% share of Agriculture Insurance Company India Ltd. (AICIL) As per AS 23 – ‘Accounting for Investments in associates in consolidated financial Statements’ significant influence is presumed when the investor holds 20% or more of the voting power of the investee. However, NABARD is represented in the Board of Directors as a Non-Executive Director. Thus, NABARD does not exercise Significant influence on AICIL as a result of which the financial statements of AICIL are not consolidated.

4. **Use of Estimates:**

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management’s best knowledge, the actual results could differ for these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

5. **Revenue recognition:**

5.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

- i) Interest on non-performing assets identified as per RBI guidelines.
- ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- iii) Service Charges on loans given out of various Funds.
- iv) Expenses not exceeding ₹ 10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.

5.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of bonds and commercial papers. Issue expenses relating to the floatation of bonds, including applicable stamp duty, are recognized as expenditure in the year of issue of bonds.

5.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.

5.4 i) Income from Venture Capital Funds are accounted on realization basis.

ii) Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for, including service charges thereon, on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.

5.5 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:

- i) Penal Interest
- ii) Cost & charges
- iii) Overdue interest and interest
- iv) Principal

5.6 In case of Compromise and Resolution/ Settlement, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.

5.7 In case of suit filed/ decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:

- i) As per the directives of the concerned Court.
- ii) In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point 5.5 above.

5.8 **NABCONS - Income from services**

5.8.1 Income from Assignments: Income from assignments constitute the main source of income for the Company. Income recognition shall differ project to project, based on the milestones

mentioned in respective MOUs/Work order. In cases where, milestones based income recognition is not available then following guidelines will be applicable:

Recognition of revenue and corresponding expenses incurred on particular assignments are taken into account at the time when the assignment are completed. An assignment is treated as completed:

- in case of preparation of DPR as soon as the draft report has been issued to the party.
- in case of other assignments where execution is spread over a period, the income has been recognized based on the milestones completed and deliveries effected, status of execution and period completed.
- in case assignment is a time bound contract for more than a year income is recognized in proportion to period completed.
- in view of some reasons such as merger of the multiple projects and expenditure charged to common pool etc. there may be some deviation under project wise income/expenditure, which is adjusted over a period of time/duration of project.

5.8.2 As per the company's policy, the assignments which are not likely to be continued were closed on "as is where is" basis and the amount received thereon has been treated as income.

5.8.3 Any advance received on progressive basis for ongoing assignments, where criteria/ mile stone for income booking as per Company policy as disclosed above has not been fulfilled, is shown as a separate item as advance received from clients and treated as current liability. The expenses incurred on such assignments are shown as current Assets and will be shown as expenses in the year in which corresponding income will be accounted for, as per policy of Company.

5.8.4 NABCONS has been appointed by Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India as a Central Technical Support Agency (CTSA) in connection with implementation of the DDU-GKY scheme. As per the prevailing guidelines, NABCONS is entitled to receive Monitoring Cost @ 1.5% (inclusive of GST) of the total project cost, in respect of the allocated States, which is accounted for, as income at the time of release/sanction of each instalment released to SRLMs/SSDMs

Besides above, NABCONS has also been appointed as the Technical Support Agency (TSA) by several States, income in respect of which, is recognised as per the agreed terms stated in MoU executed with SRLM/ SSDM.

Thus, NABCONS has recognised income in respect of dues from MoRD/ SRLMs, which have either been sanctioned/payable, but not paid owing to administrative reasons, paucity of funds etc.

In addition, NABCONS has also performed the assignment of Project Appraisal Agency. The income related to project appraisal has been recognised at the time of completion of deliverables/ receipt of fees from PIAs. The Ministry of Rural Development (MoRD), Govt of India is in the process to roll-out DDU-GKY 2.0 for FY 2025-26, programme to be executed upto 31.03.2028.

6. Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)

6.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.

6.2 Land includes freehold and leasehold land.

6.3 Premises include value of land, where segregated values are not readily available.

6.4 Depreciation policy on premises situated on freehold land and leasehold land has been revised during the FY 2017-18 and calculated on straight line basis over the period of 30 years.

6.5 The upfront lease premium paid on leasehold land are amortized over the tenure of lease period @ 5% on opening written down value or the proportionate amount of remaining lease premium on the remaining period of lease, whichever is higher.

6.6 Fixed Assets individually costing ₹ 1 lakh or less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of

acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more than ₹ 10,000. All software costing ₹ 1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.

- 6.7 In case of The Holding Bank, Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

- 6.8 Depreciation is charged from the month in which the asset is capitalized in the year of purchase up to the month in which the asset is sold in the year of sale.

- 6.9 Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.

- 6.10 In case of subsidiaries, the depreciation on fixed assets is provided on following basis:

Name of the Subsidiary	Method of Depreciation
NABKISAN	WDV as per Schedule II
NABFINS	WDV as per Schedule II
NABCONS	SLM as per Schedule II
NABVENTURES	SLM and WDV as per Schedule II
NABFOUNDATION	SLM as per Schedule II
NABSANRAKSHAN	WDV as per Schedule II

7. Investments

- 7.1 The transactions in Securities are recorded on “Settlement Date”.

- 7.2 In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”).

- 7.3 Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as “HFT”. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as “HTM”. Securities which are not to be classified in the above categories are classified as “AFS”.

- 7.4 Investments classified under HTM category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category “HTM” is made, wherever necessary. Provision for diminution/ amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.

- 7.5 Profit on redemption of investment categorized under “HTM” is recognized in Profit and Loss Account.

- 7.6 Investments under “AFS” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by the Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by the Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as “AFS” and appreciation is ignored. The book value of the individual scrip are not changed after such revaluation.

- 7.7 Investments under “HFT” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Private Limited., AMFI etc. Net Depreciation, if any, provided for investments in the category classified as “HFT” and appreciation is ignored. The book values of the individual scrip are not changed after such revaluation.

- 7.8 Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.

- 7.9 Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Financial Statements of the investee companies are available, or at ₹ 1/- per Company as per RBI guidelines.
- 7.10 Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.
- 7.11 Brokerage, paid on acquisition / disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.
- 7.12 Broken period interest paid/ received on debt investments is treated as interest expenses/ income and is excluded for cost / sale consideration.

7.13

Sr. No.	Existing category	Proposed category	Accounting policy
1.	AFS / HFT	HTM	Lower of book value or market value. In cases where the market value is lower than the book value, the provision for depreciation held against the security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) shall be adjusted to reduce the book value to the market value and the security shall be transferred at the market value.
2.	HTM	AFS / HFT	Transfer at book value / amortised cost. Such Securities shall be immediately re-valued consequent to transfer and resultant depreciation, if any, shall be provided.
3.	AFS/HFT	HFT/AFS	Transfer at book value. Securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held shall be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

- 7.14 Amortization / Gain / Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.
- 7.15 Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.
- 7.16 Investments in Venture Capital Funds are accounted as per the accounting policy adopted by the respective Fund.
- 7.17 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the IRAC norms issued by the Reserve Bank of India. The depreciation/ provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.
- If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.
- In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.
- 7.18 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be.
- 7.19 The derivatives transactions are undertaken for hedging purposes.
- 7.20 In case of NABSANRAKSHAN, cost included on FIFO basis is considered for calculation of profit or loss on redemption of mutual funds.

8. Foreign Currency Transactions

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”, issued by the ICAI.

- 8.1 Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers’ Association of India (‘FEDAI’)/Bloomberg.
- 8.2 Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at closing exchange rates notified by FEDAI/Bloomberg and the resulting gains / losses are recognised in the profit and loss account. The revaluation difference on foreign currency and Letters of Comfort (LoC) is adjusted and recorded in a special account opened and maintained for managing exchange risk.

9. Accounting for Hedges/Derivatives

- 9.1 Hedges executed by the bank are accounted as per the Board approved policy drawn in line with the applicable accounting standards and guidance notes thereto, having regard to the terms and conditions of the agreement.
- 9.2 The Bank has adopted requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Bank presents its derivative assets and liabilities as separate line items. The Bank do make adjustments to the carrying value of its liability in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.

10. Advances and Provisions thereon

- 10.1 Advances are classified as per the IRAC norms issued by the RBI. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the IRAC norms issued by the RBI
- 10.2 In case of restructuring/ rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.
- 10.3 Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.
- 10.4 Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the Profit and Loss account.
- 10.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made towards standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 8 of the Balance Sheet under the head “Current Liabilities & Provisions” and are not considered for arriving at the Net NPAs.

11. Employee Benefits

All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provision for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, for long term employee benefits are carried out at each balance sheet date.

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Retirement Benefits:

i) Defined Contribution Plan

The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the “NPS- Corporate Sector Model”, a defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.

ii) Defined Benefit Plan

- (a) Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.
- (b) Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

iii) Other Long Term benefits

All eligible employees of the bank are entitled for compensated absences and post-retirement medical benefits. The cost of providing these long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

12. Taxes on Income

- 12.1 Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments / appeals.
- 12.2 Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.
- 12.3 Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.
- 12.4 Tax paid / provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.

13. Segment Reporting

- 13.1 The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.
- 13.2 Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with/ allocable to the segment.
Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank Income".
- 13.3 Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".

- 13.4 Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable assets and liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

14. Impairment of Assets

- 14.1 As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:
- a) the provision for impairment loss, if any, required; or
 - b) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.
- 14.2 Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- 15.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:
- a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;
 - b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
 - c) the amount of the obligation can be reliably estimated.
- 15.2 Contingent liability is disclosed in the case of:
- a) a possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,
 - b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and
 - c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.
- 15.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.
- 15.4 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

16. Cash and cash equivalents

- a) Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand and other short-term investments.
- b) Cash Flow statement is reported using Indirect method. The cash flow from operating, financing and investing activity is segregated based on the available information.

17. Prior Period Income/ Expenses

Items of Income/ Expenditure which are prior period in nature is disclosed separately only when the individual prior period income/ expense exceeds 0.5% of gross income.

18. Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)

In terms of the Press Release No. 11/10/2009 CL-V dated 18 January 2016 issued by the MCA, the bank would be required to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 and thereafter. The implementation of Ind AS by AIFIs has since been deferred by Reserve Bank of India until further notice.

B. NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. NABARD is acting as a banker/ custodian/ trustee on behalf of GOI/ RBI/ Other entities and is holding the following funds, pending utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements/ as approved by the management/ Board of Directors. The details of rate of interest for respective funds are as under:

S. No	Name of the Fund	Rate of Interest for 2025-26	Rate of Interest for 2024-25
1.	Watershed Development Fund	2.5%	3%
2.	National Adaptation Fund for Climate change	2.5%	0%
3.	Tribal Development Fund	2.5%	3%
4.	Financial Inclusion Fund	0%	3%
5.	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	2.5%	3%
6.	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	2.5%	3%
7	Producer Organisation Development Fund-Interest Differential	2.5%	3%
8.	Climate Change Fund -Interest Differential	2.5%	3%
9	GCF Project Grants	2.5%	3%
10	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	4.38%	7.83%
11	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	4.38%	7.83%
12	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	4.38%	7.83%
13	AgriSURE-GoI Fund	2.5%	0%
14	Capacity Building Fund For Social Stock Exchange	2.5%	0%

2. Recoverable from Government of India/ International Agencies (Refer Schedule-13 of Balance Sheet) includes ₹ 1.08 crore (₹ 2.00 crore) being debit balance of various funds.
The details of such funds are as under:

(Amount in ₹ crore)			
S. No.	Name of the Fund	2025-26	2024-25
1	KfW- Soil Project	0.00	0.92
2	NAFCC	1.08	1.08
	Total	1.08	2.00

3. ₹ 236.41 crore included in Schedule 8 “Current Liabilities” is the interest differential available to the Bank in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits and Food Processing Fund (FPF), placed by various banks is credited to the funds in pursuance to directions issued by RBI. However, no such directions has been received for the year 2025-26 till the date of the report. As and when received, it will be apportioned as per the RBI directions.
4. Interest Subvention received/ receivable from Government of India (GOI) under various schemes has been adjusted from Interest and financial charges under Schedule 14. The amount of Interest subvention adjusted under different schemes is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Scheme	2025-26	2024-25
1	Long Term Irrigation Fund	548.74	567.95
2	Seasonal Agricultural Operations (SAO)	(86.80)	140.96
3	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	29.97	34.72
4	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	161.15	126.07
5	Micro Irrigation Fund (MIF)	85.11	87.68
6	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF)	36.65	25.85

5. Interest Margin on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural Operations and under NRLM scheme has been accounted as interest income. The amount received/ receivable from GOI under scheme stood at ₹ 88.05 crore (₹ 115.09 crore).
6. The Bank recognizes deferred tax asset / liability on timing differences in accordance with AS 22 “Accounting for taxes on Income”. During the year, the Bank has recognized deferred tax expense (charge) of ₹ 24.23 crore (₹ 59.73 crore). in the Profit and Loss Account. The details of total deferred tax assets as on 31.03.2026 are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Deferred Tax Assets	2025-26	2024-25
1	Provision allowable on payment basis	121.95	102.46
2	Depreciation on Fixed Assets	16.75	13.70
3	Others	33.58	32.50
	Total	172.28	148.66

Provision for Deferred Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

As the loan book is growing year on year, Provision on Standard Assets is required to be created every year in line with the RBI Prudential Norms. Therefore, in accordance with the principles laid down in AS-22, the Bank does not recognise Deferred Tax Asset on account of Provision on Standard Assets, as there is no reasonable certainty of their realisation.

7. The details of pending Income Tax Appeals with various authorities at the end of FY 2025-26 are given below:

S. No.	Assessment Year	Authority where Appeal is pending	Appeal preferred by	Amount of tax in dispute as on 31-03-2026 (₹ Crore)	Amount of tax in dispute as on 31-03-2025 (₹ Crore)
1	2002-03	High Court – Mumbai	IT Dept.	415.00	415.00
2	2006-07	High Court – Mumbai	IT Dept.	217.85	217.85
3	2007-08	High Court – Mumbai	IT Dept.	88.56	88.56
4	2008-09	High Court – Mumbai	IT Dept.	118.77	118.77
5	2009-10	High Court – Mumbai	IT Dept.	194.82	194.82
6	2010-11	High Court – Mumbai	NABARD	28.20	28.20
7	2010-11	High Court – Mumbai	IT Dept.	215.32	215.32

8	2011-12	High Court – Mumbai	NABARD	51.03	51.03
9	2012-13	High Court – Mumbai	NABARD	45.63	45.63
10	2013-14	High Court – Mumbai	NABARD	1.70	1.70
11	2012-13	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	25.55	--
12	2022-23	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	147.78	--
13	2023-24	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	72.20	--
14	2016-17	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	407.23	407.23
15	2017-18	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	360.69	360.69
16	2018-19	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	278.52	278.52
17	2022-23	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	--	182.64

8. Free hold land and Lease hold Land and Premises include ₹ 12.56 crore (₹ 11.85 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.

9. In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring any provision.

10. Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:

- Classified as Investments and shown in Schedule – 10 under the head 'Debenture and Bonds'.
- Interest earned on the same is shown as a part of 'Interest received on Loans and Advances' in the Profit and Loss Account, treating them as 'Deemed Advances'.
- 'Deemed Advances' for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.

11. As on the date of the financial statements, out of the disbursement extended to various State Governments under RIDF, ₹ 789.39 crore (₹633.71 crore) pertains to projects yet to be grounded under ongoing Tranches (XXVII to XXXI) towards mobilisation advance. Pending receipt of the proposal from the State Government for adjustment of the amount with the respective/ other projects, the amount has been classified as disbursement from the fund.

12. In terms of Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance notification dated 18 February 2016, NABARD was allowed to raise tax free bonds having benefits under section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act 1961 amounting to ₹ 5,000 crore. Accordingly, ₹ 1,500 crore repayable in 10 year tenure was mobilized through Private Placement and ₹ 3,500 crore repayable in 10 & 15 year tenure was mobilized through public issue. The tax free bonds are in the nature of secured, redeemable and non-convertible bonds. These bonds are secured against pari passu charge on property situated in Mumbai and also first charge on specified book debts of NABARD. The interest charge to revenue pertaining to these bonds for the current year is ₹ 354.41 crore (₹ 365.07 crore). The details of the debenture Trustee is: **Axis Trustee Services Limited**, The Ruby, 2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400028 Telephone: +91 22 6230 0451

13. In terms of RBI (AIFs-Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 dated 28 November 2025 relating to Prudential Guidelines on Investment in Venture Capital Fund, an amount of ₹ 180.24 crore (₹ 20.98 crore) invested in the units of AIF was shifted from HTM category to AFS category, on completion of 3 years.

- 14.(a) Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	300.00 (237.00)	304.54 (237.69)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo)	67,024.29 (56,100.51)	90,031.65 (68,247.12)
Pledged for Business Segment (Securities) Default Fund	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo) – Default Fund	50.00 (50.00)	(51.75) (51.75)

- (b) Investments in Government securities include the following securities pledged with Reserve of India as collateral security for Intra Day Limit:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Intra Day Limit (Securities)	5,168.17 (5,168.17)	5,358.42 (5,396.34)

15. Provisions on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Provisions towards Standard Assets made during the year	208.45	241.98
Total Provision towards standard asset outstanding as on March 31,2026	3,760.46	3,572.61

16. (i) Floating Provision:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(a)	Opening balance in the floating provision account	2,000.00	2,000.00
(b)	The quantum of provisions made during the accounting year #	0.00	0.00
(c)	Amount of drawdown made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing balance in the floating provision account	2,000.00	2,000.00

The Board of Directors of the Bank decided to create floating provisions, in accordance with RBI guidelines, to be utilized for any unexpected or exceptional circumstances.

(ii) Counter Cyclical Buffer: ₹ 14.45 crore (₹ 14.45 crore)

17. Non-Performing Assets:

S. No.	Particulars	2025-26*	2024-25*
(i)	Net NPI to Net Investments (%)	0.00	0.00
(ii)	Movement of NPIs (Gross)		
(a)	Opening Balance	2,540.87	2,419.25
(b)	Additions during the year	201.58	247.49

(c)	Write off /recoveries	(264.48)	(125.87)
(d)	Closing Balance	2,477.97	2,540.87
(iii)	Movement of Net NPIs		
(a)	Opening Balance	97.57	25.10
(b)	Additions during the year	39.05	96.81
(c)	Reductions during the year	(39.32)	(20.57)
(d)	Closing Balance	97.30	101.34
S. No.	Particulars	2025-26*	2024-25*
(iv)	Movement of provisions for NPIs (excluding provision on standard assets)		
(a)	Opening balance	2,443.29	2,394.15
(b)	Provision made during the year	189.85	160.87
(c)	Write off /recoveries	(252.47)	(111.73)
(d)	Closing balance	2,380.67	2,443.29

*the figures are including Non-Performing Investment.

18. The disclosures required to be given by financial institutions pursuant to RBI Master Direction- Reserve Bank of India (Financial Statements of All India Financial Institutions – Presentation, Disclosure and Reporting Directions 2025) dated 28 November 2025 not being considered relevant for consolidated financial statements of the group and hence the same are not contained in the notes.
19. In case of four subsidiaries, depreciation has been provided using Written Down Value method and is not adjusted in Consolidated Financial Statements as per Straight Line method. The impact of this on the consolidated financial statements is not material.
20. Leave Travel Concession benefits to employees are accounted for as and when the same is availed by the employees.
21. During the year, the group has paid the arrears towards wage settlement of ₹ 503.54 crore out of the provisions made of ₹ 897.42 crore created up to December 31, 2025 (including ₹ 230.25 crore provided during FY 2025-26). An amount of ₹308.86 crore has been reversed, comprising ₹ 230.25 crore pertaining to the current year and ₹ 78.61 crore relating to previous years, and netted off from employees cost. Balance of ₹ 85.00 crore is still lying in the books of account and which would be paid in FY 2026-27.
22. Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(Amount in ₹ crore)			
S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1.	Income	0.00	0.00
2.	Revenue Expenditure	0.00	0.00
Total		(0.00)	(0.00)

23. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 “Related Party Transactions”, the details of the transactions with other state-controlled enterprises (including its subsidiaries) are not given.

23.1 Associate:

Sahakar Sarathi Private Limited

23.2 Key Management Personnel (NABARD):

Name of the party	Designation
Dr Shaji Krishnan V	Chairman
Shri Goverdhan Singh Rawat	Deputy Managing Director
Dr Ajay Kumar Sood	Deputy Managing Director

23.3 Key Management Personnel (Subsidiaries)

Name of Subsidiary	Name of the party	Designation
NABCONS	Shri Niraj Kumar Verma (upto 29 August 2024)	Managing Director
	Dr Haragopal Yandra (w.e.f 30 August 2024)	Managing Director
	Smt Neha Chaudhary	Company Secretary
NABFINS	Smt N Neeraja Nandamudi	Managing Director
	Shri A Jayasheelan	Chief Financial Officer
	Shri Mohan Prasad	Chief Operating Officer/ Executive Nominee Director
	Smt Pooja Ahuja	Company Secretary
NABFOUNDATION	Shri Bibhu Prasad Kar	Chief Executive Officer/Director
	Shri Rajendra Prasad Pawar (w.e.f 02 May 2025)	Chief Financial Officer
	Smt Sudha Verugheese (upto 30 April 2025)	Chief Financial Officer
	Smt Aditi Shukla	Company Secretary
NABKISAN	Shri Prasad Rao	Managing Director/ Chief Executive Officer
	Shri G Immanuvel	Chief Financial Officer/ Director
	Shri LS Naveenkumar	Chief Financial Officer
	Smt M Bhuvaneswari	Company Secretary
	Smt Suzette Pereira	Company Secretary
NABSANRAKSHAN	Shri Rahul Uppal (upto 04 September 2025)	Chief Executive Officer/Director
	Shri Damodar Mishra (w.e.f 04 September 2025)	Chief Executive Officer/Director
	Shri Sunanda Kumar Sahoo	Company Secretary
NABVENTURE	Shri Vikas Bhatt	Managing Director
	Smt Deepti Helgaonkar (upto 30 April 2025)	Chief Financial Officer
	Shri Anupam Pattanayak (w.e.f 19 August 2025)	Chief Financial Officer
	Shri Tunu Sahu	Company Secretary

23.4 Significant transactions with related parties

(Amount in ₹ crore)

Items / Related	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel @	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings#		-	-	-
Deposit#		-	-	-
Placement of deposits#		-	-	-
Advances#	-	-	-	-
Investments#				
Outstanding at the year end	333.33 (NIL)	-	-	333.33 (NIL)
Maximum during the year	333.33 (NIL)	-	-	333.33 (NIL)
Non funded commitments#		-	-	-
Leasing arrangements availed#		-	-	-
Leasing arrangements provided#		-	-	-
Rent Payment	0.05 (NIL)			0.05 (NIL)
Purchase of fixed assets		-	-	-
Sale of fixed assets		-	-	-
Interest paid		-	-	-
Interest Received		-	-	-
Rendering of services*		-	-	-
Receiving of services*		-	-	-
Management Contracts**		8.38 (11.12)	-	8.38 (11.12)

@ Whole time directors of the Board

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed

*Contract Services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

** Remuneration to Key Management Personnel

24. Information on Business Segment

(a) Brief Background

The Bank has recognized Primary segments as under:

- i) **Direct Finance:** Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/ non-governmental organizations for developmental activities and other direct loans to DCCBs.
- ii) **Refinance:** Includes Loans and Advances given to State Governments, Public Sector Banks, Private Banks, Small Finance Banks, Foreign Banks, SCARDBs, StCBs, Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.
- iii) **Treasury:** Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.

- iv) The segments other than the above three primary segments is other business segments. After finding out the results of the three primary segments based on the direct income and direct expenses, the balance amounts including un-allocable expenses/ liabilities/ assets are grouped under “Other Business”.

(b) Information on Primary Business Segment

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Treasury		Refinance		Direct Lending		Other Business		Total	
Business Segments	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	8,479.22	7,649.52	27,891.95	28,911.04	24,859.95	22,404.11	306.64	326.92	61,537.77	59,291.59
Result	1,805.83	1,450.30	6,482.42	3,571.30	3,417.82	8,129.71	(2,141.23)	(2,714.80)	9,564.83	10,436.51
Unallocated Expenses									0.00	0.00
Operating Profit									9,564.83	10,436.51
Income Taxes									2,215.22	2,594.93
Extraordinary profit / loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit									7,349.61	7,841.58
Other Information										
Segment Assets	1,55,560.74	1,39,343.11	5,10,333.17	4,53,289.86	4,29,427.43	3,92,465.48	2,824.73	1,272.07	10,98,146.07	9,86,370.53
Segment Liabilities	1,78,299.64	1,50,328.53	3,92,126.99	3,51,850.09	4,27,053.85	3,91,249.65	97,960.54	90,167.93	10,95,441.01	9,83,596.20
Unallocated Assets									172.28	148.66
Total Assets									10,98,318.35	9,86,519.19
Unallocated Liabilities									2,877.34	2,922.99
Total Liabilities									10,98,318.35	9,86,519.19
Note : Unallocated Assets represent Deferred Tax Asset and Unallocated Liabilities represent Provision for Income Tax										

- (c) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

25. On November 21, 2025, the Government of India notified the four Labour codes - The code on Wages, 2019, The Industrial Relations code, 2020, The code on Social Security, 2020 and The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (collectively referred to as the 'Labour Codes') consolidating 29 existing Labour Laws. The Bank has made provision for gratuity aggregating to ₹ 0.73 crore for contract employees in accordance with the provisions of the new Labour Codes. However, the detailed rules and procedural guidelines under the said Labour Codes are yet to be notified by all the State Governments. Accordingly, the final impact, if any, arising from such notifications and subsequent clarifications shall be appropriately considered and accounted for in the financial statements in the period in which the same become applicable.

26. Following Notes of Part B of Schedule 18 of the Standalone Financial Statements shall also form part of the Notes of Consolidated Financial Statements in view of the RBI directions RBI/DOR/2025-26/334 DOR.ACC.REC.No.253/21.04.018/2025-26 “Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025” dated November 28, 2025 issued by The Reserve Bank of India.

Note No.	Heading of the Note
1	Capital Adequacy
3	Asset Quality and Specific Provisions (except Note 3.3 – Non-Performing Assets)
4.2	Investment Portfolio: Constitution and operations
5	Disclosure of transfer of loan exposures
6	Disclosure on Co Lending Arrangements (CLA)
7	Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities
8	Details of Financial Assets purchased/sold
9	Operating Results
10	Credit Concentration Risk
11	Derivatives
12	Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by AIFIs
13	Asset Liability Management
14	Draw Down from Reserves
15	Disclosure of Penalties imposed by RBI
16	Disclosure of Complaints
17	Disclosures relating to Securitisation
18	Off Balance Sheet SPVs Sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)
19.2	Accounting Standard 15- Employee Benefits

27. Figures in brackets pertain to previous year.

28. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current years classification/ presentation.

As per our attached report of even date.

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 121750W/W100010

Ramesh Gupta
Partner
Director
Membership No.:102306
Mumbai
Date - 26 May 2026

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager

Accounts Department

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing

Dr. Shaji Krishnan V
Chairman

R Inigo Arul Selvan
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
26 May 2026

R INIGO ARUL SELVAN, Chief General Manager & Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./274/2026-27]